खण्ड-309, अंक-1
मंगलवार, 18 आषाढ़, शक संवत् 1896
(9 जुलाई, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 309 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

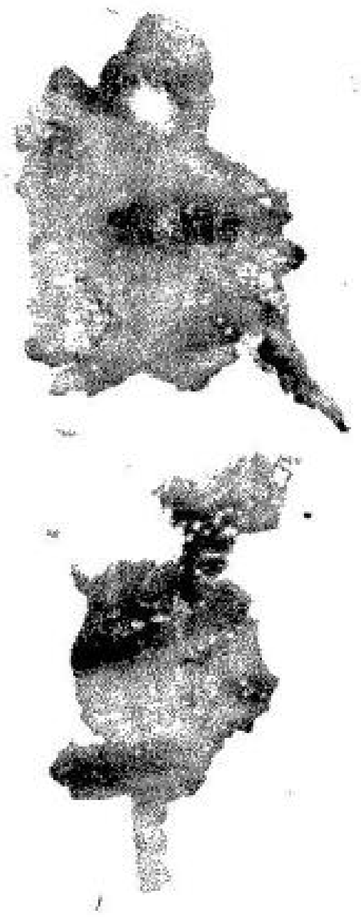

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 9 जुलाई, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—371

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनावर जमील, उर्फ जिमी सिया (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का०सु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णाराय, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री

H
U.P.L.A.
Vol. 309
1974

13523

गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी गढ़वाल
गौरी शंकर, एडवोकेट
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन वन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा भी)
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर

प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजर्रलुहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बैचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह कैन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मजफ्फरनगर)
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह, एडवोकेट
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री

राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम आधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु, एडवोकेट श्री
राम रती देवी, श्रीमती
रामरखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष, चौधरी
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राय मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शांति देवी यादव, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री

श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द वाजपेयी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखबराज सिंह, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोटः—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री श्री सालिह राम जायसवाल भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 9 जुलाई, 1974

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को धुलाई भत्ता

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल (जिला इलाहाबाद) अनुपस्थित (श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि सचिवालय के समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी की धुलाई केवल एक रुपया पचास पैसा प्रति मास ही दी जाती है ? यदि हां, तो वर्तमान महंगाई को देखते हुये क्या सरकार इसमें वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

जी हां, धुलाई भत्ते की वर्तमान दरों में वृद्धि का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

श्री सीताराम निषाद—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इसको फैसला कब तक हो जायगा और यह 1.50 रुपया रेट सन् 48 से चला आ रहा है जब 1 आने में 6 कपड़े धुलते थे जबकि इस समय 40 पैसे में केवल एक कपड़ा धुलता है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

इसमें थोड़ी दिक्कत-सी यह है कि हमारे संयुक्त सचिव ने इन सारे गसत्वों की छानबीन करने के बाद 3.75 रुपये की बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी लेकिन वित्त विभाग ने कहा कि यह किसी भी सूरत में 2 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिये और उन्होंने कहा कि अगर इनको देते हैं तो और कर्मचारियों को भी देना पड़ेगा। उन्होंने 30 पैसे के हिसाब से लगाया और इन्होंने 20 पैसे के हिसाब से लगाया। बहरहाल हम इसमें कुछ न कुछ कर रहे हैं और जल्दी ही निर्णय हो जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

यह धुलाई वाली इतनी छोटी सी बात है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने 2 रुपये का रेट किस आधार पर निकाला है?

श्री राजमंगल पांडेय---

उनका यह कहना है कि आज भी सफेद कपड़े की धुलाई 20 नये पैसे है। (व्यवधान) हमारे संयुक्त सचिव ने खुद ही 3.75 रुपये रेकमेन्ड किया है। यह 2 रुपये से कम नहीं होगा और 2 रुपये से ज्यादा जो भी सम्भव होगा सरकार करेगी।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि वित्त विभाग ने केवल 2 रुपये की सिफारिश की है और उन्होंने रेट लगाया है 20 पैसे प्रति कपड़ा के हिसाब से जबकि, मान्यवर आप भी कपड़े धुलवाते होंगे, कोई भी 20 पैसे में आज धोता नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी वित्त विभाग की इस सिफारिश को उचित समझते हैं? यदि नहीं, तो कितना बढ़ाकर देने का तैयार है?

श्री राजमंगल पांडेय---

वित्त विभाग से सहमति या असहमति का प्रश्न नहीं है। उनके सामने केवल एक चीज की कितनी धुलाई है इतना ही नहीं है बल्कि इसमें वित्तीय बोझ कितना पड़ेगा यह भी प्रश्न है, क्योंकि एक ही कर्मचारी का सवाल नहीं है बल्कि और भी बहुत से कर्मचारियों का सवाल है। उनके कलकुलेशन के हिसाब से 20 पैसे प्रति कपड़ा की धुलाई आती है। हमने तो कह दिया कि 2 रुपये और 3.75 रुपये की बीच में कोई न कोई निर्णय सरकार ले लेगी।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---

जिस आधार पर माननीय मंत्री जी ने 3.75 रुपये धुलाई प्रस्तावित की थी क्या अपनी उस संस्तुति के लिये वित्त विभाग को राजी करने की कृपा करेंगे?

श्री राजमंगल पांडेय---

वित्त विभाग को राजी करने का प्रश्न नहीं है। यह तो अपनी-अपनी राय है। उनका कहना यह है कि आज भी बहुत सी जगहों पर 20 पैसे कपड़े की धुलाई होती है। उनका कहना यह है कि पैन्ट हफ्ते में दो बार धुलेगी लेकिन कोट हफ्ते में एक ही बार धुलने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि साल भर में 8 महीने सूती कपड़ा पहना जाता है और 4 महीने ऊनी कपड़ा पहना जाता है। इस तरह से उनका निकालने का जो तरीका है उसमें भी कुछ सत्यता है। ऐसा नहीं है कि वास्तविकता से बहुत दूर है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

यह डेढ़ रुपये का रेट किस सन् में निर्धारित हुआ था और इस रेट को बढ़ाने की घोषणा करने में क्या आपत्ति है।

श्री राजमंगल पांडेय--

इसका तो उत्तर दिया जा चुका है । पहले किसी जमाने में तो रेट 12 आने था । फिर डेढ़ रुपया हुआ । अब इसको 2 रुपये तक तो बढ़ाना वित्त विभाग ने स्वीकार कर लिया है । हमारी कोशिश है और बढ़ जाय ।

पुलिस कानिस्टेबुल के पद के लिए भर्ती के पूर्व हरिजनों को प्रशिक्षित करने की योजना

श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर), श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि हरिजन कल्याण विभाग के वर्ष 1973-74 के बजट में पुलिस कान्स्टिबिलों के पदों के लिये भर्ती के पूर्व प्रशिक्षण देने हेतु दो लाख रुपये का प्राविधान किया गया था जिसमें 1 लाख 95 हजार रुपया बगैर व्यय किये समर्पित कर दिया गया ? यदि हां, तो न व्यय किये जाने के लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार इस बात की जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय---

जी हां । 2 लाख रुपये का प्राविधान था । जिसमें से 5,500 रु० व्यय हुआ और 1 लाख 94 हजार पांच सौ रुपया समर्पित किया गया ।

उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये जांच आदेश दे दिये गये हैं ।

जांच उपरान्त उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गुलाब मेहरा--

इस योजना को चलाने वाले कौन-कौन अधिकारी थे और उनको क्या निर्देश दिये गये थे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

यह योजना 7 सेंटर्स के लिये थी, मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ इलाहाबाद, वाराणसी, और गोरखपुर । यहां के पुलिस कप्तानों के डिस्पोजल पर यह रकम रखी गयी थी ।

श्री रामलाल राही--

जांच के आदेश कब दिये गये और कौन अधिकारी जांच कर रहा है ? क्या वर्तमान सत्र में जांच रिपोर्ट पूरी कराकर सदन में रखेंगे?

श्री राजमंगल पांडेय---

पुलिस महानिरीक्षक को कह दिया गया है कि वे इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें । इस बात की पूरी कोशिश की जायेगी कि जल्दी से जल्दी जांच पूरी हो जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

यह रुपया जो खर्च होने से बच गया वह किन कारणों से बच गया, क्या हरिजनों की भरती कम हुई ? उन्होंने क्या स्पष्टीकरण इसके खर्च न होने का दिया है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

केवल एक सेंटर लखनऊ में ही 5,500 रुपये खर्च हुए, बाकी किसी सेंटर पर कोई खर्च नहीं हुआ । इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है और उसकी जांच भी चल रही है।

श्री गुलाब सेहरा--

यह 5,500 रुपये किस मद में खर्च हुए, क्या अधिकारियों के किराये और भत्ते आदि में खर्च हुए हैं ? किस सेंटर पर खर्च हुए हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

एक सेंटर पर 3 बैचों में 21 हरिजन लड़के लिये गये जिनके प्रशिक्षण आदि पर यह खर्च हुआ । पहले बैच में 3, फिर 7, अंतिम बैच में 11 लड़के आये थे ।

श्री रामलाल राही---

जब यह योजना चलायी गयी तो क्या आदेश दिये गये थे, मंत्री जी उसे बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, निर्देश तो यही थे कि यह फंड उनके डिस्पोजल पर हरिजन अभ्यर्थियों के खर्च के लिये रखा रहा है । जिन सेंटर्स के लिये यह पया दिया गया उन पर यह खर्च नहीं हुआ ।

श्री राम लाल राही--

मान्यवर, किस प्रकार से यह भरती की गयी थी ? क्या इस भरती के लिये कोई निर्देश दिये गये थे या प्रचार किया गया था ? और क्या अधिकारियों ने इस भरती के लिये प्रचार किया था ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, निर्देश कोई ऐसे नहीं हैं कि गांव-गांव जाकर भर्ती के लिये प्रचार किया जाय। सूचना को नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है और लोकल प्रेसों को दिया जाता है । हर जगह के लिये निदश एक जैसे हैं । नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है कि फलां तारीख तक आवेदन-पत्र लिये जायेंगे । उसके बाद आवेदन-पत्रों की जांच होती है । यही प्रोसीजर है और इसे एडाप्ट किया गया ।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)--

मान्यवर, जो यह रुपया वापस किया गया क्या कोई इस विषय में अन्तरिम रिपोर्ट दी गयी कि रुपया खर्च नहीं हुआ है । मान्यवर, यह हरिजनों का मामला था । क्या उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं किया है, कोई कार्यवाही की जायेगी?

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य उत्तर को देखें तो मैंने कहा है कि जांच के आदेश दिये गये हैं और जांच की पूरी कार्यवाही की जायगी । यह क्वेश्चन के आनसर में है । मैं यह कहता हूं कि जो भी अधिकारी दोषी होगा और जिसकी वजह से प्रशिक्षण में विलम्ब हुआ होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रशिक्षण के लिये पया रखा गया था, लखनऊ को छोड़कर बाकी 6 सेंटरों पर कोई भरती ही नहीं की गयी ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि वहां भरती नहीं हुयी और सारा रुपया लौट आया ।

(शोर)

श्री राम लाल राही--

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो रुपया पिछले वर्ष खर्च नहीं हुआ है, क्या वर्तमान बजट में इस रुपये को खर्च किया जायेगा ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, यह 1 लाख रुपया इस मद में रखा गया है और इसी मद पर खर्च होगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला परिषद्, फर्रुखाबाद के कर्मचारी पर कथित फौजदारी मुकदमा

1--श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद फर्रुखाबाद् के कार्यालय में ऐसे कितने उत्तरदायी कर्मचारी हैं जिन पर फौजदारी की गम्भीर दफायें 469, 470, 471 व 120-बी के अन्तर्गत मुकदमे चल रहे हैं और वे फिर भी यथावत् कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसके विरुद्ध उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत फौजदारी के मुकदमें चल रहे हों । अतएव प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

उप निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, के पद पर नियुक्ति

*2---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप-निदेशक, स्थानीय-निकाय के पद के लिये क्या सेवा शर्तें और वास्तविक अर्हतायें हैं तथा वर्तमान उप-निदेशक उन सभी शर्तों एवं अर्हताओं का भली-भांति पूरी करते हैं ? यदि नहीं, तो उनकी नियुक्ति किन विशेष कारणों से उस पद पर की गई थी ? और क्या यह सही है कि इस पद पर एक वर्ष से अधिक कार्य करने पर लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था परन्तु अभी तक नहीं दिया गया ?

श्री राजमंगल पांडेय--

उप निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय का पद उत्तर प्रदेश सिविल (प्रशासकीय शाखा) सेवा के ज्येष्ठ वेतनमान में सृजित किया गया था । बाद में यह निर्णय लिया गया कि इस पद पर उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीयित प्रशासी (प्रवर) सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया जाय और उसके लिये श्री पी0 एन0 बाजपेयी का चयन किया गया। उपर्युक्त पद पर एक साल से अधिक अस्थायी नियुक्ति के संबंध में लोक सेवा आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित जैसा अभी उन्होंने अप उत्तर में बताया कि उप निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय का पद पर उत्तर प्रदेश सिविल (प्रशासकीय शाखा) सेवा के ज्येष्ठ वेतन मान में सृजित किया गया था। लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि इस पर उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीयत प्रशासी (प्रवर) सेवा के अधिकारी को

नियुक्त किया जाय । तो श्री बाजपेयी का जो चयन किया गया वह किस आधार पर किया गया, क्या वह ज्येष्ठता के आधार पर किया गया या उनके सर्विस रिकार्ड की अच्छाइ यों को देखते हुए किया गया या उनमें कोई विशेष योग्यतायें थीं ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, पहले पी0सी0एस0 अधिकारी के नियुक्त करने की बात थी, लेकिन बाद में यह विचार त्याग दिया गया । उसके बाद मान्यवर, जो उप नगर अधिकारी थे, इन 7–8 लोगों की एप्लीकेशन्स ली गयीं थीं । उनमें श्री बाजपेयी सबसे योग्य पाये गये और उनकी नियुक्ति की गयी ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी है कि श्री बाजपेयी के विरुद्ध विजीलेंस इंक्वारी हो चुकी थी और उसके साथ ही जो उनके पिछले रेकार्ड थे वह उनके विरुद्ध थे ? क्या उनको ध्यान में रखकर उनकी नियुक्ति की गई?

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, मुझे आज भी पता नहीं कि उनके खिलाफ विजीलेंस इंक्वारी थी । जितने नाम आये उनमें श्री बाजपेयी को इसलिये चुना गया कि वे अच्छे पाये गये ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या माननीय मंत्री जी इस सूचना क सही मानकर कि श्री बाजपेयी को चरित्र पंजिका लाल स्याही से लिखी है और दूसरे भ्रष्टाचार के उनके खिलाफ आरोप थे जिसकी विजीलेंस में इंक्वारी हो रही थी तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ? और जिन्होंने गलत ढंग से उनकी नियुक्ति की है उनको दंडित करने की भी कृपा करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

विजीलेंस की इंक्वारी से ही हम किसी अधिकारी को करप्ट नहीं मानते हैं । अगर विजीलेंस ने उनकी इन्टीग्रीटी के बारे में खिलाफ लिखा तो मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उसकी जांच की जायेगी । दूसरी चीज है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया है कि वह श्री बाजपेयी के रिकार्ड को देखें । यदि वह एप्रूव्ड नहीं करते हैं तो उनको नहीं रखा जायेगा।

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)---

मंत्री जी ने कहा कि विजीलेंस इंक्वारी से हम किसी अधिकारी को भ्रष्ट नहीं कहते हैं तथा विजीलेंस इंक्वारी होने के साथ ही यह सरकार उसको तरक्की भी दे देती है । तो विजीलेंस कमीशन पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है?

श्री राजमगल पांडेय---

मैंने कहा कि केवल आरोप-पत्र के दाखिल होने या केवल विजीलेंस इंक्वारी से अधिकारी को करप्ट नहीं कहा जायेगा जबतक कि विजीलेंस लिख न दे कि इंटीग्रीटी उसकी खराब हैं और उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि अभी विजीलेंस के सिलसिले में फ़र्माया कि किसी को इंक्वारी के तरीके से मुजरिम करार नहीं किया जा सकता है तो किसी को किस तरीके पर मुजरिम करार किया जा सकता है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, यदि आफिसर के खिलाफ चार्जेज साबित हो जायं तो उसका हम प्रोमोशन नहीं होने देंगे ।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह कहा गया है कि जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालीफिकेशन है उसके अनुसार उम्मीदवार नहीं आते हैं तो जब सरकारी नियम हैं तो उसके अनुसार दुबारा गजट क्यों नहीं कराया गया । उस व्यक्ति को क्यों रखा गया ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मैंने कह दिया कि पहले एक सीनियर पी०सी०एस० का अधिकारी रखा जाने वाला था वह विचार ड्राप कर दिया गया । तो उस पद पर किसी को रखा जाना था । उपनगर अधिकारी जो थे उनमें श्री बाजपेयी अच्छे थे इसलिये मैंने उनकी नियुक्ति कर दी।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

प्रश्न यह है कि इस पद के लिये किसने चयन किया और जानबूझकर कह दिया कि जानकारी नहीं थी कि उनके खिलाफ विजीलेंस इंक्वारी हो रही है । तो क्या माननीय मन्त्री जी उस चयन करने वाले अधिकारी के खिलाफ इस बात के लिये कि उसने विजीलेंस की रिपोर्ट आने तक नियुक्ति रोक दी जानी थी, कार्यवाही करेंगे ? उसने इनको जानकारी नहीं दी या फिर यह इंटरेस्टेड रहे होंगे। क्या आप उसके खिलाफ इंक्वारी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप सोच लीजिये कि क्या पूछना चाहते हैं। आप बहुत भ्रमित हैं।

श्री रामायण राय—

क्या यह सही है कि जब किसी अधिकारी के खिलाफ जांच चलती रहती है तो दौराने जांच उसकी पदोन्नति रोकने का शासकीय नियम नहीं है और इसी नियम के तहत में यह पदोन्नति की गयी?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, यह नियम अवश्य है कि किसी अधिकारी के खिलाफ जांच ही ऐसा कारण नहीं है कि उसकी पदोन्नति न हो सके । लेकिन इस पर्टीकुलर केस में हमको नहीं मालूम कि कोई विजीलेंस की इंक्वारी हुई और अगर हुई तो विजीलेंस ने क्या रिपोर्ट दी ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाजपेयी के अलावा किन-किन लोगों के प्रार्थना-पत्र आये थे और उनकी क्या-क्या क्वालीफिकेशंस थीं ।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं नाम तो नहीं बतला सकता लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है उसके खिलाफ यह कह सकता हूं कि छः सात आठ लोगों की एप्लीकेशंस थीं ।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री राम सेवक यादव, श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री भारत सिंह चौहान—

[7वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या 47 अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

रुदौली सहकारी क्रय-विक्रय समिति, बाराबंकी में अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की जांच

*2—श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—(अनुपस्थित) श्री बेनी प्रसाद वर्मा—(जिला बाराबंकी) तथा श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या रुदौली सहकारी क्रय-विक्रय समिति जनपद बाराबंकी की अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की वर्ष 1972 में कोई जांच हुई थी ? यदि हां, तो क्या जांच में समिति में भारी आर्थिक क्षति पाई गई ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

प्रश्नगत समिति के संचालन व वित्तीय दशा के संबंध में गम्भीर अनियमिततायें प्रकाश में आने पर 1972 में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत जांच करायी गयी थी ।

जांच से 1,43,893.37 रु0 की क्षति प्रकाश में आयी । इसके फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत सरचार्ज की कार्यवाही संचालक मंडल के सदस्यों तथा सचिवों व्यवस्थापकों के विरुद्ध प्रारम्भ कर दी गयी है।

सचिवों/व्यवस्थापकों में से एक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई । शेष तीन के विरुद्ध उक्त कार्यवाही विचाराधीन है ।

ब्लाक प्रमुख, रसूलाबाद, कानपुर का अमर शहीद राजा दरियाव चन्द्र हायर सेकेन्डरी स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करना

*3—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया बतावेंगे कि कानपुर जिले के विकास खंड रसलाबाद के ब्लाक प्रमुख अमर शहीद राजा दरियाव चन्द्र हायर सेकेन्डरी स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ब्लाक प्रमुख प्रधानाचार्य का वैतनिक कार्य कर सकता है ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां । क्षेत्र समिति का प्रमुख निजी संस्था का वैतनिक कार्य करने से प्रमुख पद के लिये अनर्थ नहीं होता।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी हमारी सूचना को सही मानकर रसूलाबाद के ब्लाक प्रमुख का तीन महीने से मस्तिष्क विकृत है इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरा प्रश्न है । आपने जो कानूनी प्रश्न उठाया था उसका उत्तर आ गया ।

रूरा झिझक सड़क, कानपुर का निर्माण-कार्य

*4--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत रूरा से झींझक तक नहर की पटरी को पी० डब्लू० डी० की ओर से पक्की सड़क बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस सड़क की लम्बाई कितनी है और निर्माण का कार्यक्रम कब से प्रारम्भ किया गया और काय पूर्ण होने का लक्ष्य कब तक था ? अब तक इस सड़क के निर्माण में किस प्रकार का कार्य कितनी दूरी तक हुआ है ? इसकी कुल लागत धनराशि क्या है और अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी, हां। इस सड़क की लम्बाई 18 कि० मी० है । इसका निर्माण कार्य 30-11-71 से आरम्भ किया गया और 31-3-74 तक पूरा करने का लक्ष्य था। इस सड़क के निर्माण में उपलब्ध सूचना के अनुसार 14 कि० मी० तक पेटिंग का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 4 कि० मी० पर सीलिंग कार्य पूरा हो चुका है तथा 3 कि० मी० पर इन्टर कोट व टाप कोट भी करा दिया गया है। 8 पुलियों का निर्माण भी हुआ है। इस सड़क के निर्माण की अनुमति कुल लागत 13.86 लाख रु० है। जिसमें से जून 1974 तक 13.20 लाख रु० व्यय किया जा चुका है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित 30 नवम्बर, 71 से यह कार्य आरम्भ होना था और 31 मार्च, 74 तक इसको बनाने का लक्ष्य था। लेकिन इस लक्ष्य की पूर्ति न होने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, जिधर से यह सड़क निकल रही थी उधर बन विभाग के पेड़ खड़े थे। उन के कटवाने में बिलम्ब हुआ। 4 बार नीलाम की तारीख निश्चित हुई। उसमें किसी ने बोली नहीं बोली। सितम्बर आखिरी तारीख तय हुई और उस रोज इन पेड़ों को नीलाम कर दिया गया और तब उसके बाद निर्माण-कार्य प्रारम्भ हुआ।

बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की आडिट रिपोर्ट तथा संघ के बन्द हो जाने के कारण कर्मचारियों का वेतन न मिलना

*5--श्री शिव प्रसाद गुप्त (जिला आगरा)--

क्या यह सत्य है कि दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ बरेली के वर्ष 1969-70 के आडिट के दौरान दुग्ध संघ में दो रोकड़ बहियां पकड़ी गई थी ? तथा आडिट ने यह रिपोर्ट दी कि तत्कालीन दुग्ध संघ के सचिव प्रबन्धक ने वर्ष 1969-70 में तीन चेकों द्वारा कुल 7,500 रु० की धनराशि बैंक से निकाली जिसका इन्दराज कैस बुक में नहीं किया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

यह सत्य है कि बरेली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के वर्ष 1969-70 के आडिट के दौरान सम्प्रेक्षण द्वारा दो रोकड़ बहियां देखी गई थी, एक कच्ची रोकड़ बही तथा दूसरी वास्तविक रोकड़ बही थी। जिसका उल्लेख सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। इसका अनुपालन दुग्ध संघ द्वारा किया जा रहा है।

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव]

सम्प्रेक्षण ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी है कि दुग्ध संघ के तत्कालीन सचिव प्रबन्धक द्वारा वर्ष 1969–70 में तीन चेकों से 7,500 रु० की धनराशि बैंक से निकाली गई और जिसका इन्दराज कैश बुक में नहीं किया गया। अतः इस आधार पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*6—श्री शिव प्रसाद गुप्त—

क्या यह सत्य है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० बरेली पिछले लगभग 3 वर्षों से शासकीय आर्थिक सहायता न मिलने के कारण बन्द पड़ा है और इस दुग्ध संघ के कर्मचारियों को लगभग 3 वर्षों से वेतन नहीं मिला है? क्या शासन इस दुग्ध संघ को पुनः चलाने की व्यवस्था कर रहा है? यदि हां, तो कब तक यह संघ पुनः कार्य करना आरम्भ कर देगा?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

बरेली दुग्ध संघ द्वारा संचालित दुग्धशाला दिनांक 26–2–1972 से कार्यशील पूंजी समाप्त हो जाने के कारण बन्द है। कर्मचारियों का वेतन भी पिछले तीन वर्षों से बकाया है। दुग्धशाला के पुनः संचालन हेतु प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि० लखनऊ को उसका प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है और फेडरेशन द्वार दुग्धशाला को पुनः संचालित कराने का मामला शासन के विचाराधीन है। यह नहीं कहा जा सकता है कि दुग्धशाला का कार्य कब से प्रारम्भ हो सकेगा।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने फर्माया कि आडीटर ने रिपोर्ट नहीं दी। तो क्या यह सही है कि डिप्टी रजिस्ट्रार, बरेली ने इन्क्वायरी की थी और उसमें यह रिपोर्ट दी थी कि इन्होंने 3 चेक निकाली जो कि कैश-बुक में जमा नहीं हैं? अगर सही है, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

आडीटर ने कोई जांच की है या नहीं? डिप्टी रजिस्ट्रार ने जांच की है और उनकी रिपोर्ट में दिया है कि 3 चेक 7,500 रुपये की निकाली गयीं लेकिन उसका इन्दराज कैश बुक में नहीं किया गया। इसके अलावा दो रोकड़ बहियां रखी गयी हैं। तो क्या कहीं और भी दो रोकड़ बहियां रखी जाती हैं? 1970 में बैलेंस शीट बनायी गयी है। कितना गम्भीर आरोप है। मंत्री जी ने इस बात का लाभ उठाया कि आडीटर ने रिपोर्ट नहीं दी। मैं कहता हूं कि डिप्टी रजिस्ट्रार ने तो रिपोर्ट दिया है?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया स्पष्ट प्रश्न करें।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

क्या 1968–69 की बैलेन्स शीट बनी या नहीं और नहीं बनी तो क्या कारण था? क्या कारण थे कि जिसकी वजह से दो रोकड़ बहियां रखी गयीं? क्या कहीं और भी दो रोकड़-बहियां रखी जाती हैं?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मान्यवर, दो रोकड़ बहियों का तो जवाब मैंने दे दिया है। दूसरी बात 7,500 रुपये निकालने की है। इसके लिये जब आडीटर गये तो उन्होंने देखा कि वह हर रोज पेंसिल से नोट कर लिया करते थे और उसके बाद फिर उसके अनुसार दूसरी रोकड़ बही बनाते थे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

(प्रश्न संख्या 6 के संबंध में)

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि कर्मचारियों को 3 वर्षों से वेतन नहीं मिला। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों का कुल कितना वेतन होता और है क्या इनके पास इतने एसेट्स हैं या नहीं कि इन मजदूरों का वेतन भुगतान हो सके ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

पूरा वेतन है 67,385 रु0 98 पैसे। यह सही है कि उसके पास कार्यशील पूंजी नहीं थी। लिहाजा पैसा नहीं है जिससे भुगतान किया जा सके।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

एसेट्स कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर दे दिया गया।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

67 हजार रुपया कर्मचारियों का बाकी है लेकिन वह नहीं दिया गया तो कर्मचारियों का वेतन देने का प्रबन्ध कैसे हो रहा है ? प्रशासक कब नियुक्त किया गया और वह क्या कर रहा है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

संघ की जो हालत थी वह मैंने निवेदन कर दी। यह विचार हो रहा है कि किस तरह से कर्मचारियों का वेतन दिया जाय और संघ के सिलसिले में क्या किया जाय यह भी विचाराधीन है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

प्रशासक कब नियुक्त किया गया और उसने क्या किया है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

11-7-73 को प्रशासक नियुक्त किया गया। उन्होंने 6 लाख 55 करोड़ रुपया शासन से मांगा था जिससे काम फिर से शुरू करें लेकिन वह पैसा अभी तक नहीं दिया गया है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

संचालक मंडल के सदस्य जो हैं उन पर 3 लाख रुपया ऋण के रूप में बकाया है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

यह सही है कि 2,83,604 रु0 58 पैसे संघ को देने हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रमिकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है लेकिन पिछले वर्ष में कई हजार रुपया मशीनों की सफाई पर खर्च किये गये है तो वह खर्चा कहां से किया गया और श्रमिकों का वेतन कब तक आप दिलवा देंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

पारसाल सफाई मशीनों की हुई तो इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। यह सही है कि श्रमिकों को वेतन मिलना चाहिये। इस पर किसी न किसी तरह से विचार करके व्यवस्था की जायगी।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

7,500 रुपये के तीन चेक काटे गये और डिप्टी रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट की कि वह रुपया जमा नहीं है तो क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मैंने पहले ही निवेदन किया कि 7500 रुपये की सूचना न आडिट रिपोर्ट में है और न किसी दूसरे ने रिपोर्ट की, लिहाजा उसकी जानकारी मुझे नहीं है।

सहकारिता विभाग के सहायक निबन्धकों के रिक्त पदों के लिए चयन

*7--श्री कल्याण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1971-72 से प्रदेश में सहायक निबन्धकों के लगभग 42 स्थान रिक्त चले आ रहे हैं जिन्हें भरने के लिये जून 1973 में विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा ग्रुप प्रथम, इन्सपेक्टर्स कोआपरेटिव में से पदोन्नति एवं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ग्रुप प्रथम इन्सपेक्टर्स में से चयन किये गये 42 व्यक्तियों की सूची तैयार की थी ? यदि हां, तो उपरोक्त सूची में कौन-कौन व्यक्ति है और सरकार उन्हें सहायक निबन्धकों के पद पर कब तक नियुक्त कर देगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

प्रथम वर्ग इन्सपेक्टर्स में से सहायक निबन्धकों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति हेतु योग्य इन्सपेक्टरों के चयन के लिये एक विभागीय समिति बैठी थी। उसकी संस्तुतियों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सका। अतः इस समिति द्वारा बनायी गयी सूची के प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याण सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन से तथ्य थे जिनके अभाव में समिति की संस्तुतियों को शासन ने स्वीकार नहीं किया है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

श्रीमान् जी, जो कमेटी बैठी थी उसमें जितने लोग लेने थे उनमें किसी के कागजात तैयार नहीं थे। यह निश्चय हुआ कि जब सारे कागजात तैयार हो जायं उसके बाद ही अंतिम सूची तैयार कर ली जाय।

श्री ऊदल--

यह सूची कब तैयार हो जायेगी और कब तक आपका निर्णय होगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मैं बता रहा हूं। उसके बाद यह हुआ कि जब पूरे कागजात आ जायं तब निर्णय होगा। तदुपरान्त 31-12-73 को शासन का निर्णय हुआ कि जहां पर पदोन्नति का सवाल ज्येष्ठता के आधार पर हो तो वहां पर पदोन्नति में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आरक्षण दिया जाय। उसके बाद 20 मार्च, 1974 को यह हुआ कि ज्येष्ठता के

आधार पर एड-हाक पदोन्नति दी जाय और उनमें भी अनसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण रखा जाय। इस वजह से वह कार्यवाही पूरी न हो सकी। अब वह कार्यवाही जल्द हो रही है और मेरा विश्वास है बहुत शीघ्र वह पूरी हो जायेगी। यह सूची 42 व्यक्तियों की नहीं है बल्कि 54 व्यक्तियों की है।

*8—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

(7वें मंगलवार के लिये स्थगित)।

बटावनकलां सहकारी समिति, लखनऊ के सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायत

*9—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी समिति बटावन कलां विकास क्षेत्र काकोरी जिला लखनऊ से सम्बन्धित सुपरवाइजर के विरुद्ध सन् 1970 से अब तक अनेकों शिकायत विभाग तथा सरकार को प्राप्त हुई हैं और क्या उनके विरुद्ध सहायक निबन्धक सहकारी समितियां लखनऊ ने पुलिस में कोई रिपोर्ट भी दर्ज कराई है? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर तथा अन्य शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां। शिकायतों के फलस्वरूप बराबनकलां सहकारी समिति की जांच करायी गयी। जांच की प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही बैंक ने सुपरवाइजर के विरुद्ध कार्यवाही करना प्रारम्भ किया। जांच अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट आने पर पुलिस में रिपोर्ट लिखायी गयी। कार्यवाही जारी है।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय क्या-क्या कार्यवाही जारी है और सुपरवाइजर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

श्रीमान जी, यह मामला सहकारिता विभाग के विशेष अनुसंधान शाखा को इन्वेस्टीगेशन के लिये दे दिया गया है।

नगरपालिका बरेली के अध्यक्ष, सदस्यगण एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट

*10—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरापालिका बरेली के अध्यक्ष, सदस्यगण एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की श्री ज्योति पाण्डेय, सिटी मजिस्ट्रेट बरेली की जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो कब?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां।

उक्त रिपोर्ट शासन को 21 फरवरी, 1974 को प्राप्त हुई।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य बातें दिखाई गई हैं?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, रिपोर्ट में तो बहुत कुछ बातें है। कुछ शिकायतें की गई है जैसे राजनैतिक दबाव भी एक कारण बताया गया है। कुछ वित्तीय अनियमितताये भी बताई गई हैं जिनके बारे में वहां के अध्यक्ष को आरोपित किया जा रहा है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि 21 फरवरी से अबतक सरकार ने क्या कार्यवाही की है? जब कि भ्रष्टाचार, बेईमानी तथा गबन आदि दुनिया भर की चीजें रिपोर्ट में पायी गई है, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है, इसके क्या कारण हैं?

श्री राज मंगल पांडेय—

जो भी आरोप हैं उनमें कोई भी सत्यता नहीं पायी गई है। एक रिपोर्ट कर्मचारियों के फंड के बारे में है कि उसे जमा हो जाना चाहिए था उसे उसी वक्त जमा न करके काफी दिनों के बाद जमा किया गया। यह गम्भीर अनियमितता है जिस पर उन्हें आरोपित किया जा रहा है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या उस रिपोर्ट की नकल सरकार सदन के पटल पर रखेगी?

श्री राजमंगल पान्डेय—

मान्यवर, जो आरोप है और जो आरोपवाईस इंक्वायरी हुई है, वह यदि कहें तो पढ़ कर यहां सुना दूं?

श्री अध्यक्ष—

वह कितना बड़ा है, मुख्य पढ़ दें।

श्री राजमंगल पान्डेय—

आरोप पहला, अध्यक्ष नगरपालिका ने नगरपालिका की कुछ भूमि अनियमित रूप से लोगों को लाभान्वित करने की गरज से दी। दूसरा, नालों की सफाई के लिये 7 लाख रुपया का ऋण फर्जी एस्टीमेंट बनाकर अपव्यय किया। तीसरा, नगरपालिका बरेली में गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो गया है और चौथा नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन से प्राविडेन्ट फण्ड का रुपया काटा जाना तथा उसे विलम्ब से जमा करना।

अब उन पर रिपोर्ट इस प्रकार है, पहले आरोप के सम्बन्ध में, मामले में विस्तृत जांच करके कुछ पट्टों को अनियमित रूप से सिद्ध होना पाया गया है तथा कुछ के सम्बन्ध में आरोप मिथ्या हैं। जिन नगरपालिका की भूमि को पट्टे पर किये जाने के सम्बन्ध में आरोप सिद्ध पाये गये है उनके सम्बन्ध में नगरपालिका 5 अनुभाग द्वारा परीक्षण करके अग्रिम कार्यवाही करने का प्रस्ताव है। दूसरे आरोप के सम्बन्ध में जांच अधिकारी ने कहा है कि नालों की सफाई के लिये दिये गये 7 लाख रुपये के अपव्यय की शिकायत निस्सार है, अर्थात् इसमें कोई तथ्य नहीं है। तृतीय आरोप के सम्बन्ध में जांच अधिकारी ने कहा है कि आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। कूड़ा डालने के ड्रमों की खरीद के सम्बन्ध में जो शिकायत है वह प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि ड्रम जितने खरीदे गये, स्टाक में हैं तथा उनके क्रय करने की प्रणाली में सभी नियमों का पालन कर लिया गया है। चौथे आरोप के बारे में यह सिद्ध हुआ कि कर्मचारियों के फण्ड का रुपया उनके खातों में विलम्ब से जमा हुआ जिससे कर्मचारियों को व्याज में हानि हुई। यह अनियमितता गम्भीर है और इस सम्बन्ध में जांच अधिकारी ने कहा कि इस पर अध्यक्ष को आरोपित किया जा सकता है। जब उन्होंने कहा लिखा कि किया जा सकता है, तो इस पर आरोपित होने जा रहे हैं।

श्री सत्यप्रकाश (जिला बरेली)—

बरेली नगरपालिका में 5 लाख रुपये का गबन किया गया है, और उसकी रिपोर्ट भी शासन ने लिखाई है, तो अभी तक उसका क्या किया गया है ?

श्री राजमंगल पान्डेय—

इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद —

क्या माननीय मख्य मंत्री बताएंगे कि कर्मचारियों के विरुद्ध क्या क्या आरोप है ? यह भी बताएं कि मंत्री जी क्या कभी नगरपालिका बरेली में गये हैं और वहां की गंदगी की हालत देखी है ?

श्री राजमंगल पान्डेय—

मान्यवर, नगरपालिका की सफाई के बारे में लखनऊ में बैठकर कुछ भी नहीं बता सकता हूं । लेकिन कर्मचारियों के बारे में कोई शिकायती-पत्र नहीं है । अध्यक्ष नगरपालिका के बारे में जो पत्र था, उस विषय में सब कुछ बता दिया है ।

*11—श्री हरीश कुमार गंगवार—

(7 वें मंगलवार के लिए स्थगित ।)

जमानियां तहसील, जिला गाजीपुर के बड़ी आबादी वाले गांवों को गांव सभा बनाने की मांग

*12—श्री रामजी (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के जमानियां तहसील में मिर्चा, जबुरना, धनाढ़ी और पलिया जो बड़े आबादी के गांव हैं उन्हें गांव सभा बनाने का प्रश्न प्रशासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूरा होने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं । क्योंकि ये माल के गांव नहीं हैं ।

अतरौली उत्तरी क्षेत्रीय सहकारी समिति, अलीगढ़ के संचालक मण्डल का निलम्बन

*13—श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि डिप्टी रजिस्ट्रार कोआपरेटिव, आगरा ने दिनांक 6 अप्रैल, 1974 के अपने आदेश-पत्र में अतरौली उत्तरी क्षेत्रीय सहकारी समिति लि०, अतरौली, जिला अलीगढ़ के संचालक मण्डल को निलम्बित करने की सिफारिश भी की थी? यदि हां, तो निलम्बन के कौन-कौन से आधारों का उल्लेख है तथा अभी तक उक्त संचालक मण्डल को निलम्बित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कल्याण सिंह—

मैंने जो डिप्टी रजिस्ट्रार के पत्र की तिथि दी है वह 6 अप्रैल, 1974 के बजाए 6 मई, 1974 है।

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि डिप्टी रजिस्ट्रार, आगरा ने अपने पत्रांक 10396/96, दिनांक 11—9—73 और दूसरे पत्र संख्या 18441/43/ बैंकिंग, दिनांक 6—5—64 द्वारा इस संचालक मंडल को कोई चार्जशीट दी है ? यदि हां, तो वह क्या है, आरोप क्या हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

अब आप जो 6—5—74 दिनांक बता रहे हैं, इसको तो खोजना पड़ेगा। आप दूसरी सूचना दे देना, हम इसका जवाब दे देंगे।

श्री कल्याण सिंह—

मेरी सूचना को सही मानकर, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, यों हमारी सूचना को सरकार कोई महत्व नहीं देती है। एस० एस० एस० नार्थ, अतरौली में हजारों रुपये का घपला है। संचालक मण्डल में नौ सदस्य है उनके विरुद्ध डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपने पत्र संख्या 18441—43/ बकिंग, दिनांक 6—5—74 द्वारा चार्जशीट दी है, जवाब मांगा गया है, जवाब दिया है या नहीं, मुझे पता नहीं, पब्लिक फंड का बुरी तरह से मिसयूज हो रहा है, मेरी सूचना को सही मान कर जिस पत्र का हवाला दे रहा हूं, उस हवाले से जांच कराएंगे और संचालक मण्डल के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

निश्चित्, श्रीमन्।

जिला सहकारी बैंक खेखड़ा, जिला मेरठ में गबन

*14—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ स्थित मेरठ जिला सहकारी बैंक शाखा, खेखड़ा में जो गबन दिनांक 29 मई, 1973 से 2 जून, 1973 के बीच पकड़ा गया और जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना खेखड़ा में दिनांक 2 जून, 1973 को दर्ज कराई गई, उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मेरठ जिला सहकारी बैंक लि०, की खेखड़ा शाखा में दिनांक 29 मई, 1973 से 2 जून, 1973 के बीच कोई गबन नहीं पकड़ा गया और न ही ऐसी कोई रिपोर्ट पुलिस थाना खखड़ा में 2—6—73 को दर्ज कराई गई। बल्कि दिनांक 2—7—73 को इस शाखा में मुद्रांक 64,194.10 रु० की धनराशि की चोरी का मामला जानकारी में आया और उसी दिन इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना खेखड़ा में दर्ज कराई गई।

पुलिस ने मामले की विवेचना के पश्चात् मुकदमा चालान करके दिनांक 27—11—73 को चार्जशीट न्यायालय भेज दी है और अब यह मामला न्यायालय में चल रहा है।

*15—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

(७वें मंगलवार के लिए स्थगित)।

*16—श्री मलखान सिंह—

(9वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)।

आवास एवं विकास परिषद्, उ० प्र० के अधीन तेलगढ़ी आवास योजना, मेरठ में सीमेन्ट लोहे की चोरी

*17--श्री मोहन लाल कपूर (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश के अधीन मेरठगढ़-रोड पर तेलगढ़ी के निकट निर्मित आवास में सैकड़ों बोरी सीमेंट तथा काफी मात्रा में लोहा चोरी चला गया है ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

सीमेंट की 145 बोरियां चोरी चली गई हैं किन्तु लोहा चोरी नहीं गया है। सीमेंट की चोरी की सूचना प्राप्त होने पर उसकी जांच कराई गई और आवास एवं विकास परिषद् द्वारा दोषित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और तीन अवर अभियन्ताओं की सेवा समाप्त कर दी गई तथा सीमेंट के दाम की वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

इकोनामिक बोटेनिस्ट, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत

*18--चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद स्थित इकोनामिक बोटेनिस्ट अपने वर्तमान पद पर कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं तथा क्या उनके विरुद्ध शिकायत भी सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

फैजाबाद स्थित एकोनामिस्ट बाटेनिक अपने वर्तमान पद पर दिनांक 18 फरवरी, 1964 से कार्य कर रहे हैं। उनके विरुद्ध शासन को सन् 1971 में शिकायतें प्राप्त हुई थीं उसकी जांच सतर्कता अधिष्ठान और निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान द्वारा कराई गई। उक्त दोनों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। और उन पर विचार किया जा रहा है।

चौधरी चरण सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि 1964 से 1974, दस साल तक इनका वहां से ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, शिकायत-पत्र जो है वह 1971 में प्राप्त हुआ था। इसमें 12 चार्जेज लगाये गये थे। 12 में से 11 बिल्कुल निर्मूल थे। बारहवें के बारे में अनियमितता की बात कही गयी थी। वह भी निदेशक ने कहा कि अनियमितता नहीं है। 1971 से 1973 में यह इंक्वायरी की बात हुई। इक्वायरीज होती रहती हैं। शिकायतें तो आती रहती हैं। इतना बड़ा विलम्ब नहीं है जिसके बारे में खास जवाब दिया जाय।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय मैं क्या कहूं ? आपने भी बोलने की इजाजत दी। वकील होते हुए, मिनिस्टर होते हुए इरलेवेन्ट जवाब दे रहे हैं। मैंने सिर्फ पूछा था कि दस वर्ष तक क्यों रहने दिया गया, तीन वर्ष, पांच वर्ष एक जगह नियुक्त रहता है, इसका जवाब न दे कर शिकायत क्या है उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री राज मंगल पांडेय--

मुझे दुख है, दस वर्ष वाली बात मैं नहीं सुन सका। जब मान्यवर, यह बात हुई, 1964 से 1971 तक कोई शिकायत नहीं रही। इस अधिकारी के बारे में शिकायत नहीं थी, और चूंकि इकानमिक बोटेनिस्ट का स्पेशलाइज्ड जाब है उस पद पर 12--13 साल से रह रहे हैं, शिकायत भी नहीं थी, और चूंकि स्पेशलाइज्ड जाब है उस पर रह रहे थे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि अपने यहां के किसी अधिकारी की शिकायत न हो, तो जब तक वह रिटायर न हो जाय, एक ही जगह पर रहता रहेगा या पांच वर्ष का नियम लागू होगा ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जहां तक स्पेशलाइज्ड जाब है, माननीय मुख्य मन्त्री ने घोषणा की है कि सेंसिटिव जाब्स में तीन वर्ष, पांच वर्ष में ट्रांसफर कर देते हैं, स्पेशलाइज्ड जाब्स में अगर काम ठीक है, 10-12 वर्ष रह सकते हैं, कोई मियाद नहीं है। बहुत से डाक्टर्स ऐसे हैं जो काम में इतने अच्छे हैं कि अगर आज उनको हटा दें तो माननीय सदस्य जो उधर बठे हैं वही कहेंगे कि इन डाक्टरों के हटा देने से जनहित का नुक्सान हो रहा है। जहां पर स्पेशलाइज्ड जाब है वहां मियाद नहीं है पांच वर्ष में जरूर हटा दें।

चौधरी चरण सिंह--

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि जिस फार्म पर वह रिसर्च कर रहे हैं इस तरह के और फार्म भी हैं जहां इनका ट्रांसफर किया जा सकता था ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, चूंकि और जगहें भी हैं, यह बात नहीं है। स्पेशलाइज्ड जाब पर वहां की कंडीशन्स में जो आदमी एडाप्ट होकर रिसर्च कर रहा है, जिसका काम बहुत अच्छा है, केवल समय की पाबन्दी के ऊपर हटा दें इस किस्म की कोई बात नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

रूल्स क्या हैं, कृपया यह बता दें ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, नियम तो मैंने बता दिया कि जनरली ट्रांसफर्स 3-5 साल में हो जायं। लेकिन यदि शासन चाहे तो बाद में भी रख सकता है। इसकी कोई मियाद नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यदि वह इतने योग्य हैं कि इस नियम को लांघ जाते हैं और उनका उससे लाभ है तो क्या यह लाभ दूसरे लोगों को मिल सके ऐसा कुछ करेंगे क्योंकि एक ही जगह पर किसी अधिकारी के ज्यादा दिन रहने पर निहित स्वार्थ हो जाते हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, हम जनता का लाभ देख सकते हैं। जैसा जनता चाहती है वैसा करते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, ऐसे प्रश्न जब हम पूछें तो आप हमारे सहायक हों। एक भी जवाब टू दि प्वाइंट नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष--

अपने जवाब से वह आपकी मदद कर रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, हम चाहते हैं कि सही जवाब आ जाय लेकिन वह सही जवाब न देकर इवेड करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो फैजाबाद में स्थित एकोनामिक बोटेनिस्ट हैं, यह प्रदेश में सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं या और भी अच्छा कार्य कर रहे हैं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, इनका काम तुलनात्मक दृष्टि से तो नहीं देखा बल्कि यह देखा है कि इनका काम अच्छा है और कोई शिकायत नहीं है।

जिला फतेहपुर के अन्तर्गत अमोली व जहानाबाद ग्राम समूह पेयजल योजना.

*19--श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड अमौली, जिला फतेहपुर में मुख्यावास अमौली में पेयजल योजना के आधार पर कोई सर्वे पिछले दो वर्षों में किया गया है ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है और योजना कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

जी हां। अमौली ग्राम समूह पेयजल योजना स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाई जा चुकी है। ऋण तथा अनुदान का प्रार्थना-पत्र एवं उसके रखरखाव का प्रस्ताव जिला परिषद् से मांगा गया है। उसके प्राप्त होने पर मुख्य अभियन्ता द्वारा योजना शासन को प्रशासकीय स्वीकृति हेतु सन्दर्भित की जायगी। शासन द्वारा तभी विचार किया जायगा।

*20--श्री प्रेम दत्त--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा जहानाबाद में जो पेयजल के अन्तर्गत कार्य जिला फतेहपुर में प्रारम्भ किया गया था वह कब तक पूर्ण हो जायगा और प्रगति में इतनी ढिलाई का क्या कारण है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

आशा है कि जहानाबाद पेयजल योजना का कार्य वर्ष 1975 तक पूर्ण हो जाएगा।

श्री प्रेम दत्त--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो तारीख आपने मांगी है वह कौन सी है, और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, जिला परिषद् की तारीख तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि कुछ प्रस्ताव आ चुके हैं और उस पर कार्यवाही हो रही है। इन तमाम चीजों की रिपोर्ट हमने मांगी थी वह नहीं आ रही है इसलिए देरी हो रही है। उनकी आख्या ज्यों ही आ जायेगी कार्यवाही होगी।

श्री प्रेमदत्त--

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रथम प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार पूरा करने का विचार कर रही है और दूसरे यह कि जहानाबाद में पानी का बड़ा अभाव है वहां पानी गन्दा है और फाइलेरिया का मर्ज चल रहा है तो इसको देखते हुए कब तक मन्त्री जी इसको पूरा कराने का विचार कर रहे हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, जहानाबाद के बारे में मैंने बता दिया है कि इसको 1975 तक पूरा कर लेंगे और पहले के बारे में भी बता दिया है कि जिला परिषद् से कागज आ गये हैं और उनका परीक्षण हो रहा है और शासन को स्वीकृति के लिए भेजेंगे। जब वह भेज देंगे तो शासन की तरफ से कोई देर नहीं होगी।

जिला फतेहपुर के अन्तर्गत खजुहा ग्राम समूह पेयजल योजना

*21--श्री रमाकान्त द्विवेदी (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खजुहा, जिला फतेहपुर की पेयजल योजना कब से प्रारम्भ होने जा रही है और उसमें कहां तक प्रगति हो चुकी है ?

श्री राजमंगल पांडेय--

जनपद, फतेहपुर की खजुहा ग्राम समूह पेयजल योजना का प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है तथा जिला परिषद् का प्रस्ताव व ऋण आवेदन-पत्र स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग को विगत 22 जून, 1974 को प्राप्त हो गया है। प्रशासकीय स्वीकृति के लिए जब वह योजना शासन को भेजेगें तभी उस पर विचार किया जाएगा।

श्री रमाकांत द्विवेदी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि खजुहा की योजना का सर्वे 10 वर्ष पूर्व हुआ था और वहां पर इतने जोर का फाइलेरिया है कि वहां के लोग निकल कर बाहर रह रहे हैं तो ऐसी दशा में कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, जो विभाग है, स्वायत्त शासन, वह उसका परीक्षण कर रहा है और शासन की तरफ से कोई विलम्ब नहीं होगा।

श्री प्रेम दत्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की का कष्ट करेंगे कि जैसा कि खजुहा में पानी खराब होने के कारण फाइलेरिया बढ़ रहा है और वहां के लोग दूसरी जगहों पर जा रहे हैं तो इसको देखते हुए सरकार कोई योजना बनायेगी कि यहां के लोग बाहर न जायें ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया कि शासन की तरफ से कोई विलम्ब नहीं होगा।

*22--श्री अठई राम, डाक्टर भगवत दयाल तथा श्री चन्द्र नारायण सिंह--

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

लखनऊ जिले की मलिहाबाद–मोहान सड़क पर बेहता नदी के क्षतिग्रस्त पुल एवं सड़क का पुनर्निर्माण

*23––श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले में मलिहाबाद-मोहान सड़क पर बेहता नदी का पक्का पुल कब से टूटा पड़ा है और उसको मरम्मत करने अथवा नया पुल बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? और यदि नहीं की गई है, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

बेहता नदी का पुल वर्ष 1960 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था और तभी से वह यातायात के लिये बन्द है । वर्ष 1962–63 में शासन ने उक्त पुल के निर्माण के लिये जिला परिषद, लखनऊ को रु० 50.000 का एक अनुदान इस शर्त के साथ दिया था कि वह शासकीय अनुदान के समतुल्य धनराशि अपने कोष से वहन करे । परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण जिला परिषद् अपने कोष से यह धनराशि नहीं जुटा सकी जिसके फलस्वरूप पुल का निर्माण नहीं किया जा सका । जिला परिषद् ने शासकीय अनुदान की धनराशि अप्रैल, 1970 में शासन को वापस कर दी ।

*24––श्री भीखा लाल––

क्या सरकार को जानकारी है कि मलिहाबाद-मोहान सड़क का जितना हिस्सा जिला लखनऊ में आता है वह इतना खराब है कि आवागमन संभव नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेकर उसके पुनर्निर्माण का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

जी हां । इस मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लेने तथा पुल के पुनर्निर्माण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है और यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

श्री भीखा लाल––

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह पुल 1960 में टूट गया था तब से नहीं बना है और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस पुल की महत्ता को स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपया जिला परिषद् को दिया था लेकिन जिला परिषद् ने उसे नहीं बनाया और 1970 में रुपया वापस चला गया । मलिहाबाद–अजगैन की जो रोड है उसका 18 मील सार्वजनिक निर्माण विभाग का है और 4 मील जिला परिषद् का है । यह पुल भी जिला परिषद् के ही हिस्से में पड़ता है तो क्या इसकी महत्ता को देखते हुए इस 4 मील के टुकड़े को सार्वजनिक निर्माण विभाग जल्द लेकर बनवाने की कोशिश करेगा ।

श्री बलदेव सिंह आर्य––

मान्यवर, यह तो मैंने उत्तर में निवेदन किया कि यह प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग के विचाराधीन है । जिला परिषद् ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को बहुत पहले इस सड़क को लेने के लिये और इस पुल को बनवाने के लिये लिखा था ।

श्री भीखा लाल––

बहुत पहले लिखा था तो क्या कठिनाई है शासन के सामने उस सड़क को अब तक नहीं लिया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

यह तो निवेदन कर दिया कि धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है । जैसे ही धन उपलब्ध होगा, इसका निर्माण हो जायेगा ।

***25--श्री चौधरी चरण सिंह--**

[11वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानातरित ।]

***26--श्री मुहम्मद असरार अहमद--**

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

सुल्तानपुर जिले की सहकारी बैंक शाखाओं में सेवारत हरिजन कर्मचारी

***27--श्री जयराम गौतम तथा श्री रामसेवक धोबी (जिला सुल्तानपुर)--**

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर जिले के सहकारी बैंक की लगभग 20 शाखायें पूरे जिले में खोली गई हैं जिसमें लगभग सैकड़ों व्यक्ति सेवारत हैं । सेवारत कर्मचारियों में से हरिजनों की कितनी संख्या है ? यदि नहीं तो उसकी व्यवस्था कब तक होगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां ।

इन शाखाओं में कुल 10 कर्मचारी इस समय कार्य कर रहे हैं । जिनमें एक कर्मचारी हरिजन है । चूंकि जिस समय शाखायें खोली गई थीं, उस समय बैंक की सेवा नियमावली के अन्तर्गत हरिजनों हेतु कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं था अतः प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जयराम गौतम--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के 18 प्रतिशत संरक्षण का आदेश कब किया गया और इसके पूर्व इसका प्राविधान न होने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

जिस समय शाखायें खोली गईं उस समय वह बैंक के अन्तर्गत वह नहीं था ।

श्री राम सेवक धोबी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निकट भविष्य में हरिजनों के स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां, अब यहां पर सर्विसेज बोर्ड बन गया है जिसके द्वारा हरिजनों को भी स्थान मिलेगा ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे वहां पर जितनी नियुक्तियां की गई थीं वह सभी नियुक्तियां इम्प्लायमेंट इक्सचेंज के द्वारा नाम मंगा कर नहीं की गई थीं बल्कि अपने मन से नियुक्तियां की गई थीं और बाद में उनको निकाल भी दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

यह सवाल तो दूसरा है।

श्री शिव कुमार पांडेय---

उसी से तो संबंधित है मान्यवर ।

केन्द्रीय कारागार आगरा का स्थानान्तरण

*28---श्री गुलाब सेहरा---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा का केंद्रीय कारागार नगर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित हैं और जो पार्क बंदियों के शिविर के रूप में प्रयोग में लाया गया वह पचास एकड़ से अधिक भूमि खंड पर बसा हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार यह कारागार अन्यत्र बनाकर इस भूमि खंड को नगर के आवासीय विकास के लिये देने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजमंगल पांडेय---

केंद्रीय कारागार, आगरा 84.69 एकड़ भूमि पर आगरा शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित है । मुख्य प्राचीर के अन्दर 49 एकड़ भूमि है जिसे पाक बंदियों को रखने के लिये प्रयोग किया गया था । मुख्य प्राचीर के बाहर 35.69 एकड़ भूमि है जो मिलिट्री के स्टाफ के प्रयोग में लाई गई थी ।

केंद्रीय कारागार, आगरा को अन्यत्र हटाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है परन्तु उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। जब तक उपयुक्त नया स्थल उपलब्ध न हो जाय तथा नये कारगार का निर्माण नहीं हो जाता, वर्तमान स्थान से उक्त कारागार को हटाना अथवा उससे संबद्ध भूमि को अन्य प्रयोजन हेतु देने का प्रश्न नहीं उठता है।

नगर महापालिका, आगरा के अधिकारियों के विरुद्ध कथित भूख हड़ताल

*29---श्री गुलाब सेहरा---

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि आगरा के भूतपूर्व नगर प्रमुख तथा तत्कालीन कुछ सभासदों ने महापालिका, आगरा के कुछ सभासदों के महापालिका अधिकारियों के साथ मिल कर के भूमि खंड के वितरण में अनियमितता हस्तान्तरण तथा अनेक अन्य गम्भीर आरोप लगाते हुए विगत वर्ष भूख हड़ताल भी की थी और अनेक स्मरण-पत्र राज्य सरकार को दिये थे ? तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी नहीं । विगत वर्ष (1973) में कोई भूख हड़ताल नहीं हुई थी । आरोपों के संबंध में मंडलायुक्त, आगरा द्वारा जांच कराई जा रही है ।

*30---श्री शारदा प्रसाद रावत---

[7वें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*31 ---डाक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल---

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

नोट:---तारांकित प्रश्न संख्या 27 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

जिला जेल इटावा में गल्ले की चोरी

*32—श्रीमती सुखदा मिश्रा (जिला इटावा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल, इटावा में जो कैदियों को दिए जाने वाले गल्ले की चोरी सन् 1973 में पकड़ी गई थी जिसकी जांच डी0 आई0 जी0, कारागार ने की थी उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जिला कारागार, इटावा में सन्तरी ने दिनांक 29 सितम्बर 1973 को सहायक जेलर द्वारा दो कट्टे अनाज के जेल से बाहर ले जाने की शिकायत की। इस शिकायत की जांच अधीक्षक, जिला कारागार इटावा द्वारा की जा रही है। डी0आई0जी0 ने इस मामले की कोई जांच नहीं की। चूंकि जांच अभी हो रही है इसलिए अभी किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*33—श्री रामपाल त्रिवेदी तथा श्री नारायण दास (जिला लखनऊ)—

क्या यह सत्य है कि 1 जनवरी, 1974 से कृषि बिभाग में अस्थायी पदों का शासन द्वारा स्थायी घोषित किया गया है ? यदि हां, तो कृषि निदेशालय के लेखा वर्ग में कितने पद स्थायी घोषित किये गये हैं और क्या इसके अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थायी घोषित कर दिया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो कम से कम कितने समय के भीतर उन्हें स्थायी घोषित करने की कार्यवाही पूरी हो जायगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

341 पद दिनांक 1 जनवरी, 1974 से स्थायी घोषित किये गये हैं।

अभी नहीं ।

उनके सम्बन्ध में सेवा सम्बन्धी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं। वे जैसे ही पूर्ण हो जायेंगी, स्थायीकरण की कार्यवाही की जायगी ।

देवरिया जिले में टाउन एरिया, को अनुदान

*34—श्री हरिकेबल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में किन-किन टाउन एरिया को वर्ष 1973-74 में कितना अनुदान दिया गया है और किसे नहीं दिया गया ? इसका कारण क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वर्ष 1973-74 में देवरिया जिले की सभी टाउन एरिया कमेटियों को सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया है। सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 111 पर)

पशु चिकित्सालय, राबर्ट्सगंज मिर्जापुर को दी गई धनराशि

*35—श्री सूबेदार (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद् मिर्जापुर द्वारा संचालित पशु-चिकित्सालय राबर्ट्सगंज को वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 में किन-किन मदों में कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 112–113 पर।)

पशुपालन विभाग के अधिकारियों का स्थायीकरण

*36—श्री सूबेदार—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनवरी, 1974 से पशुपालन विभाग के कितने अधिकारी स्थायी घोषित किये गये तथा उनमें से विभिन्न संवर्गों में कितनों को सलेक्शन ग्रेड दिया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जनवरी, 1974 से पशुपालन विभाग के किसी अधिकारी को स्थायी घोषित नहीं किया गया है।

विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के मामले में कार्यवाही की जा रही है।

लघु कृषक विकास योजना, रायबरेली, के अन्तर्गत पावर थ्रेशर्स का वितरण

*37—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला रायबरेली के अतिरिक्त परियोजना अधिकारी 'लघु कृषि विकास एजेंसी' ने गत सीजन में कितने थ्रेशर्स किसानों को सब्सिडी पर बांटे हैं और वह किन-किन फर्मों द्वारा सप्लाई किये गये हैं, तथा एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा बनाये गये थ्रेशर व अन्य कम्पनियों द्वारा सप्लाई किये गये थ्रेशर के रेट अलग-अलग क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

लघु कृषक विकास योजना, रायबरेली के अन्तर्गत गत वर्ष (1973-74) में 284 पावर थ्रेशर्स किसानों को वितरित किये गये।

वांछित शेष सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 114 पर)

मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील तथा चोपान ब्लाक के अन्तर्गत बन्धियों का अनुसंधान एवं निर्माण

*38—श्री शिव सम्पति (जिला मिर्जापुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी तहसील तथा चोपान ब्लाक (मिर्जापुर) के अन्तर्गत सिंचाई की व्यवस्था हेतु बन्दियों का निर्माण कराने के लिए ड्राट प्रोन एफेक्टेड एरियाज प्रोग्राम द्वारा स्कीम लागू होने से कब तक कितनी नई परियोजनाओं (बन्धियों का निर्माण) का अनुसन्धान किया गया है तथा उनमें से वर्ष 1974-75 में कितने निर्माण-कार्य कराये जाने की सम्भावना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील तथा चोपान ब्लाक में ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम के आरम्भ से अब तक 16 बन्धियों का अनुसन्धान किया गया है। वर्ष 1974-75 में किसी भी नई बन्धी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

*39--श्री उमानाथ, श्री आशाराम यादव, श्री ओमप्रकाश सिंह, तथा डाक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

सिगरा चर्च मिशन आवासीय योजना, वाराणसी के अन्तर्गत प्लाटों का आवंटन

*40--श्री उमानाथ (जिला जौनपुर), श्री आशाराम यादव, श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर), तथा डाक्टर जितेंद्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

क्या यह सही है कि वाराणसी नगरमहापालिका द्वारा विकसित खंड जो कि अल्प-काल योजना के अधीन है तथा 'चर्च मिशन' के नाम से जानी जाती है उसमें कितने-कितने प्लाट वाराणसी नगर महापालिका के प्रथम श्रेणी के किस-किस अधिकारी को आवंटित किये गये हैं ? इस स्कीम के प्लाट आवंटित करने के लिये क्या आधार बनाया गया था ?

श्री राजमंगल पांडेय--

वाराणसी नगरमहापालिका द्वारा विकसित सिगरा चर्च मिशन आवासीय योजना अल्प आय एवं मध्यम आय वर्ग के लिए बनाई गई थी जिसके अन्तर्गत वाराणसी नगर महा-पालिका के प्रथम श्रेणी के किसी भी अधिकारी को भूखंड आवंटित नहीं किया गया है। 1965 में प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करके आवंटन किया गया, 1968 में टेंडर द्वारा अधिकतम धनराशि देने वाले अल्प आय एवं मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित किया गया तथा 1970 में अल्प आय एवं मध्यम आय के व्यक्तियों के लिए लाटरी प्रणाली द्वारा आवंटन करने की पद्धति अपनाई गई।

प्रसार प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति खण्ड विकास अधिकारियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति का प्रतिशत

*41--श्री गुलाब सिंह तथा श्री भोलादत्त सकलानी (जिला देहरादून)--

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि विशेष वेतन-क्रम में कुल कितने खंड विकास अधिकारी प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी कार्यरत है तथा उनमें अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जन-जाति के क्रमशः कितने सदस्य हैं तथा उनका क्रमशः क्या प्रतिशत है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*42--श्री गुलाब सिंह तथा श्री भोलादत्त सकलानी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासकीय आदेश संख्या 15/5-73, रा० ए को, दिनांक 20 मार्च, 1974 जारी होने के पश्चात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के साधारण वेतन-क्रम वाले कितने खंड विकास अधिकारियों को विशेष वतन-क्रम में पदोन्नति किया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम में नगर प्रमुख के कार्यकाल के सम्बन्ध में संशोधन

*43--श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री जंगबहादुर सिंह पटेल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में नगर प्रमख का कार्य काल एक साल से बढ़ा कर दो साल करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन कारणों के आधार पर ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम (संशोधन) समिति ने नगर प्रमुख के कार्यकाल को एक साल से बढ़ाकर दो साल करने की संस्तुति की है। समिति की रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

प्रदेश में नगर महापालिकाओं का अवक्रमण तथा उनका चुनाव

*44—श्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा श्री जंग बहादुर सिंह पटेल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कौन-कौन सी नगर महापालिकायें सुपरसीडेड हैं और कब से ? उनके चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस समय प्रदेश की चार नगर महापालिकायें अर्थात् लखनऊ, कानपुर, आगरा तथा वाराणसी 1 जुलाई, 1973 से सुपरसीडेड हैं। चुनाव से संबंधित परिसीमन कार्य हो रहा है आशा की जाती है कि फरवरी मार्च, 1975 तक चुनाव हो जायेगा।

ब्लाक राजपुर, कानपुर में कथित दवा की शीशियों की चोरी

*45—श्री मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 फरवरी, 1973 को श्री सुरेश चन्द्र दुबे, जे० पी० पी० ए०, कृषि रक्षा इकाई, ब्लाक राजपुर (कानपुर) द्वारा चोरी से ले जायी जा रही सरकारी दवा की 30 शीशियां पकड़ी गईं ? जिन्हें दिनांक 21 फरवरी, 1973 को उप निदेशक, कृषि रक्षा उत्तर प्रदेश के कार्यालय में सील्ड करके रखा गया था ? यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

21-2-73 को ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के साथ ३० शीशियां डाइमेक्रान प्राप्त हुई थी जो सील करके रक्खी गयी। मामले में जांच हुई। आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।

जनपद इटावा के बड़पुरा व चकरनगर, ब्लाकों में पेयजल योजना

*46—श्रीमती सुखदा मिश्रा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो 100 गांवों को पेयजल प्रदान करने की योजना सरकार के विचाराधीन है उसमें इटावा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल बड़पुरा व चकरनगर ब्लाक के ग्रामों में से 20 ग्रामों में पेयजल योजना लागू करने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पांचवी पंचवर्षीय आयोजना काल में जनपद, इटावा के चकरनगर विकास क्षेत्र के 15 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था करने की योजना स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग ने बनाई है किन्तु जिला परिषद, इटावा का प्रस्ताव अभी उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। अतएव, योजना स्वीकृति हेतु अभी शासन को नहीं भेजी गई है।

बड़पुरा की अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है।

अलीगढ़ जिले में अंग्रेजी शराब की दुकानों के नए लाइसेन्स

*47—श्री पूरन चन्द (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अलीगढ़ के भू० पू० जिलाधिकारी ने अंग्रेजी शराब की दूकानों के लाइसेंस थोक एफ० एल० 2, फटकर एफ० एल० 5, बीयर एफ० एल० 7 एवं बार के लाइसेंस आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 15 मई, 1974 से पूर्व अपने चार्ज छोड़ देने के कारण स्वीकृत कर दिये थे ? यदि हां, तो इसमें कितने स्वतंत्रता सेनानी व उनके आश्रितों भू० पू० सैनिकों व बेरोजगार युवकों को लाइसेन्स दिये गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अलीगढ़ जिले में अंग्रेजी शराब की नई दूकानों के लाइसेंसों के प्रार्थना-पत्रों पर अभी कोई लाइसेंस नहीं दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता। 135239

शीत गृहों द्वारा अधिक किराये की वसूली

*48—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज आदेश, 1971 भारत रक्षा अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार ने 14 मार्च, 1972 के गजट द्वारा सारे प्रदेश में लागू किया था ? यदि हां, तो उस आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है जिसमें 8 रुपया प्रति क्विन्टल किराया निश्चित होने के बाद भी 10 से 14 रुपया तक किराया शीत-गृह मालिक ले रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां।

इस आदेश के विरुद्ध प्रदेश के 156 शीतगृहों द्वारा सम्मिलित रूप से 26 रिट याचिकायें उच्च न्यायालय में दायर की गयीं ; जिन पर उच्च न्यायालय ने मामले में अन्तिम निर्णय किये जाने तक अन्तरिम आदेश द्वारा इन शीतगृह मालिकों को भंडारणकर्त्ताओं से आपस में 8 रु० प्रति क्विन्टल से अधिक निश्चित किये गये किराये को बैंक गारन्टी देकर वसूल करने की स्वीकृत दी है।

*49-50—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

कोल्ड-स्टोरेज, मुगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर में आलू सड़ जाने के कारण मुआवजे की मांग

*51—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी) तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोल्ड स्टोरेज मुगरा बादशाहपुर जिला जौनपुर में 7 1/2 लाख रुपये का किसानों का आलू कोल्ड स्टोरेज के मालिक की गल्ती से सड़ गया है। यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर किसानों का रुपया दिलवाने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां, अनुमानतः 7 लाख रुपये के मूल्य का आलू सड़ गया है।

कोल्ड स्टोरेज मालिक से नुकसान का मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

वाराणसी मण्डल के राजकीय कृषि फार्मों की आय व्यय

*52—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी मन्डल में कितने राजकीय कृषि फार्म कहां-कहां है और उनमें सन् 1971 से लेकर अप्रैल, 1974 तक कितनी आय तथा कितना खर्चा हुआ ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

वाराणसी जिले में खाद का बफर गोदाम, का बन्द होना

*53—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में खाद का वफर गोडाउन गबन होने की वजह से सन् 1973 में ही बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितने रुपये के खाद का गबन है और उस सम्बन्धी में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वाराणसी जनपद में बफर गोदाम सन् 1973 में गबन के कारण नहीं बन्द किया गया प्रश्न नहीं उठता ।

अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग प्रथम विकास के सदस्यों की पदोन्नति

*54—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्थायीकरण सूची वर्ग प्रथम विकास दिनांक 27 सितम्बर, 1973 की क्रम सं० 77 से 84 व 99 से 110 तक के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग प्रथम विकास के सत्रह सदस्यों की नियुक्ति विभागीय पदोन्नति देकर राजपत्रित कृषि सेवा श्रेणी—2 विकास में सन् 1967–68 में हो जानी चाहिये थी ? यदि हां, तो अब तक ये नियुक्तियां न किये जाने का क्या कारण है ? और क्या अब इस 8 वर्ष की अवधि की वार्षिक बृद्धियां व वरिष्ठता प्रदान करने के लिये सरकार कार्यवाही करेगी तथा इनकी शीघ्र नियुक्तियां की जायेंगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर बस्ती आजमगढ़ तथा देवरिया के विकास खण्डों का भवन निर्माण

*55—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री मधुकर दिघे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ एवं देवरिया जनपद के किन किन विकास खंडों के भवनों का निर्माण होना बाकी है ? इसमें से किन-किन विकास खंडों के लिये कहां-कहां जमीन उपलब्ध है और इसका निर्माण कब प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिन विकास खंडों में भविष्य में भवन निर्माण होना है तथा जहां-जहां जमीन उपलब्ध है उनकी स्थिति संलग्न सूची में सदन के पटल पर परिशिष्ट में प्रस्तुत है। इसका निर्माण-कार्य धन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ हो जाएगा।

(देखिए नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ 115 पर।)

चक गंजरिया फार्म की शाहीवाल गाय व मुर्रा भैंसों में दुग्ध उत्पादन

*56—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चक गंजरिया फार्म पर शाहीवाल गाय और मुर्रा भैंस में प्रति व्यांवत कुल दुग्ध उत्पादन पहली व्यांत पर आयु और दो व्यांतों के बीच अवधि वर्ष 1964–65 के मुकाबले वर्ष 1970–71 में घट गई या बढ़ी। यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दूध प्रति व्यांत थोड़ा घट गया तथा पहली व्यांत पर आयु तथा दो व्यातों के बीच की अवधि थोड़ी बढ़ गई।

उपरोक्त का कारण प्रक्षेप पर "खुरपका" तथा 'मुंहपका' बीमारी फैलना एवं भैंस के ओसरों से सीरम बनाने के लिये खून का निकाला जाना है।

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों में हानि अथवा लाभ

*57—श्री राम सजीवन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पशुपालन विभाग के राजकीय पशु धन एवं कृषि प्रक्षेत्रों में वर्ष 1971–72 में कृषि डेरी, भेड़ और कुक्कुट अनुभाग में कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई ? यदि हानि हुई तो कितनी और इसके क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

लाभ व हानि इस प्रकार है —

अनुभाग का नाम	लाभ	हानि
1—कृषि अनुभाग	95,110	..
2—कुक्कुट अनुभाग	..	40,534
3—भेड़ अनुभाग	..	1,41,160

4—डेरी अनभाग—यह अनुभाग अवाणिज्यिक है। अतः इसके हानि व लाभ के लेखे नहीं बनाए जाते।

हानि के निम्न कारण हैं :—

(1) पशुओं व पक्षिओं के चयन और उनको अनुकूल वातावरण में पालने पर काफी व्यय करना पड़ता है जो इस कारण अनिवार्य है कि इन प्रदेशों पर इनकी नस्ल सुधारने का कार्य भी होता है।

(2) पशुओं व पक्षियों के आहार पर व्यय में तथा स्टाफ तथा श्रमिकों के वेतन/परिश्रमिक में वृद्धि।

(3) प्रक्षेत्रों पर भेड़ों के चरने का स्थान सीमित है तथा उसी भूमि में लगातार चरना पड़ता है जिसक कारण उन्हें पारजीवी रोगों का प्रकोप हो जाता है।

*58—श्री राम जनम राय—

[७वें मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कृषि निरीक्षकों व सहायक विकास अधिकारियों की पदोन्नति

*59—सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं० 1912 के (7) 655–68 दिनांक 21 फरवरी, 1972 के अनुसार कृषि विभाग में कृषि निरीक्षकों तथा सहायक विकास अधिकारी (कृषि) की कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्रांक ए० बी० (2) 14830 दिनांक लखनऊ, मार्च 30, 1973 के अन्तर्गत एक ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की गई ? यदि हां, तो उक्त सूची के खिलाफ कृषि निदेशक महोदय ने अपने पत्रांक ए०बी० (1) 9942–10121 –46 पार्ट 3, दिनांक फरवरी 11, 1973 के अन्तर्गत केवल कृषि निरीक्षकों को ही क्यों पदोन्नति किया गया तथा सहायक विकास अधिकारी वर्ग के अनेक कर्मचारियों को ज्येष्ठ होते हुए भी पदोन्नति से क्यों वंचित रखा गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

केवल स्थायी सहायक विकास अधिकारियों तथा कृषि निरीक्षकों की तदर्थ प्रोन्नति जनहित में की गई है । सहायक विकास अधिकारी वर्ग के संबंधित अस्थायी कर्मचारियों के लिये पद रिक्त रखे गये हैं और उनके विषय में सामदायिक विकास विभाग से सेवा विवरण मांगे गये हैं जिनके प्राप्त होने पर उनकी भी तदर्थ प्रोन्नति पर विचार किया जायेगा ।

*60—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

[7 वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

फैजाबाद की तहसील टांडा के अन्तर्गत विकास खंड अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*61—श्री शिव पाल सिंह, (जिला उन्नाव) श्री धर्मवीर सिंह (जिला बिजनौर) तथा श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद, फैजाबाद के तहसील टान्डा के अन्तर्गत कितने विकास खंड अधिकारियों के विरुद्ध विधायकों की शिकायतें सन् 1973–74 में प्राप्त हुई ? उन शिकायतों में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उप निदेशक तथा स्थानापन्न निदेशक, स्थानीय निकाय को दिए गए अधिकार तथा उप-निदेशक का स्थानांन्तरण

*62—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान उप-निदेशक तथा स्थानापन्न निदेशक, स्थानीय निकाय के सभी अधिकार समाप्त कर सरकार ने स्वयं अधिकार अपने हाथ में ले लिये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं, केवल नियमित निदेशक की शासन द्वारा नियुक्ति होने तक केन्द्रीयित सेवाओं के अधिकारियों के स्थानान्तरण, निलम्बन, प्रत्यावर्तन पदोन्नति, नियुक्ति आदि से सम्बन्धित मामलों को आयुक्त एवं सचिव, स्वायत शासन को प्रस्तुत करने के लिये आदेश दिये गये थे। निदेशक के अवशेष कार्यों का निस्तारण उप निदेशक द्वारा ही किया जा रहा था।

श्री प्यारे लाल—

*63—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उप निदेशक स्थानीय निकाय का तबादले के आदेश को निरस्त कर उनका तबादला किन कारणवश रोका गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उप निदेशक, स्थानीय निकाय का स्थानान्तरण का आदेश जनहित में निरस्त कर दिया गया।

प्रधान ग्राम सभा, बुढानपुर जिला बहराइच द्वारा ग्राम समाज की सम्पत्ति का दुरुपयोग

*64—श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान, ग्राम सभा, बुढ़ानपुर, तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच द्वारा ग्राम समाज की सम्पत्ति की दुरुपयोग तथा अनेकानेक अनियमितताओं के विरुद्ध वर्ष जून 1972 से मार्च, 1974 तक जितनी शिकायतें जिलाधिकारी, बहराइच को मिलीं ? और क्या उनकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या थीं ? जांच के फलस्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस अवधि में ग्राम प्रधान के विरुद्ध एक ही दिनांक के दो शिकायती-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुए जिनमें लगभग एक ही प्रकार की शिकायतें की गईं। मुख्य रूप से ग्राम समाज के पेड़ों को नीलाम करके उसकी आय स्वयं ले लेने, ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत रूप से गन्ने की खेती करके निजी लाभ उठाने, तथा नाले के पानी की मछली से हुई आय को गांव सभा कोष में जमा न करने विषयक शिकायतें हैं। इन शिकायतों पर प्रारम्भिक जांच करा ली गई है किन्तु गांव समाज की सम्पत्ति की निशानदेही तथा पैमाइश कराने पर ही अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

*65—श्री शिवशंकर सिंह—

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

उद्यान एवं फल उपयोग, विभाग कुमायूं व गढ़वाल मण्डल में क्लास 2 में अनुसूचित जाति के अधिकारी

श्री मित्रयार खां (जिला बरेली)—

1—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं, गढ़वाल मण्डल में उद्यान एवं फल उपयोग विभाग में क्लास 2 में अनुसूचित जाति के कितने अधिकारी हैं उनमें कितने पदोन्नति होकर आये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

एक।

एक।

दुग्गारी कृषि सहकारी फार्म, कानपुर के परिसीमन के लिये परिसमापक की नियुक्ति

2—श्री हरिकेवल—

क्या सरकार को ज्ञात है कि कानपुर जिलान्तर्गत परगना अकबरपुर में स्थित दुग्गारी कृषि सहकारी फार्म के परिसीमन के लिये विभाग द्वारा परिसमापक की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो परिसमापक की नियुक्ति किस तिथि को की गई और उसके द्वारा परिसीमन का कार्य किस तिथि को समाप्त किया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां । परिसमापक की नियुक्ति दिनांक 7—2—72 को की गयी थी ।

परिसमापन का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

सहायक विकास अधिकारियों (सहकारिता) का वेतन निर्धारण

3—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या राज्य सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) जो ग्रुप द्वितीय में हैं और उनका कई वर्षों से वेतन निर्धारण नहीं किया गया है, का वेतन कब तक निर्धारित कर दिया जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

शीघ्र ।

सहजनवां पाली विकास क्षेत्र, गोरखपुर द्वारा सिंचाई के साधन हेतु भूमि विकास बैंक को प्रार्थना-पत्र

4—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद, गोरखपुर के भूमि विकास बैंक में सहजनवां व पाली विकास क्षेत्रों से कितने प्रार्थना-पत्र वर्ष 1972—73 व 1973—74 में सिंचाई के साधन हेतु सरकार को प्राप्त हुये और इनमें से कितने स्वीकृत हुये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

भूमि विकास बैंक द्वारा जनपद, गोरखपुर में सहजनवां व पाली विकास क्षेत्रों से वर्ष 72—73 में 65 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा 55 स्वीकृत हुये एवं वर्ष 73—74 में 39 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा 25 स्वीकृत हुए ।

कृषि विभाग के लेखाधिकारियों का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन

5—श्री नारायण दास—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में विभागीय पदोन्नति द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त लेखा-अधिकारियों का लोक सेवा आयोग से अनुमोदन पिछले 17—18 वर्षों से क्यों नहीं लिया जा रहा है, जबकि नियमानुसार एक वर्ष के अन्दर अनुमोदन लेना चाहिये था ? उनके अनुमोदन और स्थायीकरण के आदेश सरकार कब तक प्रसारित कर देगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना शून्य है ।

प्राथमिक तथा साधन सहकारी समितियों, बस्ती के सचिवों का स्थानांतरण

6--श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1974 में तहसील व जिला बस्ती के कितने प्राथमिक तथा साधन सहकारी समितियों के सचिवों का स्थानान्तरण किया गया? क्या यह सही है कि उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सेवा-निवृत्ति के कुछ ही दिन बाकी रह गये थे और स्थानान्तरण कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी नहीं।

ललितपुर में सहकारी बैंक का गठन

7--श्री चन्दन सिंह (जिला झांसी)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित ललितपुर जिले में जिला सहकारी बैंक का गठन कब से हो रहा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

नव सृजित ललितपुर जिले में जिला सहकारी बैंक का गठन शीघ्र होने की आशा है।

8--श्री जंग बहादुर वर्मा--

[निरस्त ।]

9--श्री झिलमिट--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

गाजियाबाद सुधार मण्डल में प्रतिनियुक्ति अभियन्ता, जूनियर अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता

10--श्री प्यारे लाल--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद सुधार मंडल के कितने अभियन्ता, जूनियर अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता आन-डेपुटेशन पर कब से हैं ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

गाजियाबाद सुधार मण्डल में 2 अधिशासी अभियन्ता, 5 सहायक अभियन्ता और 22 जूनियर अभियन्ता प्रति नियुक्ति पर हैं। जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 116 पर।)

11--श्री सूबेदार तथा श्री शिवसम्पत्ति--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

त्वरित योजना के अन्तर्गत सांड़ी-बधौली मार्ग, हरदोई का निर्माण

12--श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में त्वरित योजना तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सांडी, बधौली मार्ग का जो निर्माण हो रहा है, वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

हरदोई जनपद के सांडी बघौली मार्ग पर केवल त्वरित योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 1972 में 5-5 कि0मी0 लम्बाई का निर्माण-कार्य स्वीकृत किया गया था। शेष सड़क का निर्माण-कार्य किसी अन्य योजना में स्वीकृत नहीं है। स्वीकृत निर्माण-कार्य पूरा हो गया है।

कन्नौज नगरपालिका, फर्रुखाबाद की सीमा

13--श्री विमल प्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कन्नौज नगरपालिका, जिला फर्रुखाबाद की सीमा बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्र इस सीमा में सम्मिलित किये जायेंगे और इस कार्य में कितना समय लगेगा?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

जी हां, जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद ने नगरपालिका कन्नौज में ग्राम ताजपुर नौकाश्त, अलाउद्दीनपुर, अकबरपुर, सराय धाग, कन्नौज बांगर, सराय मीरा, युसुफपुर भगवान, मौसमपुर भौरारा, गंदनपुर बड़ तथा कुतुलपुर को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था। किन्तु चूंकि उक्त ग्रामों के निवासियों ने जिला मजिस्ट्रेट के प्रस्ताव का विरोध किया था अतएव प्रस्ताव पर आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद की आख्या प्राप्त की जा रही है जिसके प्राप्त होने पर शासन के स्तर पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। इस कार्य में कितना समय लगेगा यह इस समय बताना कठिन है।

भूमि विकास बैंक, मिर्जापुर द्वारा पम्पिंग सेट हेतु से दिया गया कर्ज

14--श्री आशाराम यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, 1969 से मई, 1974 तक मिर्जापुर भूमि बन्धक बैंक से पम्पिग सेट लगवाने हेतु कितने किसानों को कर्ज मिला? क्या किसानों को मिर्जापुर की एक विशेष दुकान से ही मशीनों को खरीदने के लिये बाध्य किया गया? क्या सरकार उस दुकानदार के आय-व्ययक का पूर्ण विवरण तत्काल देगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जनवरी, 1969 से मई, 74 तक भूमि विकास बैंक, मिर्जापुर से कुल 245 किसानों को पम्पिग सेट लगवाने हेतु कर्ज मिला। किसानों को मिर्जापुर की किसी एक विशेष दुकान से ही मशीनों को खरीदने के लिये बाध्य नहीं किया गया। बल्कि उपरोक्त कृषकों में 13 दुकानों से पम्पिग सेट क्रय किये। अतएव किसी विशेष दुकानदार के आय-व्यय के विवरण का प्रश्न नहीं उठता।

15--श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा--

[6 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

16--श्री मधुकर दिघे--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

लाइसेन्सिंग अधिकारी अथवा मुख्यालय के आय अधिकारी द्वारा शीत गृहों का निरीक्षण

17--श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कोल्ड स्टोरेज आदेश, 1972 के परिपालन से कितने लाइसेन्सिंग अधिकारी अथवा मुख्यालय के किसी आय अधिकारी द्वारा वर्तमान सत्र में

[श्री देव कुमार यादव]

कितना निरीक्षण किये गये और क्या-क्या अनियमिततायें पाई गईं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

लाइसेंसिंग अधिकारी तथा मुख्यालय के अन्य अधिकारी द्वारा वर्तमान सत्र में 24 शीत गृहों का निरीक्षण किया गया और इनमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई।

लक्ष्मीपुर व मिश्रोलिया विकास खंड, गोरखपुर के अन्तर्गत गेहूं के बीज का वितरण

18—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत रबी की बोवाई के समय एक एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को बीज हेतु गेहूं गोरखपुर जनपद से लक्ष्मीपुर व मिश्रोलिया (नवतनवां) विकास खंड क्षेत्रों में किन-किन गांव के कितने किसानों को कितना गेहूं बांटा गया और उपरोक्त दोनों विकास खंडों में कुल कितना गेहूं बीज वितरित हुआ ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

गत वर्ष रबी की बोवाई के समय में गोरखपुर जनपद के लक्ष्मीपुर एवं मिश्रौलिया (नवतनवां) विकास खंडों के जिन-जिन गांवों में एक एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को बीज हेतु गेहूं बांटा गया और उपरोक्त दोनों विकास खंडों में कुल कितना गेहूं बीज वितरण हेतु आया था और कितना बांटा गया उसकी सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 117-119 पर)

पशुपालन विभाग की घटती दक्षता के विरुद्ध विधायकों की शिकायत

19—श्री रणधीर सिंह (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग की घटती दक्षता के बारे में मई, 1974 के चौथे सप्ताह में उन्हें विधायकों के पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। इस सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ लखनऊ से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक "अर्जक" दिनांक 4 मई तथा 11 मई, 1974 की प्रतियां भेजी गई थीं। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कृषि विभाग, उन्नाव के कर्मचारियों का वेतन

20—श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला उन्नाव के कृषि विभाग के ग्रुप-3 के कर्मचारियों में से कितने को 5 वर्ष से वेतन वृद्धि नया संशोधित वेतन मान व कुछ माह का वेतन तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना शून्य है।

सहायक आबकारी आयुक्त के कार्यालय के जनपद गोरखपुर के लिपिकों एवं निरीक्षकों के विरुद्ध शिकायतें

21---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के सहायक आबकारी आयुक्त के कार्यालय के किन-किन लिपिकों एवं निरीक्षकों के विरुद्ध फरवरी, 1974 से 5 मई, 1974 तक शिकायतें हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

प्राप्त सूचना के अनुसार फरवरी, 1974 से 5 मई, 1974 की अवधि में सहायक आबकारी आयुक्त, गोरखपुर के कार्यालय के आबकारी निरीक्षक---सर्वश्री हरी शंकर लाल श्रीवास्तव, आर० के तिवारी तथा प्रेम बिहारी लाल और आबकारी लिपिक श्री कल्पनाथ यादव के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई।

आरापों के सम्बन्ध में सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त/जिलाधिकारी से आख्या मांगी गई है और ई० आई० बी० द्वारा जांच की जा रही है।

22---श्री सुखद राज सिंह---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

वित्त मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

माननीय मोतीलाल देहलवी नहीं हैं, उन्होंने एक नियम 63 के अन्तर्गत वित्त मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य श्री देहलवी का कहना है कि 3 जुलाई, 1974 को माननीय श्री त्रिवेणी सहाय के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने तथ्य एवं वास्तविकता को छिपाकर यह उत्तर दिया था कि मैदा के कारण विस्कुट कम्पनियों के बन्द होने व परिणा-स्वरूप उनमें लगे हुए श्रमिकों की बेकारी संबंधी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। माननीय सदस्य, श्री देहलवी के अनुसार वास्तविकता यह है कि प्रदेश की विस्कुट कम्पनियों को मैदा न मिलने से उनके बन्द हो जाने और श्रमिकों की बेकारी संबंधी जानकारी सरकार को पहले से रही है, जो उनके अनुसार सूचना में दिये गये तथ्यों से स्पष्ट है।

उक्त सूचना में जो तथ्य दिये गये हैं उनमें संबंधित कतिपय कर्मचारी यूनियनों द्वारा आवेदन-पत्र, तार तथा भेंट द्वारा दी गई सूचनाओं का उल्लेख है जब कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने उत्तर में यह कहा है कि---

"शासन को अधिकृत रूप से ऐसी सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि मई, 1974 में मैदे का कोटा न दिये जाने के कारण बिस्कुट बनाने के कारखाने बन्द हो गये हैं तथा उनके मजदूर बेकार हो गये हैं।"

इस प्रकार माननीय मंत्री जी ने 2 चीजें कही हैं। एक तो अधिकृत सूचना का आधार बताया और दूसरे जो कुछ भी उन्होंने कहा, शासन को दी गई जानकारी के आधार पर उत्तर दिया। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि माननीय मंत्री जी ने जानबूझ कर सत्य को छिपाने या गलत सूचना देने का प्रयास किया है जिसमें सदन को गुमराह करने का उद्देश्य हो। जैसा कि अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संहत संकलन (1952 से 1967 तक) के पृष्ठ 526 पर निर्णय संख्या 93 में कहा गया है कि---

[श्री अध्यक्ष]

"अपनी सूचना के आधार पर किसी मंत्री द्वारा सदन में कही गई किसी बात पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।"

उक्त पुस्तक के पृष्ठ 527 पर निर्णय संख्या 94 के अनुसार--

"मंत्री द्वारा प्रकट किये गये विचार, किसी को राय के विपरीत होने पर, विशेषाधिकार के प्रश्न का आधार नहीं बन सकते।"

साथ ही उक्त पुस्तक के पृष्ठ 479-80 में भी निर्णय संख्या 2 पर यह स्पष्ट निर्णय है कि--

"जानबूझ कर तथ्य को छिपाने पर ही किसी सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है।"

इसी प्रकार पृष्ठ 494-95 पर निर्णय संख्या 32 में भी यह स्पष्टरूप से कहा गया है कि--

"अपनी सूचना के आधार पर किसी सदस्य द्वारा नेकनियती से कही गई किसी बात के असल प्रमाणित हो जाने पर उसके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।"

इस सम्बन्ध में अपना निर्णय देते हुए मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्ष ने उक्त निर्णय संख्या 32 में यह कहा ह कि : "म इस आदरणीय सदन को एक बात बताना चाहता हूं और वह यह ह कि इस सदन के सभी सदस्यों को अगर पूर्ण वाक स्वातंत्रता का अधिकार न मिले तो यहां बहस नहीं हो सकती। यह बात सही है कि अपनी-अपनी सूचना के अनुसार प्रत्येक सदस्य अपनी बातें इस सदन के समक्ष रख सकता है। हमारा गौरव इसी में है कि यदि एक आदरणीय सदस्य कोई विचार या बात इस आदरणीय सदन के समक्ष रखें तो हम मानें कि वह बोनाफाइड या नेकनियती से रख रहा ह जब तक कि हमारे पास कोई ऐसे आधार उपस्थित न हों इस परिणाम पर पहुंचने के लिए कि वह मैलाफाइडी, किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस प्रश्न को रख रहा ह। मैं यह समझता हूं कि अगर ऐसे प्रश्न हम विशेषाधिकार समिति को भेजने लगें तो फिर कोई भी सदस्य अपने विचार यहां न रख सकेगा। इस विषय में हमें केवल एक बात का ध्यान रखना ह कि जो बात प्रस्तुत हो वह एक डैकोरम के साथ, शिष्टता के साथ और भद्रता के साथ हो ताकि हम लोग शान्त वातावरण में, उच्च स्तर पर अपने विचार व्यक्त कर सकें। इतना ही मैं कह सकता हूं।" . .

अतएव मैं श्री देहलवी द्वारा दी गयी सूचना को प्रागदर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं समझता। इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं। परन्तु म सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट अवश्य करना चाहूंगा कि विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का प्रश्न बहुत ही महत्व का होता है क्योंकि जब कोई सदस्य इस प्रकार विशेषाधिकार की अवहेलना व सदन के अवमान का प्रश्न उठाते हैं तो उसमें यह बात निहित होती है कि सदन के किसी दूसरे सदस्य अथवा अन्य नागरिक का अधिकार संकुचित करने का प्रश्न उसमें अन्तर्ग्रस्त है। इस बात को लेकर संसद या विधान मंडलों में अथवा उसके बाहर बराबर चर्चा होती रही है कि विधान मंडलों को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग बहुत ही गम्भीरता एवं अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। ऐसे मामलों के भी उदाहरण मिलेंगे जब विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन का अवमान हुआ मानते हुए भी सदनों ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा क्योंकि वे उसे या तो इतना तुच्छ समझते थे या उसे इतना महत्व नहीं देना चाहते थे। इस प्रकार यह विचारणीय है कि क्या बार-बार ऐसे प्रश्नों पर जो सदन के अवमान अवथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न नहीं बनते हों या बहुत ही कम महत्व के हों अथवा जिन पर ध्यान देना उचित न समझा जाय, इस प्रकार के विशेषाधिकार

की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न उठाना ऐसे प्रश्नों की गरिमा और महत्व को कम नहीं करता ।

मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि इस प्रश्न पर वे गम्भीरतापूर्वक विचार करें और ऐसे प्रश्नों को जब भी उठायें तब बहुत सोच समझ कर और ठोस आधार पर उठायें जिससे ऐसे प्रश्नों की महत्ता और गरिमा बनी रहे । विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्न को, मैं समझता हूं कि न तो एक सस्ता अस्त्र बनाना चाहिए और न ही इससे स्पष्टीकरण का माध्यम बनाना चाहिए । यदि माननीय सदस्य माननीय मंत्री द्वारा दिए गये वक्तव्य या प्रश्नों के उत्तर में कोई विरोधाभास या असत्यता पाते हैं तो उनके लिए सर्वप्रथम उचित यह होना चाहिए कि इस सम्बन्ध में अग्रिम प्रश्न पूछ कर स्पष्टीकरण करावें न कि विशेषाधिकारों की अवहेलना का प्रश्न उठा कर ऐसा स्पष्टीकरण प्राप्त करें ।

(श्री मोतीलाल देहलवी के खड़े होकर कुछ कहने पर)

अब तो मैंने निर्णय कर दिया है । आपको बुलाया था, आप सदन में नहीं थे । अब तो निर्णय हो गया है ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

आपने जो पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आया है ?

श्री अध्यक्ष---

इसको मैं बंटवा दूंगा ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

श्रीमन्, आपका निर्णय तो शिरोधार्य है लेकिन पहलू तो यह भी है कि . . .

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार के पहलू के सवाल पर बहस नहीं है । अब कोई मौका नहीं है ।

राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह द्वारा भारतीय क्रांति दल के सहयोगी के रूप में बैठने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब मैं एक सूचना माननीय सदन को दे रहा हूं । मुझे एक पत्र मिला है वह माननीय महेन्द्र रिपुदमन सिंह, विधायक, बाह--आगरा का है, जो इस प्रकार है---

" मैंने विधान सभा में भारतीय क्रान्ति दल के सहयोगी सदस्य के रूप में बैठने का निर्णय ले लिया ह । कृपया इसे स्वीकार करें और सदन को सूचित करने का कष्ट करें । "

(व्यवधान)

वह स्वतंत्र पार्टी के थे, स्वतंत्र थे, इधर आ गये । इसमें क्या खास बात है ?

उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्य क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक उपाध्यक्ष के निर्वाचन की सूचना थी वह मैं सदन को देना चाहता हूं । जैसा कि तय हुआ माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने मिल कर तय किया था कि 23 तारीख के भीतर उपाध्यक्ष का निर्वाचन करा लिया जाय, तो मैंने 22 तारीख को मध्याह्न 12 बजे के पूर्व नामजदगी का समय निश्चित किया है और फिर आवश्यकता हुई तो 23 तारीख को चुनाव होगा ।

कतिपय समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

कमेटियों के चुनाव के बारे में माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं से बात करना बाकी है, लेकिन वह चुनाव होना है। मैं उसकी पहले से सूचना दे रहा हूं।

घाघरा नदी द्वारा महंत के डेरा नामक गांव को क्षति एवम् बलिया बेरिया बांध के कटने के खतरे के सम्बन्ध में वक्तव्व

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)---

जिला बलिया में महन्त डेरा नामक गांव माझीपुर के नीचे घाघरा नदी तथा बकुलहा संसार टोला बांध के बीच स्थित है। घाघरा नदी इस गांव की ओर कटान कर रही है। घाघरा एक बड़ी नदी है तथा इसमें छोटी ठोकरें बनाकर कम कटान से सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। बड़ी ठोकरें बनाने में कई लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। अतः इस प्रकार के ग्रामों को बांध के पीछे बसा देना बेहतर होगा जिस पर विचार राजस्व विभाग को करना है।

बलिया बेरिया बांध गंगा नदी के बायें किनारे पर बीस मील चार फरलांग लम्बाई में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बनाया गया था। बांध के निर्माण के समय से ही गायघाट के पास जो बांध के बारहवें मील में स्थित है नदी के बांध की ओर आने की प्रवृति रही है तथा वर्ष 1964 से बांध को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सुरक्षा कार्य किये जाते रहे हैं। 1971 की बाढ़ में 7,100 फीट लम्बाई में नदी बांध के बिल्कुल निकट बह रही है। सुरक्षा कार्यों पर अभी तक लगभग 136 लाख रुपया व्यय हो चुका है। परन्तु इसके पश्चात् भी नदी का दबाव बराबर बांध की ओर बना हुआ है। स्थायी सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से गायघाट के पास बांध को पीछे हटा कर बनाने का निर्णय राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा जुलाई, 1970 की बैठक में लिया था। परन्तु भारी जन विरोध के कारण इस निवृत बांध का निर्माण सम्भव नहीं हो पाया है। 1971 की बाढ़ के बाद निदेशक जल शोध संस्थान पूना की अनुशंसा पर 975 मीटर लम्बाई में बांध पर पिचिंग की गई थी तथा एपुन लगाया गया था तथा 1972 की बाढ़ के पश्चात् जलमग्न बोल्डर बार्स का निर्माण किया जिन्होंने कुछ सीमा तक सुरक्षा प्रदान की। इस बाढ़ से पूर्व सर्वाधिक प्रभावित स्थानों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु 10 लाख रुपये की लागत पर एक ठोकर तथा 210 मीटर में पिचिंग तथा एपुन का कार्य किया गया है।

वर्षा काल में किसी भी आपत्तिकालीन स्थिति का सामना करने के लिए बोल्डर, ईंट तथा तार इत्यादि का संरक्षित स्टाक रखना आवश्यक है तथा इसे सम्भावित खतरे के स्थानों के पास ही रखना पड़ता है। स्टाक के बह जाने का कोई खतरा नहीं है। क्योंकि बांध के लिए उठाये गये सुरक्षार्थ कदमों से इसका भी बचाव सम्भव होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा कि महन्त का डेरा नामक गांव कट रहा है और बहुत से लोग वहां बेघर-बार हैं। तो उनके बसाने के लिये मन्त्री जी ने कहा कि बांध के पीछे व्यवस्था की जा रही है। तो जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती और जिन लोगों के घर गिर गये हैं या जो घर-बिहीन हो गये हैं क्या उनको तत्काल शरण देने के लिये कोई टिन वगैरह का शेड सरकार वहां पर बना देगी ताकि तब तक वह अस्थायी तौर पर वहां सुरक्षा पा सके ?

श्री राजमंगल पांडेय---

यह पहले ही बताया गया है कि बांध के इस तरफ से उस तरफ जाना चाहते हैं तो उन्हीं की सुरक्षा के लिये वह बनाया गया है । अगर पीछे जाना चाहेंगे तो प्रबन्ध होगा लेकिन यह जरूर है कि सप्लाई आफिस के माध्यम से हम टिन सप्लाई कर सकेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

दूसरा बलिया बेरिया के सम्बन्ध में पूछना चाहता था । अभी मन्त्री जी ने कहा कि उस 136 लाख रुपये अब तक वहां पर खर्च हो चुके हैं । वहां पर केन्द्रीय मन्त्री माननीय के० एल० राव जी गये थे और उन्होंने मुकम्मिल तरीके से उस कटान को रोकने की योजना राज्य सरकार से मांगी थी और राज्य सरकार ने 129 लाख रुपये की योजना उनको दी थी उसको पक्का बनाने में इतना धन लगने का सरकार का अनुमान था लेकिन सरकार ने अब तक 136 लाख रुपया उस पर खर्च कर दिया, उस पर भी वहां खतरा बना हुआ है क्योंकि नदी का दबाव बराबर बांध की ओर बना हुआ है । यह बांध बराबर कटता चला जा रहा है । आज स्थिति यह है कि नदी के बहाव से बांध कभी भी कट सकता है और हजारों लोग जो पक्के मकान बना कर बसे हुई हैं उनके जान व माल को खतरा पैदा हो गया है । तो उस खतरे से तात्कालिक सुरक्षा के लिये सरकार कृपया यह बतावे कि उनके विभाग की ओर से कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मान्यवर, इसीलिये तो सरकार पीछे हटकर एक बांध बनाने जा रही है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

जो बांध आप बनाने जा रहे हैं उसका बनना सम्भव ही नहीं है । चीफ इंजीनियर, श्री सक्सेना वहां गये थे और उनका भी ख्याल है कि वहां यह बनना सम्भव नहीं है क्योंकि हजारों लोग वहां बसे हुए हैं । वहां के रहने वाले लाखों लोगों ने उसका बड़ा भारी घोर विरोध किया है । अब सरकार के सामने केवल एक ही मार्ग रह गया है कि बांध को किसी भी कीमत पर बचाया जावे । मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता था कि बांध की सुरक्षा के लिये कौन सा तात्कालिक उपाय करने जा रहे हैं जिससे वहां के लोगों का जनजीवन खतरे में न पड़ जाय ।

श्री राजमंगल पांडेय---

माननीय सदस्य स्वयं तसलीम कर रहे हैं कि 136 लाख रुपया जो वहां खर्च किया गया वह बेकार गया । नदी का दबाव बांध की तरफ बराबर बढ़ता जा रहा है । हम इसीलिये पीछे हट कर एक बांध बनाकर उस स्थिति से बचना चाहते हैं । अब उसी बांध पर रुपया लगाने में पहले से ही शुबहा बना हुआ है कि रुपया बेकार न हो जावे ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

जिस तरीके से यह रुपया खर्च हुआ है उसमें बेकार जायगा ही ।...

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने जो सवाल उठाया है उसके बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह केवल वक्तव्य के लिये था लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है जैसे काशीनाथ मिश्र जी और मन्त्री जी में आपस में डिबेट हो रही है । यह कहां तक उचित है ? यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी मिश्र का नोटिस था इसलिये उनको स्पष्टीकरण के लिये कह दिया गया है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब नियम 56 के अन्तर्गत आज पांच सूचनाएं मिली हैं। एक माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी और दूसरे माननीय सदस्यों की है। उसमें राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है उस पर तो चर्चा नहीं हो सकती लेकिन महंगाई के सवाल पर किसी तरह की बहस हो जाय तो अच्छा रहेगा। माननीय काशीनाथ जी मिश्र ने नियम 103 के अन्तर्गत इसी विषय पर एक प्रस्ताव दिया है, वह प्रस्ताव तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा लेकिन महंगाई और महंगाई के कारण से बचने के लिये कुछ उपाय उन्होंने लिखकर भेजे हैं। तो मैं समझता हूं कि उस पर किसी दिन, इसमें से वह अंश निकाल कर, बहस हो जाय.... (व्यवधान)

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के खड़े होने पर) लेकिन, नहीं, जो आपने राष्ट्रपति के अध्यादेश के सम्बन्ध में लिखा है कि उस पर चर्चा करेंगे वह तो मैं नहीं इजाजत दूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं समझ रहा हूं यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आज सरकार ने जो घोषणा की है उससे सारे कर्मचारियों में असंतोष है और सारे कर्मचारियों ने यह घोषणा कर दी है कि हम स्ट्राईक करेंगे। तो कल की स्थिति में और आज की स्थिति में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया है और इसलिये आज उसकी गंभीरता बढ़ गयी है। आज इस महंगाई के जमाने में उनके भत्तों और वेतन वृद्धि दोनों को जमा कर दिया गया है चोरबाजारी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जितनी अनियमितताये हैं सब बढ़ेगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार का क्या सम्बन्ध है तो एक तो इससे महंगाई के कारण हमारे बजट पर प्रभाव पड़ेगा दूसरे यहां उपद्रव होगा, हड़ताल होगी, सारा काम रुक जायगा। इसलिये सरकार के न सिफारिश करने के कारण चारों तरफ बड़ा असन्तोष है। इसलिये मैंने कहा कि इस पर विचार होना चाहिये। महंगाई पर तो हमने कई बार चर्चा की और फूड का मामला आयेगा तो फिर चर्चा करेंगे। यह विषय कि सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसकी गंभीरता से केन्द्रीय सरकार को अवगत नहीं कराया इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। जैसे रेलवे ठप्प हो गयी वैसे ही सरकारी और अर्द्ध-सरकारी निकाय ठप्प हो जायगी। इससे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न और क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—

महत्वपूर्ण मैं मानता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह न सोचे कि कल आया या परसों आया इसलिये आज फिर कैसे आये। आज की स्थिति बिल्कुल गंभीर है। (व्यवधान) महंगाई जान कर दें अगर इनकी हिम्मत है। आप खाली गर्दन उनकी रेतते हैं जो आपके काबू में है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

हमारा भी, मान्यवर, यह निवेदन है कि यह प्रश्न जो माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने उठाया है केवल केन्द्रीय सरकार का विषय नहीं है। अगर इस आर्डिनेन्स के परणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में मजदूर वर्ग आन्दोलन करता है तो यह प्रश्न इस माननीय सदन का हो जाता है और आपनेपढ़ा होगा कि केन्द्रीय मजदूर संगठन एक कोआर्डिनेसन्स कमेटी बना रहा है और

उन्होंन खुलेआम कह दिया है कि इस आर्डिनेन्स के विरोध में आन्दोलन करेंगे । अगर ऐसी स्थिति आती है और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का जनजीवन ठप्प हो जाता है तब एक ला ऐंड आर्डर का प्रश्न भी सामने आयेगा । हम तो यह मांग करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरक र से इस बात के बारे में साफ-साफ कहे कि अगर उत्तर प्रदेश में आपने इस आर्डिनेंस को लागू किया तो उत्तर प्रदेश का मजदूर वर्ग इस आर्डिनेन्स के खिलाफ आन्दोलन करेगा, हड़ताल करेगा और ला ऐंड आर्डर की स्थिति पैदा हो जायगा । इसलिये इस सदन में इस पर चर्चा इसलिये भी होना आवश्यक है क्योंकि यह प्रश्न सीधे-सीधे उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित है । हमारी भी यह राय है कि इस आर्डिनेन्स के जरियें जो मजदूर वर्ग पर हमला किया जा रहा है इसलिये कम से कम दो घंटे की बहस जरूर करायें ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मैंने भी यह सवाल नियम 103 के अन्तर्गत उठाया है और आपको लिख कर दिया है । इस आदरणीय सदन के अन्दर माननीय राष्ट्रपति के अध्यादेश पर किसी भी प्रकार की बहस नहीं हो सकती । जहां तक आज की आर्थिक स्थिति का सवाल है वह देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये है । माननीय सदस्यों का विचार इससे भिन्न हो सकता है । तो मैंने नियम 103 के अन्तर्गत निश्चित रूप से जो प्रस्ताव दिया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश के तहत में इस सदन में बहस की जाय कि कौन-कौन से सुझाव केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को दिये जा सकते हैं जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और कौन से जरूरी कदम बढ़ती हुई कीमतों और जनजीवन को सुधारने के लिये राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार उठा सकती है । माननीय सदस्यों के जो सुझाव आयेंगे, जो राज्य सरकार से सम्बन्धित होंगे वह राज्य सरकार को भेज दिये जायेंगे और जो केन्द्र से संबंधित होंगे वह केन्द्र के पास भेज दिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

(व्यवधान के बीच) आज बड़ी भीषण परिस्थिति पैदा हो गयी है....प्वाइन्टेडली इसी विषय पर चर्चा हो.....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(विरोध पक्ष से) आप सभी माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मेरा निवेदन सुन लें.....

श्री अध्यक्ष--

आपको अपने नेता की बात को पहले सुनना चाहिये । जो कुछ उन्होंने कहा है उसके विपरीत अगर कुछ कहना हो तो मैं इजाजत दे सकता हूं, लेकिन वैसे नहीं । मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं.....(व्यवधान) आप कृपा कर आसन ग्रहण करें । (कई सदस्यों द्वारा एक साथ व्यवधान करने पर) इस तरह से आप स्वयं अनुशासनविहीन हो रहे हैं । मैं आपके नेता के सवाल को ले रहा हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं तो कह चुका हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि यदि दूसरा माननीय सदस्य कुछ कहना चाहता है तो कृपया उसे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नहीं (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)--

आप इस पर व्यवस्था दें कि क्यों इस अध्यादेश पर चर्चा नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि यह सदन उस पर यहां चर्चा कर सकता है..... (व्यवधान)

* * * *

एक सस्दय--

अनुशासन की सीमा के पार कर अगर हम लोगों को दबाया जाता है तो यह कहां तक ठीक है ...

श्री अध्यक्ष--

आपको कहां दबाया जा रहा है ? इस तरह से काम कैसे चल सकता है। आपके नेता माननीय माधव प्रसाद जी ने एक प्रश्न उठाया है। मैं उसे ले रहा था.... (शोर) ...आप कृपया बैठें।

(कई सदस्यों द्वारा साथ-साथ बोलने से शोर)

आज दिनांक 9 जुलाई, 74 को नियम 56 के अतर्गत कुल 5 (पांच) सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी व श्री त्रिवेणी सहाय और श्री राम चरण शाह द्वारा दी गयी सूचना जो राजकीय और स्थानीय निकाय तथा निगम के कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता जाम किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों से संबंधित है, लेकिन जिस रूप में और जिस माध्यम से यह मेरे पास आयी है, मैं इस माध्यम को अस्वीकार करता हूं।

श्री दशरथ सिंह व श्री बाबू लाल वर्मा द्वारा दी गयी सूचना जो ग्राम शमशोई, थाना, बहजोई जिला मुरादाबाद के श्री बाबूसिंह के कुटुम्ब के 9 सदस्यों की बदमाशों द्वारा नृशंस हत्या से संबंधित है, को मैं केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।

शेष तीनों सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है।

(जनसंघ दल के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

आप लोग जो कह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के अध्यादेश पर चर्चा नहीं हो सकती।

हम आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 1974-75 के आय-व्ययक पर मतदान।

(सदन में शोर, तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। आदि नारे लगाये गये, मेजों के थपथपाने की आवाजें और एक साथ कई सदस्य लोगों के खड़े होकर बोलने से शोर)

(व्यवधान)

श्री माधव, प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैंने जो कुछ दिया है अभी उस पर आदेश देने वाले थे और जो मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह आप स्वीकार कर लेंगे ऐसा मैं अन्दाजा लगा रहा था। बाद में आपने दूसरे आदेश दे दिये। श्रीमन्, मैं तो कहना चाहता हूं कि जैसे भी हो इसको लीजिये।

[***] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि, एक प्रश्न आपने उठाया जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित हैं। इस पर हम बहस नहीं कर सकते। आपने जो यह कहा कि महंगाई की कर्मचारी पर मार है, महंगाई बढ़ रही है, एक ऐसा ही सुझाव श्री काशीनाथ मिश्र ने दिया है। लेकिन आप लोग हल्ला करने लगे। हल्ला करने की बात नहीं थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—

जब आप उनकी बात से सहमत नहीं हैं तो आप सब लोग खड़े क्यों हो गये?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आपके सामने दो प्रस्ताव हैं। जिन पर चर्चा कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपसे निवेदन किया कि सभी सूचनाओं को मिलाकर हम बहस के लिये दो घंटे देंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, इस सदन का कार्य स्थगित करिये।

श्री अध्यक्ष—

केन्द्रीय अध्यादेश पर यहां बहस नहीं हो सकती है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, राष्ट्रपति के अध्यादेशो पर बहस आज की जाय। सेन्ट्रल या स्टेट के कर्मचारियों का सवाल है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप अव्यवस्था का प्रदर्शन करते चले जा रहे हैं। मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोंडा)—

किसी राष्ट्रपति अध्यादेश पर क्यों चर्चा नहीं हो सकती है?

श्री अध्यक्ष—

ये केन्द्रीय अध्यादेश हैं। संविधान में आप देखें। इस पर बहस नहीं हो सकती है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

हमारे रूल्स में यह नहीं है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश पर चर्चा नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति अध्यादेश हमारे सूबे के रहने वालों पर असर डालता है—जो कि निर्विवाद सत्य है। तो फिर इस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? कार्य स्थगन प्रस्ताव के निर्बन्धनों में यह बन्धन कहीं नहीं आता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश पर बहस नहीं हो सकती है।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

नेता विरोधी दल ने एक महत्व का प्रश्न उठाया है कि क्या कार्य स्थगन के प्रस्ताव के अन्तर्गत हम राष्ट्रपति के अध्यादेश पर विचार कर सकते हैं या नहीं। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि जो संविधान की स्थिति है उसके अन्तर्गत जो केन्द्रीय अध्यादेश हैं उन पर, अध्यादेश होने के नाते, हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि उसी संविधान के सप्तम अनुच्छेद में सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट किन विषयों पर कानून बनायेगी वह अलग से लिखा हुआ है। इसी प्रकार राज्य किन विषयों पर कानून बनायेगी वह भी सूची अलग से लिखी हुई है और जो कनकरेन्ट लिस्ट है वह अलग दी हुई है। अगर एक बार सम्मानित नेता विरोधी दल और नेता जनसंघ छूट दे दें कि केन्द्र के तमाम आर्डिनेन्स पर चर्चा हो तो फिर प्रत्येक राज्य में होने वाले आर्डिनेन्स और पास होने वाले कानूनों पर पार्लियामेन्ट में चर्चा होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर केन्द्र में और राज्य में फर्क क्या रह गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग---

यहां जो आर्डिनेन्स या कानून पास होते हैं उनकी चर्चा वहां रोज होती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इस विषय पर विचार कर सकते हैं कि मुद्रा स्फीति की समस्या किस प्रकार लड़ा जाय। नेता विरोधी दल और नेता जनसंघ ने अपने भाषणों में उल्लेख किया कि घाटे के बजट और इंफ्लेशन से मुकाबला करना चाहिये। राष्ट्रपति ने संसदीय अधिकार पद्धति के अन्तर्गत एक आर्डिनेन्स जारी किया इंफ्लेशन से लड़ाई लड़ने के लिये। हो सकता है कि कोई सदस्य मुझसे सहमत न हो लेकिन उस आर्डिनेन्स पर विचार करें तो वह टेबिल में ले नहीं किया गया, अखबार से सूचना मिली है। हमारे यहां आर्डिनेन्स होते हैं तो टेबिल में ले होते हैं। उसके बाद यह अधिकार है कि सात दिन के अन्दर उस पर अननुमोदन का प्रस्ताव माननीय सदस्य ला सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

वह गजट में छप गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

लेकिन केन्द्र के आर्डिनेन्स का अननुमोदन करने का अधिकार स्टेट को नहीं है।

चौधरी चरण सिंह---

उसमें कहीं प्राहिबिशन भी नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

उसमें प्राहिबिशन है। उसमें स्पष्ट है कि हम स्टेट के आर्डिनेन्स पर कर सकते हैं। आप मुद्रा स्फीति के नाम पर कार्य स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं लेकिन आर्डिनेन्स के नाम पर नहीं ला सकते। वैसे सम्मानित नेता विरोधी दल जिस विषय पर चाहें बहस हो सकती है, यह उनका अधिकार है। इंफ्लेशन हो या वेज स्ट्रक्चर हो तो उस पर विवाद हो सकता है। बजट चल रहा है तो उसके अन्तर्गत सारे विषय आते हैं और पहले भी विवाद हुआ है, आगे भी हो सकता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि आर्डिनेन्स के नाम पर विवाद नहीं हो सकता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार रखा उससे मैं सहमत हूं। प्राहिबीशन नहीं है तो विचार हो सकता है। हमारे तिवारी जी कहते हैं कि आर्डिनेन्स पर चर्चा नहीं हो सकती।

अगर फार द सेक आफ आर्गुमेंट उनकी बात मान ली जाय तो मैं दूसरी बात कहता हूं जिसका उत्तर कोई मन्त्री दे दें । अगर इसके परिणामस्वरूप कोई उपद्रव हो जाता है या देश के सारे कार्य कलाप प्प हो जाते हैं निकायों में या सरकार में तो क्या हम चर्चा नहीं कर सकते । जितने नेतागण हैं उन्होंने घोषणा कर दी, जितने एसोसियेशन्स हैं, जितने कर्मचारी वर्ग इससे प्रभावित हैं उन्होंने घोषणा कर दी । लेकिन इनकी वही पुलिस वाली प्रवृत्ति कि जब कत्ल हो जाय तो मौके पर पहुंचेंगे । इसलिये मैं कहता हूं कि वह इन आर्डर है । प्रोहीबीशन नहीं है, इसलिये चर्चा हो सकती है । यदि उसकी वजह से परिणाम भयानक होने वाला है, तो चर्चा हो सकती है । अगर चर्चा नहीं होती है, तो भयावह स्थिति आ सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

अध्यादेश जो जारी हुआ है, उसमें इस शासन का क्या उत्तरदायित्व है, यह देखना होगा । वैसे जहां तक आप कहते हैं, हर विषय पर चर्चा हो सकती है, जैसे महंगाई के बारे में, कर्मचारियों के बारे में ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं आपकी आज्ञा से, मान्यवर, प्रस्ताव करता हूं कि यह सरकार इस मामले में केन्द्रीय सरकार की सिफारिश कर रही है और...

श्री अध्यक्ष--

त्रिपाठी जी, सुन तो लें । जैसे अध्यादेश अलग रख दिया जाय । महंगाई हो रही है, वेतन नहीं मिल रहा है, मैं इस सवाल पर कह रहा हूं । मैंने तो पहले ही इस में कह दिया कि वो घण्टे की बहस दी । लेकिन, अब अध्यादेश को रखकर, राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये अध्यादेश पर बहस करायें, इस तरह से यह ठीक नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, इसमें दिया है कि--अतः उत्तर प्रदेश सरकार इस भीषण स्थिति पर आपत्ति न करने और केन्द्रीय सरकार को पुनर्विचार करने के लिये न लिखने के लिये सम्पूर्ण जनता में सरकार के प्रति तीव्र असंतोष है और उत्तेजना है । अतः इस पर बहस होनी चाहिये । दे हैव फेल्ड इन देयर डियूटी टु रिकमेंट दि केस आफ अवर प्यूपुल, इन्होंने यहां की जनता के मामले की सिफारिश नहीं किया...

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है कि इस पर बहस हो और जिन कठिनाइयों के कारण आपको, यहां के कर्मचारियों को, यहां के नागरिकों को, यहां की जनता को, इसके परिणामस्वरूप जो कठिनाई हो, उस पर हम बसह करेंगे...इसके प्रति हमारा मन साथ है । लेकिन...

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आप भी तो कुछ कहें हमारे बारे में ।

श्री अध्यक्ष--

इस पहलू पर कि राष्ट्रपति के अध्यादेश पर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, इस पर हम अपना निर्णय सुरक्षित रखते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं व्यवस्था तो दे रहा हूं कि मैं अपना निर्णय सुरक्षित रख रहा हूं । यदि गर्ग साहब को इस विषय में कुछ संवैधानिक जानकारी है, तो यदि वह कृपया मेरे कक्ष में जानकारी दें तो मैं उनका स्वागत करूंगा ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, आप क्या आज्ञा दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप नहीं समझे,तो मैं दोहराये दे रहा हूं । इस पहलू पर आज तक नियम 56 के अन्तर्गत यही समझा गया है कि शासन का सीधा जहां उत्तरदायित्व हो, उसके बारे में कार्य-स्थगन आ सकता है, यह मेरी समझदारी अभी तक की है। मैं समझता हूं कि जो माननीय नेता विरोधी दल ने सवाल उठाया है जिस पर आप लोग भी जोर दे रहे हैं कि इस पर सोचने-विचारने की जरूरत है, तो इस पर मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं इसके बारे में निर्णय सुरक्षित रख रहा हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय नेता विरोधी दल ने...

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, हमने कार्य-स्थगन का दिया है, पुस्तकों के बारे में.....

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मान्यवर, मेरा....

श्री अध्यक्ष--

कल वाला आ गया है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय ओम प्रकाश जी, आप कृपया आसन ग्रहण करें, और जब मैं कहूं, तभी बोलें । आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब तक मैं न कहूं, बोल नहीं सकते । अब स्वास्थ्य मंत्री अपना अनुदान रखेंगे । वह बैठ कर ही अपना अनुदान पेश करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मेरा भी एक प्रस्ताव था 80 फैक्टरीज प्रदेश से बाहर जाने के बारे में...

श्री अध्यक्ष--

आप फिर खड़े हो गये और अनुमति पाये बगैर बोलने लगे । यह आप अनियमित काम कर रहे हैं । मैंने उसे अस्वीकृत कर दिया है ।

1974–75 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 31––चिकित्सा, अनुदान संख्या 32––परिवार नियोजन, अनुदान संख्या 33––सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 70––चिकित्सा, परिवार नियोजन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सालिग राम जायसवाल)––

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31–चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,69,11,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–परिवार नियोजन के अतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,56,77,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लियेआवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,84,01,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय । तथा मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70–चिकित्सा, परिवार नियोजन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,35,33,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बैठकर बोलने की छूट दी । मुझे बड़ा दुख है कि अपनी लम्बी बीमारी के कारण सदन की बैठक में मै हाजिर न हो सका और अपने विभाग को उस तरह से नहीं देख सका जिस तरह से मुझे देखना चाहिये था । इसके लिये मैं माननीय सदन के सदस्यों से क्षमा चाहता हूं । मैं राज मंगल पांडेय जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरी गैर हाजरी में मेरे सब काम को संभाला और मेरी कमी को उहोंने पूरा किया । मैं इस बात को मानता हूं कि इस विभाग में बहुत सी कमियां हैं । लेकिन मुझे विश्वास है, कि सदन के सहयोग से और वित्त मंत्री, नारायण दत्त जी के सहयोग से पैसा न काट कर वह इस विभाग को अधिक पैसा देंगे मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैं उन सब कठिनाइयो व कमियों को हल कर सकूंगा ।

इसके पहले कि मैं बजट के बारे में कुछ निवेदन करूं मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि भविष्य में सरकारी अस्पतालों में और मेडिकल कालेजों में नकली दवायें बिलकुल नहीं चलेंगी । इसके लिये शासन ने नियम भी बना दिये हैं । एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है जो कि इस आवंटन कार्य को देखे कि किसको कच्चा माल मिलना चाहिये, किसको नहीं मिलना चाहिए और किसको इसकी आवश्यकता है, किसको कितने कच्चे माल की आवश्यकता है । इस तरह से पूरी छानबीन करके ही कच्चा माल दिया जायेगा । दूसरा यह भी फैसला किया गया है कि प्राणरक्षक दवाइयां जितनी हैं वे सीधे सार्वजनिक क्षेत्र से ही खरीदी जायं और इसके लिये टेंडर

[श्री सालिगराम जायसवाल]

भी न मांगे जायं। ड्रग ऐक्ट को और कठोर बनाने के लिये हमने एक विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत किया है जिस पर कि जल्दी ही यहां पर विचार होगा। ऐक्ट में आजीवन कारावास की सजा दे की व्यवस्था की गई है। गांवों में औषधियों की कमी होने के कारण लोगों को बड़ी शिकायतें थीं। इसलिये इस बजट में हमने प्राविधान किया है कि हर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर जो अब तक 5,500 रुपये प्रति सेन्टर मिलते थे उसे बढ़ा कर 12,000 रुपये कर दिये हैं ताकि उससे जनता को फायदा हो सके।

मान्यवर, 1974 में कुछ विशिष्ट सुविधायें भी लोगों को दी गई हैं। इसमें बच्चों के 3 अस्पताल, दो दांतों के अस्पताल और 5 आर्थोपैडी के अस्पताल खोलने का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार से आपात कालीन सेवाओं की दो यूनिट्स, इन्टेसिव कारोनरी यूनिट तथा प्लास्टिक सर्जर एवं बर्न यूनिट भी स्थापित करने का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। इससे प्रदेश की जनता को काफी लाभ होगा।

इसी तरह से महामारी और चेचक के उन्मूलन में हमें पूर्ण सफलता नहीं मिली है लेकिन हमारा प्रयास है कि हमें इस बीमारी पर भी उसी तरह सफलता पानी है जिस तरह से हमने प्लेग, कालरा या मलेरिया आदि में पायी है। इसके लिये नयी तरकीब निकाली गई है जिससे हमारे कार्यकर्ता गांवों में जाकर देखते रहते हैं कि किसको यह रोग है, किसके नहीं है उसी के हिसाबसे सुई आदि लगाने की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार प्रदेश में लगभग 4,600 कार्यकर्ता लगे हुये हैं।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि उन पर बोलने से जोर पड़ेगा। माननीय राज मंगल जी को यह कार्य सुपुर्द कर दें तो अच्छा रहेगा।

*श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)---

मान्यवर, हम लोग चौधरी साहब के कृतज्ञ हैं कि हमारे स्वास्थय मंत्री जी के इस बोझ के सम्बन्ध में उन्होंने मुझे इस बात के लिये आदेश दिया कि मैं उनकी तरफ से कुछ कह सकूं। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे प्रदेश की मेडिकल और स्वास्थ्य सम्बन्धी मांग को देखते हुये जितना कि जनता हमसे अपेक्षा करती है, वित्तीय कठिनाइयों की वजह से, जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने इशारा किया है वित्त मंत्री जी से अनुरोध करने के बावजूद भी उन्हें दूर नहीं कर सके। इसके लिये हम दुखी हैं। मान्यवर, सन् 1973-74 के मुकाबले में जहां प्लान और नान-प्लान इक्सपेंडिचर हैं उसमें काफी कटौतियां हुई हैं इसके लिये भी हम दुखी हैं। हमें इस बात का भी दुख है कि हमारे इस स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जितने भी अधिकारी और डाक्टर कार्यरत हैं, नर्सेज हैं, इक्सटेन्शन एजूकेटर्स हैं, अपना कार्य सुचारुरूप से नहीं कर पा रहे हैं।

(इस समय 12 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

हमने इस संबंध में कुछ नीति भी अपनाई है और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मौजूदा जो नीति अपनाई है, उससे प्रशासनकि ढांचे में, डिस्प्लन के सम्बन्धमें, उनके कार्य करने के तरीके में, योग्य लोगों को प्रमोशन देने के सम्बन्ध में कुछ न कुछ हम बेहतर कर सकेंगे। और इस सेवा को जितना उपयोगी हम बना सकते हैं, उसको उपयोगी बनाने में हम कुछ उठा न रखेंगे। इस प्रदेश की जनता आज हमसे सबसे ज्यादा अपेक्षा करती है कि हम डाक्टरों की मनोवृत्ति म कुछ सुधार लायें। हमें दुःख है कि जिन परिस्थितियों में इन सेवाओं से प्राइवेट प्रैक्टिस रोकी थी, उसे माननीय सदस्यों के अनुरोध और कुछ परिस्थितियोंवश, जिन पर न हमारा वश था और उनका था, फिर से उस प्रथा को चालू करना पड़ा। फिर भी इसके बावजूद हमने कुछ कार्य वर्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

74–75 में ऐसे प्रस्तावित किये हैं, जो कि यदि पूरे हो जाते हैं, तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि इस वित्तीय कमी के होते हुये भी हमारी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं ।

शय्याओं में हमने एक अच्छी वृद्धि की है जो 940 की वृद्धि इस वर्ष प्रस्तावित है । अस्पतालों में हमने वृद्धि की है । एलोपैथिक अस्पतालों में 30, इनमें 20 वे हैं जो हिल एरिया के हैं । 5 ई०एस०आई० अस्पताल हैं, जिनमें मजदूरों के चिकित्सा और स्वास्थ्य की देखरेख के लिए उनकी परेशानियां को दूर करने के लिये हम सुविधाय उपलब्ध करा सकेंगे 2 मेडिकल केयर यूनिट्स हैं। दो अस्पताल दान वाले हैं, यानी दो ऐसे भी हैं जो लोग दान देने के लिये उत्सुक हैं उनके लिए । हम वहां भी दो इस किस्म के अस्पताल खोल रहे हैं । हमने इस वर्ष भी आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा में 51 की वृद्धि की प्रस्ताव रखा है । होम्योपैथिक में 26 की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है । उसमें 5,500 रुपया प्रति प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर व्यय का अबतक लक्ष्य था, किन्तु अब उसको बढ़ाकर 12 हजार रुपया प्रति हेल्थ सेन्टर रख दिया गया है । इसी प्रकार से बच्चों के अस्पतालों में 3, दांत के अस्पतालों में, आर्थोपैडिक अस्पतालों में 5, आपत्तिकालीन सेवाओं के सम्बन्ध में 2 और इन्टेन्सिव कारोनरी यूनिट में 2, प्लास्टिक सर्जरी मे 1 और बर्न यूनिट में 1 की हम वृद्धि कर रहे हैं । इस प्रकार से कुल हम 16 नये अस्पताल खोल रहे हैं ।

इसी प्रकार से जो ग्लूकोज का काण्ड हुआ उसको ध्यान में रखते हुए, फिर से उसकी पुनरावृत्ति न होने देने के लिये वर्ष 74–75 से औषधि नियन्त्रक स्टाफ में भी वृद्धि का प्रस्ताव किया है । सहायक औषधि नियन्त्रक 1, सहायक औषधि नियन्त्रक (विविध)–1, औषधि निरीक्षक 18 इस वर्ष से बढ़ाये गये हैं जिससे कि मिलावटी और जाली दवाओं के चलन को कारगर तरीके से रोका जा सके और जनस्वास्थ्य की रक्षा की जा सके । इसी तरह से खाद्य निरीक्षक स्टाफ में भी वृद्धि की गई है । करीब करीब 46 मुख्य खाद्य निरीक्षक हम और बढ़ा रहे हैं, जिनका कार्य होगा कि वह चीजों को ठीक से टेस्ट करें और जहां भी अनियमितता पावें कठोर कार्यवाही करें ।

इस संबंध में मुझे कहने में खुशी होगी कि हर प्राइवेट हेल्थ सेन्टर में जहां पहले डाक्टर उपलब्ध नहीं होते थे, अब कम से कम एक तो अवश्य उपलब्ध करा दिया गया है और कई जगहों पर एक से ज्यादा भी हैं। यह भी योजना है जबसे बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब तक वह ऐडल्ट नहीं हो जाता है, उसके लिये कुछ ऐसा प्रबन्ध करें प्रिवेन्टिव मेजर के जरिये, जिससे उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और हम उसे बढ़िया से बढ़िया दवा उपलब्ध करा सकें । मुझे यह भी कहने में खुशी है कि जहां पर पहले एक रोगी के लिये 51 पैसा हम खर्च करते थे, अब उसको बढ़ाकर प्रत्येक रोगी पर 5.13 रुपया करने जा रहे हैं, जो प्रस्ताव है । इसी तरह से 74–75 में प्रशिक्षण के लिये जो सुविधायें हैं, जो स्कूल्स हैं उनमे भी वृद्धि करना और उन्हें अनेक सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव है । इससे हमरे मेडिकल कोर में संख्या में जो कमी रही है, उसको हम पूर्ति कर सकेंगे। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि हमारी मजबूरियोंकी वजह से हम ने बरेली और ऋषिकेश में दो मेडिकल कालेज खोलने की बात कही थी लेकिन वित्तीय कठिनाई की वजह से यह सम्भव हो न सकेगा । मुझे दुख है कि 1974–75 म हम वह न कर सकेंगे जो हमने पहले वादा किया था । इसलिये कि हम करना नहीं चाहते बल्कि इसलिये कि हमारी वित्तीय कठिनाइयां हैं जिनके कारण पूरा न कर सकें । इसके लिये दुख है, दुख के साथ सदन से माफी भी मांगनी है ।

कई दफा इस बात की चर्चा हुई कि और स्टेट्स के मुकाबले में जितनी पापुलेशन पर एक डाक्टर होना चाहिये वह हमारे यहां नहीं है। भारतवर्ष की तुलना में अगर आप देखेंगे, तो हमारे यहां कुछ थोड़ी से कमी है। जहां इंडिया ऐवरेज है पापुलेशन पर, 1761 पर एक बेड है वहां पर

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

उत्तर प्रदेश में 2 हजार पर एक है। २ जहांपर आल इंडिया ऐवरेज, 45 सौ पर एक डाक्टर है, वहां हमारे यहां 6674 पर एक डाक्टर है यह भी सही है कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं को देखते हुये, लार्ज पापुलेशन को देखते हुये, बहुत बड़ा प्रान्त होने की दृष्टि से हमारी इच्छा के बावजूद उस हद तक नहीं कर पा रहे हैं जितनी प्रदेश की जनता अपेक्षा करती है। इसका मुझे दुख है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे पास पांच सौ डाक्टरों की कमी है। ए0 एन एम अग्जिलियरी की कमी है 5 हजार 38, हेल्थ विजिटर्स की कमी है 1146 पी०एच०एन० की कमी है 14 सिस्टर ट्यूटर्स की कमी है 75, जनरल नर्सेज की कमी है 120। उम्मीद है कि डाक्टरों की कमी 1974-75 में पूरी करेंगे। एएए एम की कमी 1977-78 तक, हेल्थ विजिटर्स की कमी १९७८-७९ तक पूरी कर सकेंगे और सिस्टर ट्यूटर बी०एम० को पूरा कर सकेंगे 1975-76 तक और एन0एन0 ट्रेनिंग सेंटर्स 1978-79 तक पूरा कर सकेंगे। इस तरह से हमारा जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी जल्दी हो सके पूरा करें। लेकिन जो हमारे संसाधान हैं, जितना आउटपुट है उसी में हम पूरा कर सकेंगे। इस मजबूरी के लिये भी हम सदन से क्षमा चाहेंगे।

इस बजट में जो प्लान और नान प्लान आइटम्स हैं 1973-74 के मुकाबे में जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कुछ रुपये की कटौती हुई है। उसकी वजह से हम जो कुछ भी करना चाहते हैं नहीं कर सके हैं। इसके लिये दुख है। हमने वित्त मंत्री से इस बात का निवेदन किया था कि 15 परसेंट डिपार्टमेंट में कटौती का प्रस्ताव है। इस वजह से बहुत बड़ा असर पड़ेगा, अस्पतालों में जो हमारी शय्याएं हैं, जो बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर और दवा दारू में भी। लेकिन प्रदेश की स्थिति को देखते हुये मजबूरी है, जहां करने की जरूरत है, इसको भी मुझे दुख है।

जहां तक देहाती क्षेत्र है, यह सही बात है कि आज भी डाक्टरों की मनोवृत्ति में विशेष परिवर्तन न होने के कारण देहात के रहने वाले भोइयों, माताओं बहनों, जिनके लिये हमने कोशिश की, उन क्षेत्र में जहां डाक्टर नहीं जाना चाहते, बांड लिखवा कर डाक्टर भेजवा सकें। मेजे भी। लेकिन उनकी उदार मनोवृत्ति न होने के कारण तथा अपने आपको देहाती जिन्दगी में फ़िट न कर पा सकने के कारण जितना हम चाहते थे वह नहीं हो सका है। आज-कल भी बराबर शिकायतें आती रहती हैं, मेरी पार्टी के सदस्यों की तरफ से भी और उधर की तरफ से भी शिकायतें आती रहती हैं। कभी-कभी यह शिकायत आती है कि डाक्टर की जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है उससे ज्यादा लेते हैं। यह भी शिकायतें आती हैं कि जो दवायें गरीब लोगों को देने के लिए होती हैं उनको गरीब को न देकर ऐसे लोगों के हित में उनका प्रयोग होता है जो धनी वर्ग के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो प्रिविलेज्ड क्लास के कहे जा सकते हैं। मुझे यह कहने में बड़ा दुख है कि किसी भी डाक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिये। अगर कोई डाक्टर रत्ती भर भी ईमानदार है और अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा है, उसको इन चीजों की कल्पना तक नहीं करनी चाहिये। उनको गरीबों की दवा ऐसे लोगों को कभी भी नहीं देनी चाहिए।

मान्यवर, इस बात की भी शिकायत सुनने में आती है कि अस्पताल की दवायें प्राइवेट फर्म्स को बेच दी जाती हैं और वही दवायें फिर से इन्डेंट होकर अस्पताल में वापस आ जाती हैं। इसका मुझे बड़ा दुख है और मैं आपको तथा आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे उच्च अधिकारी बड़ी तेजी और लगन के साथ लगे हुए हैं कि किसी तरह से इसको रोका जाये। जनता को सच्ची सेवा उपलब्ध कराई जा सके, इसके प्रयत्न में हमारे उच्च अधिकारी लगे हुए हैं। हमारा यह सतत प्रयत्न है कि हम किसी तरह से अपने डाक्टरों और कर्मचारियों में यह भावना पैदा कर सकें कि वे इस बात को सोचें कि जनता जो गांवों में रहती है वह खुश रहे, चाहे एक दफा को शहर की जनता भले ही नाराज हो जाये। उससे कुछ नहीं बिगड़ सकता है।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डाक्टर जनता का हित करने में लगे हुए हैं और जो यह समझते हैं कि जनता की सेवा करना ही उनका कर्त्तव्य है और हमारी सेवा वृत्ति है तो उनके पांच साल से भी ज्यादा उस स्थान पर रहने दिया जायेगा। यही नहीं बल्कि हमने यह भी निश्चय किया है कि जैसे डाक्टरों को हम उनकी मनचाही जगह पर भेजेंगे। हमारे मन्त्री जी ने पूछा है कि जो डाक्टर एक जगह पर पांच साल पूरे कर चुके हैं और उनकी उपलब्धि अच्छी है, ऐसे डाक्टरों के लिए तीन कैटेगरीज ए0 बी0 तथा सी0 बना दी है इसके अनुसार वे अपनी चौइस दे दें। जहां तक सम्भव होगा उनको उन स्थानों पर रखेंगे।

मुझे यह कहने में अत्यन्त खुशी है कि हमारे सचिव और उच्च अधिकारी इस कार्य में जी जान से लगे हुए हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, सिवाय उन केसेज को छोड़कर, जिनमें ऐसे डाक्टर हैं जिनको वहां से हटाना सम्भव नहीं है। यदि उनको उन अस्पतालों से हटा देते हैं तो अस्पतालों के ऊपर तथा जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उनको छोड़कर बाकी सभी डाक्टरों को जिनके 31 मई तक एक स्थान पर पांच साल पूरे हो गये हैं, हटाने का हमने संकल्प कर लिया है। एक भी अपवाद आपको ऐसा नहीं मिलेगा सिवाय उन लोगों को छोड़कर जो अपनी जांच के एक्सपर्ट हैं या जिनके हटाने में बड़ी भारी दुश्वारी है और जिनसे जनता का हित नहीं होगा।

मान्यवर, महामारियों के सिलसिले में भी हमने आवश्यक कदम उठाये हैं। जैसे चेचक की बीमारी है। देश भर में पहले स्थान पर बिहार और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में इस बीमारी का जोर है। देश की अन्य स्टेट्स में तो यह बीमारी खतम सी हो गई है। लेकिन बिहार और हमारे प्रदेश में अभी बाकी है। इधर 9 महीने में हमने 4,600 कार्यकर्त्ता इस कार्य को करने के लिए लगाये हैं। ये लोग गांव गांव में ढूंढ़ते हैं और जहां कोई रोगी इस रोग से ग्रसित पाया जाता है वहां सील कर दिया जाता है। इसके मानें यह हैं कि रोगी को तो इंजेक्शन लगाते ही हैं बल्कि उसके अगल बगल वाले 40-50 घर के लोगों के भी जिनके ऊपर संदेह होता है, चेचक के टीके लगा दिए जाते हैं ताकि बीमारी फैलने न पाये। इस तरीके से कुछ सालों में 56 हजार केसेज खोज निकाले और स्थिति यह है कि चेचक नियंत्रण में है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चेचक नाम की बीमारी नहीं रह जायेगी। आप देखेंगे कि मेडिकल कालेज कानपुर, इलाहाबाद और मेरठ में माइक्रो-बायोलोजी विभाग खोलने का प्रस्ताव है। झांसी मेडिकल कालेज में माइक्रोबायोलोजी तथा वायरोलोजी विभाग खोलने का प्रस्ताव है। मेडिकल कालेज, मेरठ में इन्टेन्सिव थारो-नरी यूनिट खोलने का प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह से मेडिकल कालेज, गोरखपुर और झांसी में प्रत्येक में 300-300 शैय्याओं का प्रस्ताव है।

लखनऊ मेडिकल कालेज में सेन्ट्रल स्टेरीलाइजन सेवा की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है और सर्जरी विभाग में मेजर वैस्क्यूलर सर्जरी के लिये सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। लखनऊ मेडिकल कालेज में पीरियट्रिक सेन्टर की स्थापना का प्रस्ताव है। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह बजट जो पेश किया गया है उसमें आप सहयोग दें और जो भी कमियां हों उन्हें बतायें लेकिन इसलिये नहीं कि आप उसकी आलोचना करें तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सेवाओं में जो भी कमियां हों और हमारे जो भी डाक्टर उदासीन रहकर जनता की सेवा करते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जो ऐसा करेंगे उन्हें कठोर दण्ड भी दिया जायेगा। दवाओं के खरीदने के बारे में एक कमेटी नियुक्त की गयी

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

है वह इस चीज को तय करती है । तब टेन्डर काल किये जायेंगे । ड्रग रिसर्च सेन्टर्स जो हैं उनमें उन लोगों को लगा रहे हैं जो रिसर्च कर सकें, खोज कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कमियां होंगी उनको दूर किया जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, ग्लूकोज कांड के बाद सचिव मेडिकल विभाग ने एक वक्तव्य दिया था कि 40 फर्मों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है लेकिन माननीय मंत्री जी के भाषण में इसकी झलक नहीं दिखायी दी और न ही उसका जिक्र ही किया है।

श्री अधिष्ठाता—

इसके ऊपर आप चर्चा करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, उसकी सूची वितरित करा दें ।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो बजट स्वास्थ्य मन्त्री जी ने रखा है उसके लिए कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31—चिकित्सा—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70—चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

श्रीमन्, स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो अपना भाषण शुरू किया वह बड़ा एपोलोजिटिक भाषण था । उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि चिकित्सा और सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं हुआ है और उसे नहीं कर सके हैं इस बात से सभी सहमत हैं जितना महत्व किसी भी समाज के जीवन में स्वास्थ्य का है उतना शायद किसी दूसरे विषय का न होगा और यह इस कारण से कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ्य बुद्धि होने पर ही अधिक से अधिक काम देश के समाज के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है । रोगी समाज क्या प्रगति करेगा ? कौन सी आर्थिक योजनाओं में सहयोग देगा ? उसकी कहां शक्ति बढ़ेगी ? यह संदिग्ध ।

मगर इस प्रदेश के अन्दर स्वास्थ्य के बजट के साथ बराबर खिलवाड़ किया जाता रहा है । 1972–73 में स्वास्थ्य और चिकित्सा का बजट केवल 6.7 प्रतिशत था । 1973–74 में सरकार ने सोचा जैसा अभी लगता है सदन में वाहवाही लूटा जाय 77 करोड़ का बजट रखा जो 9.6 प्रतिशत होता था लेकिन जो पुनरीक्षित अनुमान हुआ था वह 6 प्रतिशत तक गिर गया । 74–75 में 6.3 प्रतिशत स्वास्थ्य और चिकित्सा का बजट है । परकैपिटा के हिसाब से 72–73 में 4.88 तथा 73–74 में 5 और अब 5.13 प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवार नियोजन आदि पर व्यय करने का सरकार का इरादा है । लेकिन शायद 15 प्रतिशत की कटौती इस गिरे हुए बजट में भी वह करने की प्रस्तावना है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से रिसोर्सेज और नीड्स के बीच म, जो हमारी आवश्यकतायें ह और जो हमारे रिसोर्सेज ह, इनका गप इतना बढ़

गया है, रोगियों की संख्या बढ़ रही है। जो रोगी अस्पताल में नहीं जाता था, आज आर्थिक कठिनाई के कारण जाने लगा है। बहुत सी चीजों के दाम, दवाइयों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे बजट के अन्दर कोई बहुत अच्छा प्राविधान इसके नहीं किया गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब कटौती करना होता है तो उसका कुल्हाड़ा स्वास्थ्य बजट पर ही क्यों गिरता है।

73-74 में अनुमान लगभग 77 करोड़, 9.6 प्रतिशत और पनरीक्षित लगभग 48 करोड़, 6 प्रतिशत। जो एक्सपलानेशन दिया गया उसमें यह कहा गया कि 73-74 के पुनरीक्षित पर चिकित्सालयों एवं मेडिकल कालेजों के आकस्मिक व्यय में अत्यधिक मितव्ययिता। प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी तथा पर्याप्त संख्या में सज्जा उपलब्ध न होने के कारण कुछ योजनायें पूर्ण रूप से कार्यान्वित न हो सकीं, निर्माण कार्य तथा मरम्मत में मितव्ययिता। (स्वास्यत्त शासन निकायों) संस्थाओं को ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजनाओं के लिए अनुदान दिये जाने में कटौती। स्वास्थ्य सेवायें तथा अनरक्षण प्रावस्था की विशेष कल्याण योजना का क्रियान्वयन न होना।

मल निकासी योजनायें, नगरीय जल सम्पूर्ति योजनायें तथा पाइपों द्वारा ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजनाओं के कार्यों का सम्पन्न न होना। भवन निर्माण सामग्री समय से उपलब्ध न होना। 74-75 में पर्ववर्ती वर्ष से लगभग 24 करोड़ रु0 की कम मांग की गई है। इसका कारण बताया गया कि आकस्मिक व्यय तथा भवनों की मरम्मत में मितव्ययिता की दृष्टिकोण से अधिक कटौती। पुष्टाहार के कार्यक्रम में कमी। बच्चों के अन्धेपन को रोकने के प्राविधान में कमी। स्वच्छता सम्बन्धी सेवाओं के लिये स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले अनुदानों में कमी। आज देहातों की जलपूर्ति की व्यवस्था जो है, जो वहां गंदगी है, जो मल निकासी की योजनायें हैं, उसकी तरफ सरकार का ध्यान उतना नहीं जाता। मेडिकल कालेजेज और बड़े-बड़े अस्पतालों में तो सुविधायें दी जा रही हैं।

लेकिन जितने भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स या जिला चिकित्सालय केन्द्र हैं, उनमें 90-95 प्रतिशत केन्द्रों पर बहुत थोड़ी धनराशि का प्राविधान किया गया है। और इस पर भी मुझे शक है कि जितनी मामूली धनराशि बजट में रखी गयी है उसको सरकार पूरी तरह से खर्च कर पायेगी। बहुधा देखा जाता है कि जो बजट पास होता है वर्ष के आखिर में विशेषकर मार्च के आखिर में और कभी-कभी तो मार्च के आखिरी हफ्ते में बजट का एलोकेशन जिलों के केन्द्रों पर पहुंचता है और उसके कारण विभाग में भ्रष्टाचार होता है। जो एलोकेशन्स सरकार से निकलते हैं, वे भ्रष्ट ठेकेदारों को, मेडिकल डिपार्टमेंट में ही नहीं सारे विभागों में दस्ती दिये जाते हैं और केन्द्रों पर भेजे जाते हैं। फिर कमीशन तय करते ह, रद्दी दवायें अस्पतालों में सप्लाई की जाती हैं। डाक्टरों को दवायें 10 दिन में या 1 हफ्ते में जो भी उपलब्ध हों, मजबूरन खराब दवायें खरीदनी पड़ती हैं क्योंकि उन्हें एलोकेटड धनराशि का यूटिलाइजेशन करना होता है और अगर वे उसे युटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो उनको बैड एन्ट्री दी जाती है। यदि बजट के एलोकेशन्स, बजट के सदन के पास होने के बाद, 3 महीने के अन्दर जिले के केन्द्रों और नीचे की इकाइयों तक पहूंचा दी जाय तो उस धनराशि का बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है।

दूसरे जो हमारे सेन्ट्रल मेडिकल विभाग के स्टोर्स खुले हुए हैं, इनको बन्द कर देना चाहिये। इस सम्बन्ध म बहुत शिकायतें मिली ह कि इनम बड़ पमान पर दवाय खरीदी गई ह, और इनमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। यह भी देखन म आया है कि यहां से किसी अस्पताल को 200 सिरप की बोतल चली गयीं किसी को 200 टानिक की बोतलें चली गयीं और किसी

[डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल]

को बड़ी मात्रा में कोई दवाई ही चली जा रही है। मेरे विचार में अस्पताल के जो सुपरिन्टैन्डेंट हों, उसे वहां की आवश्यकता को देखते हुए वहां की समस्याओं को देखते हुए दवाओं को खरीदने का अधिकार होना चाहिये और उसके लिये सरकार की ओर से उन सुपरिन्टेन्डेन्ट्स को बजट का एलोकेशन जाना चाहिये।

जैसा मैंने अपने भाषण में पहले भी कहा आज इस स्वास्थ्य के बजट में सबसे ज्यादा उपेक्षा प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों की और जिला अस्पतालों की की गई है। माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि प्रामरी हैल्थ सेन्टर्स की दवाओं की धनराशि 5 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपया कर दी है। बजट के आंकड़ों में लिखा है कि 40,000 से 1 लाख रोगी प्रति वर्ष प्रति केन्द्र पर दवाई लेने आते हैं, तो पहले 10 पैसे प्रति व्यक्ति और अब 25 पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का हिसाब से पड़ता है। साधारण दस्त के लिये भी अगर किसी रोगी को 6 से 12 गोली सल्फाडीन देनी होती है तो वे भी 50-60 पसे की होती हैं। तो इतने कम पैसे में कौन डिप्थीरिया, टिटनैस, हैजा या गैसट्रो एन्ट्राइटिस का इलाज करा सकता है जबकि इन मरीजों के लिये अस्पतालों में दवा ही नहीं होती है। और गरीब लोगों के बच्च तड़प-तड़प कर मर जाते हैं क्योंकि इन बीमारियों का इलाज कराने के लिये उनके पास 200 या 400 रुपये नहीं हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त जो एमरजेन्सी की दवायें होती ह, वे इन प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स पर या अस्पतालों में बहुत कम उपलब्ध रहती हैं क्योंकि उनका बजट ही बहुत कम होता है। इसके अलावा जो मेडिकल कालेज में रेयर डिजीजेज जैसे कन्सर का नाम ही ले लें उसकी चिकित्सा सुविधा यदि प्रदेश में उपलब्ध न हो, कुछ एडवान्स एज वाले लोग दवा से साल 2 साल या 5 साल उनकी जिन्दगी बढ़ायी जा सकती है अगर उनको फायदा न हो तो कोई बात नहीं है लेकिन आज दवाई की कमी के कारण हजारों बच्चे टिटनेस और डिप्थीरिया से बीमार होकर काल के गाल में चले जाते हैं। इनको हम 20-25-50 वर्ष के लिए स्वस्थ शरीर दे सकते हैं। और तो दवायें अधिक से अधिक इन ग्रामीण क्षेत्रों म और जिला केन्द्रों पर दी जानी चाहिये ताकि वहां की जनता की सेवा हो सके, 90-95 फीसदी लोगों का भला हो सके। हमारे इन छोटे अस्पतालों में उपकरण और सज्जा का बड़ा अभाव है। अगर उनकी हालत देखें तो ज्यादातर ये अस्पताल अस्पताल कहने के लायक नहीं हैं। वहां गन्दगी का साम्राज्य आपको मिलेगा। अस्पताल के वार्ड्स में बेतहाशा भीड़ मिलेगी। रोगियों के पास तमाम परिचारक टहलते हुए मिलेंगे। यह जिम्मेदारी किसकी है? अधिकतर अस्पताल ऐसे हैं जहां पर नर्सों की व्यवस्था नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अन्दर परिचारकों का एक विशिष्ट महत्व होता। बिना नरसेज के हास्पिटल के अन्दर प्रापर ट्रीटमट और केयर नहीं हो सकती और मेरे ख्याल से मुश्किल से 70-75 अस्पतालों म उत्तर प्रदश के आज नरसों की व्यवस्था है।

थालाजिकल लेबोरेटरीज का अभाव प्रामरी हेल्थ सेन्टर्स पर है। जिला केन्द्र पर पूरी तरह से इक्विप्ड, फुल-फलेज्ड पथालाजिकल लेबोरेटरीज होनी चाहिये और बेसिक इन्वेस्टिगशन की फसिलिटीज सारे प्रामरी हेल्थ सेन्टर्स पर होनी चाहिये। नयी मद के अन्दर सरकार ने बड़ी कृपा करके एक लाख रुपये का प्राविधान किया है। अगर हम देखें कि एक हजार से ऊपर जो अस्पताल हैं उनमें 1 लाख रुपया बांटने के बाद क्या होगा, तो केवल सौ रुपया प्रति अस्पताल की दर से इसका औसत आता है। कहां से साज-सज्जा और उपकरण इसमें बांटे जा सकेंगे?

रोगियों के लिये भोजन की व्यवस्था बड़ी शोचनीय है। जिस प्रकार का भोजन उन्हें मिलता है वह भल-चंगे आदमी के लिय भी ठीक नहीं है। टी0 बी0 के मरीज को 2 रुपय दिय जाते ह भोजन के लिये। कौनसा पौष्टिक आहार टी0 बी0 के रोगी के लिये, जिसे बहुत अच्छ से अच्छा भोजन चाहिये वह 2 रुपये में मिल सकता हैं?

बिस्तरों की जो संख्या बतायी गयी है। जैसा स्वयं मन्त्री जी नें स्वीकार किया, आज हमारे यहां बेड्स की कमी ट्ठ है मरीजों के लिए कपड़ों की बड़ी कमी है। इस मद में भी सरकार ने एक नया प्राविधान 1 लाख रुपये का किया है। वह भी सौ रुपये का ऐवरेज आता है।

एक्सरे मशीनें किसी प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर नहीं हैं, जिला अस्पतालों में हैं। कुछ खराब पड़े हुए हैं। एक्सरे फिल्म्स का बड़ा अभाव है। साल के 8-9 महीनों में अस्पताल के अन्दर फिल्म्स नहीं मिलती हैं। इस पर सरकार ने 400 रुपये प्रति अस्पताल के हिसाब से प्राविधान किया है।

दूसरी कमी स्वयं डाक्टरों की है, नरसों की है, फार्मासिस्ट्स की है और पैरा-मेडिकल स्टाफ की है। जैसा मैंने निवेदन किया, बड़े अस्पतालों को छोड़कर नरसेज हैं ही नहीं। सारा काम कम्पाउंडरों को करना पड़ता है और पूरे जिला अस्पताल के अन्दर रात में एक कम्पाउंडर होता है जो हर विभाग के अन्दर सब रोगियों को दवा देता है, सुई लगाता है और उसे इमरजेन्सी में भी जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। बड़े-बड़े अस्पतालों में, मेडिकल कालेज और बलरामपुर अस्पताल में भी केवल एकनर्स 25 रोगियों के ऊपर होती है और रात में 50 के ऊपर एक नर्स लगायी जाती है---जबकि 4-6 रोगियों के ऊपर एक नर्स होनी चाहिये।

ऐसी स्थिति में जहां न दवा है, न सज्जा है, न स्टाक है---उन अस्पतालों से क्या आशा हम कर सकते हैं? एक सुझाव मेरा है कि वैक्सीन और सीरा जो इम्म्यूनाइजेशन के लिये बड़ा जरूरी है, जो डिपथीरिया और टिटेनस जसे रोगों के उपचार के लिये जरूरी है उनको रखने के लिये हर अस्पताल में रेफरीजेरेटर नहीं हैं। अगर वैक्सीन और सीरा रेफरीजेरेटर में नहीं रखे जाते हैं, बाहर रखे जाते हैं तो इनकी पोटेंसी गिर जाती है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिये फिर भी अस्पताल ऐसा न हो जहां रेफरीजरेटर उपयोग क लिये न हो क्योंकि आज लाइफ सेविंग ड्रग्ज की बात कही जाती है कम से कम उनके रखने के लिये इस प्रबन्ध की आवश्यकता है। ऐंटी रेबिक वैक्सीन की बात है। किसी को कुत्ते ने काट लिया तो उसे जिला केन्द्र पर 25-25, 30-30 और 40-40 मील तक रोजाना इंजेक्शन लगवाने के लिये आना पड़ता है। इसलिये ऐंटी रेबिक वैक्सीन्स का प्रबन्ध हर प्रोइमरी हेल्थ सेन्टर पर होना चाहिये।

अस्पतालों का प्रबन्ध, उसका प्रशासन चुस्त और सख्त किया जाना चाहिये। मन्त्री जी ने जिक्र किया कि यह शिकायत भी आती है कि कहीं पर रोगियों से रिश्वतें मांगी जाती हैं और कहीं बाजारों में दवाइ यां बिक रही हैं और कहीं पर देखभाल में कमी होती है। यह शिकायतें सही हैं और ऐसे डाक्टर्स जो यह सब करते हैं वास्तव में मेडिकल प्रोफेशन के लिये कोढ़ हैं। उन डाक्टर्स का ट्रांसफर करना कोई सजा नहीं है। इस नोबुल प्रोफेशन में रह कर इस तरह की गड़बड़ियां करने वाले जो डाक्टर्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिये। यह व्यवस्था भी अस्पतालों के अन्दर की जाय कि अस्पतालों के ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये एक ट्रेनिंग होती है आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज न्यू देलही के अन्दर दो वर्ष की एक ट्रेनिंग होती है कि जो डाक्टर्स 5 वर्ष सेवा करने के बाद अगर अस्पताल के ऐडमिनिस्ट्रेशन में दिलचस्पी रखते हैं तो उनको वह ट्रेनिंग दिलाकर उनको अस्पतालों में ऐडमिनिस्ट्रेटर की शक्ल में नियुक्त करना चाहिये ताकि स्पेशलिस्ट्स का टाइम अस्पतालों के ऐडमिनिस्ट्रेशन के कामों में बेंकार में न खर्च हो। जब से आपने यह नयी व्यवस्था लागू की है सी0 एम0 ओ0 डिप्टी सी0 एम0 ओ0 और सुपरिन्टेन्डेन्ट की तब से बड़ी कठिनाई यह आई है कि इन तीनों को अपने

[डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल]

कर्तव्य और अधिकार नहीं मालूम हैं। इनकी राइट्स और ड्यूटीज में ओवरलेपिंग होती है इसलिए इनके राइट्स और इनकी ड्यूटीज को स्पष्ट करके तीनों ही प्रकार के अधिकारियों को उनको बता दिया जाना चाहिये।

बिजली के लिये सदन में कई बार जिक्र हुआ कि स्टैंडबाई जेनेरेटर्स लगाये जावें ताकि अस्पतालों के अन्दर आपरेशन के वक्त अगर एका-एक बिजली चली जाय तो भी रोगी न मर सकेगा। सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसको वह धीरे-धीरे लगायेगी। मगर मेरा कहना है कि जो छोटे अस्पताल हैं और जहां जेनेरेटर का सवाल अभी नहीं है वहां एलेक्ट्रिफिकेशन की बहुत आवश्यकता है। ऐसे भी अस्पताल हैं जहां सौ गज पर बिजली की लाइन है लेकिन अस्पताल में बिजली नहीं है। बिजली हर अस्पताल के लिये होनी चाहिये, यह आवश्यक है।

इसके साथ ही डाक्टरों के रहने के लिये मकानों की उपलब्धि आज बहुत कम है। जो थोड़े बहुत मकान हैं उनमें से भी डाक्टरों को एलाट न करके कुछ दूसरे आफिसर्स को एलाट कर दिये गये हैं। यह नहीं होना चाहिये। इमरजेंसी ड्यूटी के ऊपर जब डाक्टर अस्पताल से दूर रहेगा तो उसको आने में समय लगेगा इसीलिये अस्पतालों के अन्दर ही यह व्यवस्था होनी चाहिये और वहां इमरजेंसी रूम्स होने चाहिये जहां इमरजेंसी ड्यूटी पर होने वाले डाक्टर के लिए उसके रहने के लिये पूरी व्यवस्था हो और वहां इमरजेंसी ड्यूटीज पर वह 24 घंटे उपलब्ध रहे।

एक और तकलीफ जो इन छोटे अस्पतालों में है वह यह है कि सर्जिकल स्पेशिलिस्ट्स की पोस्ट वहां है, सर्जन्स मौजूद हैं लेकिन एनेस्थेसिस्ट्स नहीं हैं। ऐनेस्थेसेसिस्ट्स न होने से बड़े आपरेशन नहीं हो सकते। फिर अन्ट्रेन्ड लोगों से, कम्पाउन्डर्स से जो इनेस्थेसिया दिलाया जाता है और उसके कारण किसी रोगी की मृत्यु हो जावे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आखिर हर जिले के अस्पताल के अन्दर एनेस्थेसिस्ट की पोस्ट क्यों नहीं हो रही है। एक और कारण है कि ऐनेस्थेसिस्ट की पोस्ट प्रैक्टिसिंग कर दी गयी। उसको घर पर दिखाने के लिये कौन रोगी जायगा, इसलिये ऐनेस्थेसिस्ट की पोस्ट नान-प्रैक्टिसिंग होनी चाहिये और उसे नान-प्रेक्टिसिंग एलाउन्स मिलना चाहिये।

कुछ समस्यायें हैं जो कर्मचारियों की हैं। उनमें से एक है समान काम के लिये समान वेतन की यह मांग सारी ही जगह पर है। इस विभाग में भी ऐसा स्टाफ है जिसको समान काम के लिये समान वेतन नहीं मिल पा रहा है और जब असमानता होगी, वेतनों में असमानता होगी, असंतोष बढ़ेगा और असन्तोष अगर बढ़ता है तो अक्षमता और उदासीनता बढ़ेगी। अभी मन्त्री जी ने स्वीकार किया था कि डाक्टर उदासीन हो जाता है। अगर डाक्टर या पैरा-मेडिकल स्टाफ को हम मिनिमम फैसिलीटीज भी नहीं दे सकते हैं तो उसके उदासीन होने में और उसके अक्षम होने में हमारा भी हाथ होता है। जैसे फार्मासिस्ट्स का जो वेतन है 230–380 रुपये के वेतन की वह परिचारिका एक्सरे टेक्नीशियन ड्राफ्ट्समैन और दूसरे लोगों के सेनेट्री इन्सपेक्टर तथा 280–450 रुपये के वेतनक्रम से बहुत कम है। उसकी उन्नति का भी कोई माग नहीं है, प्रोमोशनल एवेन्यूज नहीं हैं उसी तरह से पैरा मेडिकल असिस्टेंट्स राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना का वेतनक्रम 250–425 है जबकि उसके समकक्ष जो और सुपरवाइजरी स्टाफ है जैसे असिस्टेंट मलेरिया मेन्टिनेन्स आफिसर वगैरह उनकी तनख्वाहें उससे बहुत ज्यादा है।

कुछ तकलीफ स्पेशलिस्ट्स की भी हैं। 1973 में स्पेशलिस्ट काडर के लिये आप्शन मांगा गया था। लेकिन जो स्पेशलिस्ट्स नियुक्त हुए उनका प्रोमोशन ऐडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में नहीं होगा। वह स्पेशलिस्ट हैं। ज्यादा से ज्यादा कन्सलटेंट तक जायेंगे। उन्होंने इसलिए आप्शन दिया कि उन्हें स्पेशलिस्ट का काम करने दिया जाय मगर आज उनसे जनरल ड्यूटी भी ली जाती है और इस तरह से वे न तो जनता की सेवा कर पा रहे हैं न उनको आत्मसंतोष हो पाता है। इसलिए उनको उनके स्पेशलाइजेशन तक सीमित रखा जाय।

जनाना अस्पतालों में डाक्टरों की बड़ी कमी है और जनाना अस्पताल भी प्रदेश में बहुत कम हैं। कुल 192 जनाना अस्पताल यू0 पी0 में हैं जिन में से लगभग 125 रूरल एरियाज में हैं। एक जिले के जिला केन्द्र को छोड़ कर शायद ही कहीं और अस्पताल होगा जबकि पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या लगभग बराबर है। बीमारियों के मामले में स्त्रियों की अपनी कुछ विशेष समस्यायें हैं। प्रसव के बाद हर स्त्री का पुनर्जन्म होता है और प्रसव काल में ऐसी दिक्कतें आती हैं, कभी आसट्रक्शन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। केवल जिला केन्द्र पर सुदूर देहात से वह महिलायें लायी नहीं जा सकतीं और बहुत-सी महिलायें इस कारण से मर जाती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस साल जितने भी अस्पताल रूरल एरियाज में खोलने वाली है वह सारे के सारे महिला अस्पताल खोले जायां। कम से कम जिले के हर तहसील केन्द्र पर एक महिला अस्पताल अवश्य हो और उनमें दो डाक्टर अवश्य होने चाहिये। बड़े अस्पतालों में 30–30 घंटे की इमर्जेन्सी ड्यूटी हर तीसरे दिन लेडी डाक्टर को देनी पड़ती है। छोटे अस्पतालों में तो 24 घंटे, 12 महीने मेडिकल आफिसर ड्यूटी पर रहती हैं। कैसे कोई होशियारी के साथ इन परिस्थितियों में अपने उत्तरदायित्व को निभा सकता है।

कुछ एलाउन्सेज हैं जो इनको मिलते थे। पी0 एच0 सी0 एलाउन्स 70 रुपये मिलता था, पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स मिलता था, एक-डेढ़ वर्ष से नहीं रहा है। 400 डाक्टरों को एक साल से वेतन नहीं मिला है। ई0 एस0 आई0 या डाक्टरों को प्रतिकर भत्ते 1 1/2 वर्षों से नहीं दिये गये हैं।

डायरेक्टोरेट की भी कुछ प्राव्लम्स हैं। सीनियर डाक्टर्स डायरेक्टोरेट में एडीशनल डायरेक्टर या ज्वाइंट डायरेक्टर हो कर आते हैं। मगर कोई भी अच्छा और होशियार डाक्टर डायरेक्टोरेट में जाना पसन्द नहीं करता है। वह चाहता है कि उसको स्पेशलाइजेशन के साथ सेवा करने का मौका दिया जाय। लेकिन उसकी पोस्टिंग जब वहां होनी है तो कम से कम उसके साथ भी कुछ न्याय होना चाहिये। एडिशनल डायरेक्टर और डायरे क्टर को नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स नहीं दिया जा रहा है जबकि डायरेक्टर-जनरल, मेडिकल सर्विसेज को नान-प्रैक्टिसिंग और पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स भी दिया जाता है। कुछ तो आदमी के सामने आकर्षण होना चाहिये कि वह अपने पेशे के काम को छोड़ कर ऐडमिनिस्ट्रेटिव काम करे।

श्री अधिष्ठाता--

अभी और कितना समय लेंगे माननीय सदस्य ?

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

मैं 15 मिनट का समय और चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

ट्रान्सफर तथा पोस्टिंग आदि में राजनीतिक हस्तक्षेप केवल चिकित्सा विभाग में ही नहीं, वरन् हर विभाग में देखने को मिलता है। इसके लिये माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जायगा और 5 वर्ष सेवा करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रान्सफर अवश्य हो जायगा। यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका सख्ती के साथ पालन होना चाहिये। पहाड़ों, जेल व ई0 एस0 आई0 के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां इन लोगों को एक वर्ष से अधिक नहीं रहना चाहिये। रोटेशन से हर

[डा० जितेन्द्र कुमार अग्रवाल]

डाक्टर को वहां भेजना चाहिये । आज देखने में आता है कि 7–8 वर्ष के ऊपर भी कुछ डाक्टरों को पहाड़ों पर एक जगह काम करते हो जाता है । इसके विपरीत ऐसा भी देखने में आता है कि सारी सर्विस में एक भी बार उसे पहाड़ नहीं भेजा गया होगा । यह सब पोलिटिकल प्रेशर के कारण होता है । इससे उनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है और जब यह पैदा होता है तो उनमें काम करने की क्षमता नहीं रहती, वे ठीक से काम भी नहीं करते हैं । इसलिये मन्त्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

एक बात और इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । ट्रान्सफर जो होते हैं वे जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होते हैं । आर्डर पहुंचते-पहुंचते इतना समय लग जाता है । स्कूलों में एडमीशन पहली जुलाई से शुरू हो जाते हैं और पहले सप्ताह में ही समाप्त हो जाते हैं । जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ट्रान्सफर होने से बच्चों के एडमीशन में बड़ी दिक्कत पड़ती है । इस वर्ष की भी अभी तक ट्रान्सफर लिस्ट आउट नहीं हुई है । इसमें भी 20 जुलाई तक का समय लग जायगा । इसलिये इस ओर भी मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिये ।

कुछ नयी स्पेशलीटीज भी खुलनी चाहिये । बाल रूजालय कम से कम हर जिले में एक अवश्य होना चाहिये । बच्चों की अपनी समस्यायें होती हैं । जनरल मेडिकल आफिसर इनको उतना केयर नहीं कर पाते जितना होना चाहिये । वर्तमान समय में हमारे प्रदेश में 22 बाल रूजालय हैं, और इस वर्ष दो और खोलने की योजना है । इस मन्थर गति से जनता का कोई भला होने वाला नहीं है और न ही प्रदेश का भला होगा । हर जिले में खोलते-खोलते 16 वर्ष लग जायेंगे, इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिये ।

एक और स्पेशलीटी की ओर ध्यान देने की जरूरत है । 1969 में केन्द्रीय सरकार ने अपने बजट में यह प्राविधान किया था कि जो राज्य सरकारें स्पीच एन्ड हियरिंग डिस्आर्डर संबंधी डिजीज के लिये अपने यहां व्यवस्था करेंगी उनको केन्द्र सरकार मैचिंग ग्रान्ट देगी । मद्रास में, दिल्ली में और कई स्थानों पर यह सेंटर्स हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है । आज लगभग 20 प्रतिशत लोग स्पीच और हियरिंग डिस्आर्डर से सफर कर रहे हैं । इसकी एक व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अन्दर होनी चाहिये । रजत रोग की समस्या विशेष करके, जो औद्योगिक नगर हैं वहां काफी पैमाने पर बढ़ रही है । पी० एम० एस० के अन्दर बी० डी० स्किन का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है । कम से कम बड़े अस्पतालों के अन्दर इनकी पोस्टिंग होने की आवश्यकता है ।

मेडिकल कालेजों से 800 डाक्टर हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष निकलते हैं । 2 मेडिकल कालेज खोलने की प्रस्तावना इस बजट में थी जो किन्हीं कारणों से नहीं खोलने जा रहे हैं । इससे मेरा काम आसान हो गया । मेरा सुझाव यह है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर फिलहाल और अधिक मेडिकल कालेज खुलने नहीं चाहिये क्योंकि जो अन-इम्प्लायमेन्ट आज राजस्थान और मध्य प्रदेश और बंगाल के अन्दर हैं, डाक्टरों का, वही हाल उत्तर प्रदेश के अन्दर आप और मेडिकल कालेज खोलकर न करिये । इसलिए अधिक मेडिकल कालेज खोलने की योजना न बनाइये । हाल ही में जो पी० एम० एस० की जगहें खाली हुई थीं उनमें 400–500 की संख्या में राजस्थान और मध्य प्रदेश के डाक्टरों को भर लिया गया है । दिसम्बर के अन्त में हमारे मेडिकल कालेजों से 800 डाक्टरों का बैच आयेगा । उसकी खपत प्राविंशियल सर्विसेज के अन्दर नहीं होगी । दूसरों का अन-इम्प्लायमेन्ट मिटाने के लिये हम अपने प्रदेश के अन्दर डाक्टरों में अन-इम्प्लायमेन्ट बढ़ायेंगे । इंजीनियर्स में पहले से अन-इम्प्लायमेन्ट है, अब डाक्टरों की बारी है । लेकिन अगर हम थोड़ी-सी दूरदर्शिता से काम लें और वर्तमान समय में और मेडिकल कालेज न खोलें तो यह समस्या हल हो सकती है ।

जिन क्षेत्रों में मेडिकल कालेज खोलने की योजना है, जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र, अगर हम वहां के विद्यार्थियों के लि अपने यहां के वर्तमान मेडिकल कालेजों में आरक्षण बढ़ा दें तो पहाड़ी क्षेत्रों के विद्यार्थियों की समस्या सुलझ सकती है। और जो पैसा हम इन मेडिकल कालेजों पर खर्च करने जा रहे हैं उनसे अगर हम 2–3 बड़े अस्पताल वहां पर खोल दें और उनके अन्दर सारे स्पेशिलिटीज की व्यवस्था करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जनता को इलाज की ज्यादा जरूरत है मेडिकल कालेजों की नहीं। ऐसा करना उन क्षेत्रों की जनता के लि अधिक फायदेमन्द होगा और इस तरह से जो डाक्टरों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती थी वह भी कम होगी।

दूसरी बात यह है कि जब आप जनसंख्या के हिसाब से चिकित्सकों और जनता का रेशियों निकालें उस समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि भारतवर्ष में केवल ऐलोपैथिक चिकित्सक ही नहीं हैं। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के भी अनेक चिकित्सक हैं। इन सारे चिकित्सकों को मिला कर हम अगर अनुपात निकालें तो मेरा मत है कि शायद अब डाक्टरों और पापुलेशन का रेशियो लगभग नार्मल पर आ रहा है। इसलिये हमें आगाह होना पड़ेगा कि जब तक हम फिर से एसेसमेन्ट न करें तब तक और मेडिकल कालेज खोलने की बात न करनी चाहिये।

क बात, जो सब से बड़ा भर्ज है वह है टी०बी०, यह रोग आज हमारे देश और प्रदेश के अन्दर काफी फैल रहा है। इसको रोकने के लिये तो बहुत बड़ी योजना बनायी गयी, लेकिन इसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी वह योजना डोमीसीलरी ट्रीटमेन्ट की असफल सिद्ध हुई है। मैं आपके सामने टवेन्टी एट्थ नेशनल कांफेंस आन टी० बी० ऐन्ड चेस्ट डीजीजेज, जो जनवरी 1974 में मद्रास में हुई जिसके अन्दर इस विषय के बड़े-बड़े विशेषज्ञ उपस्थित थे उसमें से कुछ उदाहरण मैं मान्यवर, आपके सामने रखना चाहता हूं:––

Dr. Gothi from N. T. I. reviewed the average achievements from District T.B. Control Programmes, programme efficiency is currently working at 30 per cent.

Dr. S. D. Maqbool analysed the causes of failure of District T.B. control programme in Punjab, Haryana and Rajasthan.

आखिर में इन्होंने इससे नतीजा निकाला

If tangible and satisfactory results are to be achieved, it is essential to modify it in the light of the experience so far this purpose a high powered committee of experts should be set up by the Government of India, which should go into tre causes of failure and suggest ways and means to improve the programme.

श्री अधिष्ठाता––

हिन्दी में भी इसका आशय बता दें।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल––

इसका हिन्दी में आशय यह है कि जो योजना टी० बी० की चलाई गई जिसमें टी० बी० का मरीज घर पर होता है। दवा घर पर खाई जाती है और मरीज ठीक होता है। इस प्रकार की योजना जो भारत सरकार की चली जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के अन्दर भी टी० बी० सेन्टर

[डा० जितेन्द्र कुमार अग्रवाल]

चल रहे हैं । उसका काम देखने के लिये एक सम्मेलन मद्रास में हुआ जिसमें 2–3 डाक्टरों का जिक्र मैंने किया । डा० गोठी ने कहा कि केवल 30 प्रतिशत को इफीशियन्सी इस टी० बी० प्रोग्राम में है । डा० एस० डी० मकबूल ने बताया कि राजस्थान, पंजाब और हरियाना में यह प्रोग्राम सफल नहीं हो पा रहा है । अन्त में यह नतीजा निकला कि इस प्रकार से इंतजाम ढ़ीला होता जा रहा है । अतः इस पर पुनः विचार करने के लिये एक हाई पावर कमेटी की स्थापना की जानी चाहिये ।

मान्यवर, कानपुर के अन्दर तथा जो औद्योगिक नगर है वहां टी० बी० बढ़ती जा रही है । कानपुर में 0.5 प्रतिशत मौतें टी० बी० के कारण होती है । वहां की ढ़ाई प्रतिशत आबादी टी 0 बी 0 से पीड़ित है । यही दशा अन्य औद्योगिक नगरों की है । आज आलम यह है कि डाक्टर के पास जो मरीज आते हैं उनमें से आठवां-दसवां मरीज टी 0 बी 0 का होता है । घरों में टी 0 बी 0 के मरीज को अलग रखने का प्रबन्ध नहीं है जिससे टी 0 बी 0 के कीटाणु फैलते हैं और दूसरे लोगों को हो जाती है । मरीज को ठीक भोजन नहीं मिल पाता है । इन सब कारणों स यह प्रोग्राम सफल नहीं हुआ । यदि इस प्रोग्राम को सफल करना है तो टी 0 बी 0 के मरीज को अलग रखना पड़ेगा । शय्यायें उचित संख्या में नहीं है । इसलिये यदि काटेज हास्पिटल खोलने की व्यवस्था की जाय तो अच्छा होगा । लिप्रोसी रोग भी बढ़ रहा है । यह रोग हमारे सुल्तानपुर जिले मे बढ़ता जा रहा ह । अतः इसके रोकथाम का इंतजाम सख्ती से होना चाहिये ।

मान्यवर, एक विषय पिछले कुछ महीनों से बड़ा उत्तेजनापूर्ण रहा है और वह है ग्लूकोस कांड । यह ग्लूकोस कांड कानपुर के अन्दर हुआ । उसमें यह चीज साबित हुई कि हमारा जो ड्रग कन्ट्रोल एडामनिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश का था वह बहुत ढीला था । यहां पर ड्रग कन्ट्रोल म होल टाइम आफिसर नहीं हैं । अतः पूरे समय काम करने वाला ड्रग कन्ट्रोलर होना चाहिये और जिसे दवा के बनाने, उसको जांच करने तथा उसको विश्लेषण करने का अनुभव थ्योरिटिकल और प्रेक्टिकल दोनों प्रकार का, होना चाहिये । इसके अलावा जो दवाइयां बनती हैं विभिन्न कंपनियों के अन्दर उनके लिये कानून म यह व्यवस्था है कि हर बैच का सेम्पिल सरकारी लेबोरेटरी में टेस्ट हो । इसका जो नियम ह उसका कड़ाई स पालन किया जाना चाहिये और हमारा जो पब्लिक एनेलिस्ट डिपार्टमेन्ट है उसके अन्दर योग्यतम व्यक्ति हो जिसे दवाइयां के विश्लेषण का पूरा-पूरा ज्ञान हो वरना हमें ड्रग एनेलिसिस के लिए सेपरेट विभाग खोलना चाहिय ।

हमारे यहां एक और समस्या ह । हम उत्तर प्रदेश के अन्दर डाक्टर तो 700–800 की तादाद में निकालते ह लेकन काफी संख्या में ये लोग देश के बाहर चले जाते हैं । 15,000 डाक्टर प्रतिवर्ष विदेश जा रहा ह । अभी जो यूनाइटेड नेशस की रिपोर्ट निकली है उसके अनुसार भारत को एक डाक्टर के बाहर जाने पर 3 लाख 39 हजार रुपये की आर्थिक हानि उठानी पड़ती है । जितने डाक्टर भारत में तयार होते ह उनका 10 फीसदी विदेशों म चल जात ह । आखर ऐसा क्या है ? कारण यह है कि वह असतुष्ट रहते हैं और यहां पर उनको एम्प्लायमेन्ट के एवेन्यूज नहीं मिल पात । यह जा ब्रेन ड्रेन हो रहा है इसको हमें रोकना पड़ेगा । आज हम मेडिकल कालजेज खोलने की बात करते ह लेकन हमारे जो डाक्टर इस तरह से बाहर चले जाते हैं उनको हम अगर पूरा एमेनेटाज और सुविधाय दे तो वे बाहर न जायं । आज गांवों क अन्दर कम डाक्टर उपलब्ध होत ह । तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि गांवों के अन्दर सुविधाय क्या ह ? काफी अस्पताल ऐसा संख्या म जिनकी बिल्डिग नहीं हैं । डाक्टर क रहने की व्यवस्था तो बहुत से अस्पतालों में नहीं ह ।

बस्ती के बांसी के अस्पताल का उदाहरण मैं देता हूं । महिला चिकित्सालय पुरुष चिकित्सालय क ही एक कमर म है और लेडी डाक्टर के रहने का कोई व्यवस्था नहीं है । अगर

आप बिल्डिंग और रहने की व्यवस्था भी कर दें तो पर्याप्त संख्या में डाक्टर मिल सकते हैं । आपने डेन्टल क्लिनिक्स खोली हैं लेकिन जनता को उनसे पूरा लाभ नहीं मिल पाता । डाक्टर दांत के रोगों की दवाइयां लिख दे या दांत उखाड़ दे, बस इतना ही कर सकता है । न तो वहां फिलिंग के साधन हैं और न दांत बनाने की सुविधा । जो पैसा आप वहां खर्च कर रहे हैं अगर थोड़ा-सा पैसा और खर्च करके ये सुविधा दे दें तो स्पेशलिस्ट केयर डेन्टल फील्ड में रोगियों को मिल सकती है । सुल्तानपुर के डेन्टल क्लिनिक का जिक्र मैं करना चाहूंगा । वहां 8-9 महीने से बिल्डिंग तैयार है लेकिन वह हस्तान्तरित नहीं की गयी ।

आयुर्वेद के विषय में यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश की यह पुरानी पद्धति है। इसके विषय में आज पश्चिमी देशों में भी दिलचस्पी है । कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती हैं और उन दवाओं को एम 0 आर 0 सी 0 पी 0, एफ 0 आर 0 सी 0 एस 0 इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एलोपैथी में कुछ रोगों की अच्छी दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं । चीन ने एक्युपेन्चर की प्रक्रिया को अपनाया है और पश्चिमी देशों में भी उस विषय में दिलचस्पी है । हमारे यहां भी आयुर्वेद के अन्दर शोध संस्थान खोलने की आवश्यकता है। बहुत-सी दवाइयां आयुर्वेद में हैं । उनकी रिसर्च होनी चाहिए और सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए । होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज आपने बहुत कम खोली हैं । 116 डिस्पेंसरीज केवल देहातों में हैं । इसके लिये एक रीजनल मेडिकल आफिसर होना चाहिये जो कमिश्नरी लेविल पर होम्योपैथिक के मामले को देखे । एक चिकित्सा पद्धति को दूसरी चिकित्सा पद्धति से मिलाना उचित नहीं होगा । इससे एक चिकित्सा पद्धति अच्छी तरह से पनप नहीं सकती है । मैं समझता हूं, जिसको मंत्री जी ने अपने भाषण में स्वीकार भी किया है, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है । लेकिन पिछले बजट में बहुत ज्यादा कटौती हुई । इस पर हमारे और उनके मत में मतभेद नहीं है कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ होना चाहिये । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे । धन्यवाद !

डाक्टर चरण सिंह (जिला लखनऊ)---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ताकि मैं जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपना बजट रखा है, उसका समर्थन कर सकूं । मान्यवर, विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य की जो तस्वीर खींची है, वह एक निराशा पैदा करती है । लेकिन वह भूल जाते हैं कि 1947-48 में जब हम आजाद हुये थे, उस वक्त हमारे देश की क्या दशा थी स्वास्थ्य के संबंध म अब जो प्रगति हुई है, वह कैसे हुई है । 1947-48 में हमारे देश में एक आदमी की औसत उम्र 31.8 होती थी, जब कि आज वह 54 साल हो गयी है । उस वक्त हजार आदमी के पीछे 27-28 आदमी मरते थे और आज 15 मरते हैं । उस वक्त अंग्रजों के जमाने में 1947-48 से पहल 30 पैसे एक आदमी पर चिकित्सा में खर्च किया जाता था और 1951-52 में 51 पैसे, 1960-61 में 1.66 पसे और 1974-75 में 5.13 पैसे खर्च होता है इस मद में । आहिस्ता-आहिस्ता जसे-जसे हमारा आर्थिक सुधार हुआ, हमार देश की हुकूमत ने हमारे स्वास्थ्य को ऊंचा करन की कोशिश की । इसके अलावा, उस देश की क्या हालत थी, जिसके हम गुलाम थ ?

उस वक्त यू 0 के 0 में पर-कैपिटा एक्सपेंडीचर 28 पाउण्ड था (400 रुपये), जब कि हमारा केवल 30 पैसे । इस तरह से हमारे दश को उन्होंने लूटा । जिस देश के निवासियों का सारा खून चूस लिया गया हो, वहां के इन्सानों से यह अपेक्षा करना (और वह भी केवल 26 सालों में) कि वह हर चीज का मुकाबिला कर सके, यह कैसे सम्भव हो सकता है । एक

[डाक्टर चरण सिंह]

इन्सान की जिन्दगी में 20 साल तो महत्व रखता है, लेकिन जहां तक एक प्रदेश का ताल्लुक है, वह महत्व नहीं रखता। प्रदेश तो आहिस्ता-आहिस्ता बनती है और तरक्की करती है। इस तरह से हमारा प्रदेश आहिस्ता-आहिस्ता तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। जो मार्टल्टी रेट उस वक्त हमारे देश का था (दुनिया में सब से ज्यादा था) वह था 81 हमारे बच्चे पैदा होते थे और एक हजार में से 81 मर जाते थे। यू0 के0 का मार्टल्टी रेट उस वक्त 20.7, जापान का 20.4, मलेशिया का 56.7 और इण्डिया का 81 था। आहिस्ता-आहिस्ता इसमें सुधार हुआ। एन्ट्रेमेंटल केयर की व्यवस्था की गयी। यह हमारी दश की हुकूमत का फर्ज था कि हमारे देश में जो बच्चे पैदा हों, उनकी पूरी उम्र तक ख्याल रखा जाय। बल्कि बच्चा होने से पहले उसका ख्याल रखना चाहिये और माताओं के लिये एन्ट्रेमेंटल केयर होनी चाहिये। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया है हर जिले में कई मेटरनिटी हास्पिटल खोले जा रहे हैं। हर जिले में बच्चों की तरफ तवज्जह देने के लिये एक-एक विभाग है और इसके साथ ही एक स्पेशल हास्पिटल लखनऊ में खुलने जा रहा है जिसमें बच्चों का बहुत बड़ा केन्द्र होगा। जहां तक देशवासियों के स्वास्थ्य का सवाल है हमको जहां बीमार होने से बचाना है वहां बीमार होने पर उनके इलाज का प्रबन्ध भी करना है। लिहाजा प्रिवेन्टिव स्टेप्स भी हमको लेने हैं। उसके लिये वेक्सीन और इंजेक्शंस और जो चीजें आवश्यक हैं उनका प्रबन्ध होना चाहिये। मैं सहमत हूं कि वेक्सीन अपना पूरा असर नहीं रखते जब तक कि वे फ्रेश न हो और उसके मुताबिक उनको ठीक तरह से रखा न जाय। लेकिन हम आहिस्ता-आहिस्ता तरक्की कर रहे हैं। वेक्सीन इंस्ट्रीट्यूट हमने बनाई है। कालरा के वेक्सीन करोड़ों की संख्या में हम बना रहे हैं। स्माल पावस को इरेडिकेट करने का भी हमारा प्रोग्राम है। स्माल पावस को रोकने के लिये बराबर वेक्सिनेशन होता है। गांव-गांव में वेक्सिनेटर जाता है और हमारे प्रदेश में इस सम्बन्ध में काफी जागरूकता हो गयी है। एक जमाना था जब माता का कोई मरीज होता था तो उसे छिपाया जाता था लेकिन आज जागरूकता होने के कारण मातायें खुद वेक्सिनेशन लगवाती हैं। स्माल पावस केसेज पहले से कम हुए हैं।

एक बात मैं और निवेदन कर दूं। लखनऊ में एक इनफेक्शस डिजीजेज हास्पिटल है, बीमारी को रोकना एक चीज है और उसका इलाज करना दूसरी चीज है। यह हास्पिटल लखनऊ में एक ही है और 1960 से 66 तक जब मैं कारपोरेशन का सदस्य था तो मैंने देखा कि जिस तरह से वह चलता था वह ठीक नहीं था। एक ही अस्पताल 8, 9 लाख की आबादी की जरूरियात को पूरा कर सके यह असम्भव है। उसमें बहुत सी कमियां थीं। सरकार को प्रेस किया कि सरकार ले ले लेकिन पिछले हफ्ते मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने एक गेस्ट्रो एंट्राइटिस के मरीज को भेजा। वहां जाकर देखा कि गस्ट्रो इंट्राइटिस और मीजिल्स दोनों मरीज एक ही कमरे में वह रखे हुए थे। दोनों ही बीमार इंफेक्शस डिजीजेज के हैं और एक दूसरे को इंफेक्शन हो सकता है। ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि दोनों को अलग-अलग रखा जाय।

मुझे ज्ञात हुआ है कि शायद यह अस्पताल इस जगह से हटा कर दूसरी जगह ले जाया जायगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक मेरा सुझाव है कि इंफेक्शस डिजीजेज हास्पिटल शहर के अन्दर होता है। आबादी के अन्दर न हो लेकिन आबादी से दूर भी न हो। अगर एम्बुलेंस न हो तो अपने मरीज को रिक्शे पर ले जाकर दाखिल कराया जा सके। इसलिये गुजारिश है कि इसको दूर ले जाने की कोशिश न की जाय और जिस जगह है वहीं रख कर इसमें सुधार किया जाय। इसके साथ ही साथ मुझे ज्ञात हुआ है कि वहां पर एक आर्टिफिशयल लिम्ब सेंटर बनाने का विचार है। मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन एक को कुर्बान करके दूसरे को बनाना ठीक नहीं समझता। आर्टिफिशयल लिम्ब सेंटर बनाना है तो वहां पर बहुत

जमीन है । उसे एक्वायर किया जा सकता है लेकिन इंफेक्शस डिजीजेज हास्पिटल को हटाया न जाय बल्कि उसमें सुधार किया जाय और उसमें सुविधायें और दी जायं ।

(लाल बत्ती होने पर)

मैं कुछ और सुझाव देना चाहता हूं मुझे थोड़ा समय और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपना भाषण तीन मिनट में समाप्त कर दें ।

डाक्टर चरण सिंह---

कुछ हादसात होती हैं । ग्लूकोस की जो घटना हुई है "इट केम आउट एज ए ब्लेसिंग इनडिसगाइज" । इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ लूज रहा । हमारी सरकार को इसे पूरी तरह स स्ट्रीमलाइन करना चाहिए । हम स्वीकार करते हैं कि जो ड्रग कंट्रोलर हैं, लाइसेंसिंग अथोरिटीज हैं वे कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री या फारमाकोलोजी की डिग्री हासिल किये हुए हों चाहिए । उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से दवाइयों को स्टोर किया जाना चाहिए । ताकि उसमें एफीशियेन्सी रहे ।

दूसरी बात यह है कि जहां आपने डाक्टरों के लिये तरक्की के बहुत से एवेन्यूज खोले हैं कि 12 सौ से 18 सौ रुपये तक वालों के लिये 39 सीटें और दी जायं । इसी तरह के और भी केसेज हैं । जो कम्पाउन्डर होते हैं वे जब किसी अस्पताल में दाखिल होते हैं तो तब भी वहीं पर रहते हैं और जब उनकी सेवा समाप्त होती है तब भी उसी जगह पर रहते हैं । इसलिये उनका प्रमोशन भी होना चाहिए ताकि उन्हें काम में उत्साह आ सके और अच्छी तरह से अपना कार्य चला सकें । इसी तरह से हर हास्पिटल में एक फार्माकालोजिक सेक्शन होना चाहिए ताकि वहां पर इस चीज की जांच हो सके लेबुल जो लगा है वह सही है या नहीं । डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ।

ट्रिपल इन्जेक्ट को इस तरह से बनाना चाहिए ताकि उसके लगाने पर बच्चों का मोर्टेलिटी रेट और बढ़े । एक सवाल आज सबसे बड़ा टी० बी० का है । फिलिपाइन को छोड़कर हमारे देश में टी० बी० से संसार में सबसे ज्यादा लोग ग्रस्त हैं । विशेषकर कानपुर सारी दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व रखता है । यह बड़ी अफसोसनाक जगह है । हर दूसरे मिनट में यहां पर टी० बी० से लोगो की मौत होती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इसकी तरफ हमारी सरकार ज्यादा ध्यान दें और अधिक टी० बी० क्लीनिक खोले जायं । इसके लिये हाइजेनिक स्लम्स का होना बहुत जरूरी होता है । साथ ही कानपुर में कारखानों की जो चिमनियां हैं उनकी वजह से यह रोग ज्यादा होता है । अतः उसका उचित-उचित प्रबन्ध किया जाय । इन चन्द शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)---

श्रीमान जी, इंसान की जिन्दगी में स्वास्थ्य का सबसे मुख्य स्थान है । जिस आदमी का स्वास्थ्य नहीं है वह न सुख से जिन्दगी व्यतीत कर सकता है और न किसी प्रकार का विकास ही कर सकता है और इसके लिये हमारे कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुये माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं । जो बहस यहां पर माननीय सदन में ग्लूकोस कांड के बारे में हुई थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी । कुछ माननीय सदस्यों ने बोलते हुये कहा और कुछ समय पहले का हवाला दिया था कि इस विभाग में गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण जो हमेशा से चलता आ रहा है वह यह है कि इस विभाग के सारे के सारे अधिकारी बुराइयों से ओत-प्रोत हैं । संविद के

[कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा]

शासक काल के समय सन् 1967–68 में जब माननीय प्रताप सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे उन्हीं दिनों उर्सला अस्पताल व हैलट के बारे में शिकायत की गई थी कि वहां पर इस तरह का दवा के बारे में भारी घोटाला है, तमाम लूट है, जाली दवाओं का आदान-प्रदान होता है और दवाएं बेची जाती हैं। उस जमाने में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पर 26 नवम्बर, 68 को एक जी० ओ० प्रसारित हुआ, जिसमें इस प्रकार का आदेश हुआ था कि कोई भी स्टोर इंचार्ज वहां पर 6 महीने से अधिक न रखा जाए और अधिक होने पर उसे हटा दिया जाए, लेकिन उस आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद संविद सरकार चली गई और आदेश पुनः सरकार पर अमल नहीं हुआ।

पुनः जब सन् 70 में संविद सरकार का गठन हुआ और श्री अनन्तराम जी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री हुए, उस समय फिर दिसम्बर, 70 में शिकायत आई स्टोर इंचार्ज के खिलाफ। उसके खिलाफ भारी भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें हुईं और शिकायतों पर तत्काल उन्होंने आदेश दिया कि उनका तुरन्त वहां से स्थानान्तरण कर दिया जाए, किन्तु उनका केवल कागज पर ही स्थानान्तरण हुआ। अन्त में उसके बाद भी वह 6–8 साल तक वहीं पर उसी पद पर बने रहे और फिर नतीजा यह हुआ कि उन्हीं लोगों के नाम मोटे तौर पर ग्लूकोज कांड में आए हैं। एक शिवमूर्ति मिश्र और दूसरे सूरज नारायण मिश्रा हैं, जिनका इस कांड में बहुत बड़ा हाथ है। वह आज सन् 74 में भी दवा खरीदने का काम और उनके इन्डेन्ट्स बनाने का काम करत हैं और उन्हीं की देन है कि आज हमारे यहां तमाम लोगों की मौत हुई। तब उसका रहस्योद्घाटन हुआ। आप इसमें देखें, इसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। पिछले समय में सन् 65 में जब ग्लूकोज इनफ्यूजन खरीदा जाता था, स्टैन्डर्ड कम्पनी से खरीदा जाता था, तो खाली बोतल को वापस कर देने के बाद पैसा काट कर ग्लूकोज सप्लाई होता था। लेकिन यह 68 से क्रम तोड़ दिया गया, टूट गया और उसके सन् 68 से बाद सन् 74 तक खुली लूट होती रही है। केवल हैलेट अस्पताल में एक हजार बोतलें प्रतिदिन खाली होती हैं, वहां 24 वार्ड्स हैं। एक बोतल का दाम 2–2।। रुपये आता है। सन् 68 से सन् 72 तक इन खाली बोतलों का कोई हिसाब-किताब नहीं रखा गया। इस सम्बन्ध में पिछली बार इनका हिसाब मांगा गया, लकिन कोई पता नहीं चला। यहां पर एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, भण्डारी साहब हैं, जो पहले यहीं क्लर्क थे और जो स्टोर इंचार्ज विभाग के लोग हैं, वे सारे के सारे लोग मिल कर खुला भ्रष्टाचार करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बोल रहे हैं, तो आपको इस तरह से बीच में नहीं आना चाहिए।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वहां पर बेशुमार लूट होती रही है और वे लोग जनता की जिन्दगी के साथ खुल खिलवाड़ करते रहे हैं। पिछली बार सन् 71 में यहां पर डाइरेक्ट्रेट आफिस की तरफ से भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक कमेटी जांच समिति बनाई गई थी, उसकी जांच हुई थी, किन्तु उसके बाद उसकी रिपोर्ट का आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ, पता नहीं कहां चली गई। ठीक उसी प्रकार से न जाने कितनी भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन उन सब का गोलमाल होता रहा। सरकार में फाइनेन्शियल हैण्ड बुक वैल्यूम (II) होती है, उस पर्चेज पुस्तिका के नियमों के अनुसार काम होना चाहिए लेकिन वहां वह कदापि नहीं होता है। सामान खरीदने का कार्य कायदे से गवर्नमेंट के जरिये होना चाहिए, लेकिन वह नहीं होता है। जैसे स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए इलाहाबाद में गवर्नमेंट स्टेशनरी है, किन्तु उससे न खरीदकर उसके नियमों का पालन न करके वहां बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया जाता है। जैसे 500 रुपये के बजाए 16 हजार का सामान वहां खरीदा गया है। पेपर शीट में 13 वाई 8 की रिम

16 रुपये रिम के हिसाब से मिल सकता है, किन्तु उसको वहां पर खरीद 23.50 पैसे दिखाया गया है। एक रजिस्टर 5 रुपये का 14 रुपये के हिसाब से खरीदा गया। पिछले वर्ष जो ठेकेदार ने सामान सप्लाई किया था उस हिसाब से बेहद कीमतें बढ़ा दी गयीं। ठीक मार्च में, आखिरी बजट आता है, अच्छा यह था कि उस बजट का उपयोग समय से करके मरीजों को दवा मिलनी चाहिए, ऐसा न करके ऐसी दवाएं जो हमारे स्टोर में बड़ी मात्रा में थी, गलत कम्पनियों से सौदा करके खरीद ली जाती हैं। उनका जनहित में कोई उपयोग नहीं है जब कि हमारा नियम है, फाइनेंशियल हैंडबुक, वैल्यूम (II) में नियम हैं उस हिसाब से परचेज करना चाहिए। जो निश्चित आदेश हैं। शुरू में इस नियम का उल्लंघन किया जाता रहा है और उच्चाधिकारियों की तरफ से शुरू से आज तक निष्पक्ष नहीं होता रहा है। दवाओं के खरीद के लिए कोई किसी तरह कोटेशन मांगे ही नहीं जाते रहे, खुली लूट होती रही है। आज अजीब विकट समस्या है। जो भी आपके बजट में व्यवस्था है इसका अगर जायज सदुपयोग हो तो इसमें जनहित में कुछ हो सकता है। ऐसा न होकर खुलासा बंदरबांट होता है। सरकारी धन की लूट होती है। दवाएं खुले आम बाजार में बिक ज ती हैं। जनता को जानबूझ कर तंग किया जाता है। न जाने कितने लोग मौत के घाट उतरते जाते हैं। गांवों में जो अस्पताल हैं, उनमें बहुतायत अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। हमारे यहां, श्रीमन्, 26 जनवरी को अस्पताल खोला गया। अस्पताल का बोर्ड लग गया। निम्न स्तर के कर्मचारी, मेहतर आदि नियुक्त हो गये। किन्तु डाक्टर आज तक नहीं है। ताला पड़ा है। जनाना अस्पताल खुल गया ताला बन्द पड़ा रहता है। ऐसे अस्पतालों के खोल देने से क्या लाभ। हमारे गांव की हालत बहुत खराब है। वहां नकली डाक्टर और नकली दवायें फैली हुई है। सरकार को नकली डाक्टरों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। वह गांवों के लोगों को अनजाने में उल्टी सीधी नकली दवायें देकर उनकी जिन्दगी बेकार कर देते हैं। उनको गलत इलाज स बुरी तरह से रिएक्शन होता है या मौत के घाट उतर जाते हैं। सबसे पहले नकली डाक्टरों की रोकथाम करनी चाहिये। नकली दवायें कानपुर में खुले आम मिलती है। जैसे आंख का आइंटमेंट है, ग्रीस का आइंटमेंट आता है, दो आने में भर जाता है असली 14 आने में आइंटमेंट आता है, दूकानदार नकली दस आने में दे देता है, लेने वाला समझता है कि दूकानदार बहुत ईमानदार है, दवा हमें सस्ती दी है। इसी तरह कैपसूल में मैदा भरके खुले आम बिकती है। उससे खास कर गांव के नागरिकों का अहित होता है जो बुरी तरह से ठगे जाते हैं, जो अपनी परेशानी में, साधनविहीनता के कारण ऐसी दवायें खरीद लेते हैं। आज प्रदेश के सामने विकट समस्या आ गयी है। इसके लिये आवश्यक है कि जो गांवों में अस्पताल खोले जांयं, उनमें कम से कम डाक्टर अवश्य भेजे जांय और दवायें जायं। अगर दवाओं का इंतजाम नहीं, भी है तो मरीज खरीद करके भी कुछ कर सकता है।

आयुवद की चिकित्सा हमारे देश के लिये विशेष लाभप्रद है। सरकार हमारे देश की जलवायु, स्थिति को देखते हुए जितना बल आयुर्वेद को देना चाहिये उतना बल नहीं दे रही है, जिसका परिणाम यह है कि हमारे यहां की गांव की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की खत्म होती जा रही है। इस तरह से अस्पतालों मे जहां कोई पुरसांहाल नहीं है, आयुर्वेद को प्रोत्साहन न देने से स्थिति बिगड़ती जा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया। 13 मिनट माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

डाक्टर श्याम किशोर (जिला सीतापुर)---

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। हमारा स्वास्थ्य बजट जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने रखा है और जिन विस्फोटक परिस्थितियों में रखा है, उसकी उपादेयता निर्विवाद है। जो सम्मानित सदस्य विरोधी दलों की ओर से बोले हैं, यद्यपि उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है बल्कि उन्होंने पूर्ण रूपेण न केवल बजट का समर्थन किया वरन इस विषय में उसकी उपादेयता को स्वीकार किया कि हमारी समझ में कटौती के प्रस्ताव रखने के स्थान पर बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखना चाहिये था। मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं और उनके सुझावों का स्वागत करता हूं और मेरा ख्याल है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी उन पर विचार करेंगे।

हमारी स्वास्थ्य संबंधी प्रदेशीय समस्यायें इतनी विकट हैं कि जिसमें अगर हम केवल आंकड़ों पर जायेंगे तो शायद हम इस विषय में प्रदेश के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। हमारी अभी तक की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के विषय में जो योजना है उसमें हम प्रत्येक 8 किलोमीटर पर एक अस्पताल की कल्पना करते हैं। पहले तो 8 किलोमोटर पर अस्पताल नहीं हैं। यदि हैं भी तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कि अगर किसी को गैस्ट्रिक एंट्राइटिस हो जाय या सांप काट ले तो अस्पताल पहुंचने में रोगी को डेढ़ दो घंटा लग जायेंगे। इतना समय लगने और उपचार की व्यवस्था होकर यह सोचना कि मरीज जीवित रहेगा, यह हमारी समझ में सम्भव नहीं है। इस कारण से हमारे प्रदेश का जो स्वास्थ्य बजट है उसमें मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक दो किलो-मीटर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था होनी चाहिये।

मान्यवर, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब आर्थिक साधनों का अभाव है तो यह कैसे सम्भव है। यह बहुत बड़ा सवाल है। जब हमारे प्रदेश की ऐसी समस्यायें जो हमारे जीवन के लिये आवश्यक है तो स्वास्थ्य पर हम इतना खर्च नहीं कर सकते हैं। यह सच बात है कि हम इसकी व्यवस्था करने में असमर्थ हैं तो उपाय क्या है। मेरा ख्याल यह है कि हमारे जो बजट बनाने वाले, जो हमारे एलोपैथिक चिकित्सक हैं, वे जिन परिस्थितियों और वातावरण में पले हैं वह हमारी सामाजिक परिस्थिति से अनुकूल नहीं है। उनकी विचारधारा पूर्णरुपेण बदलनी चाहिये। इसके लिये डाक्टरों की कमी को स्वीकार करना चाहिये। जितने चिकित्सक इस चिकित्सा पद्धति द्वारा निकलते हैं उनसे समाज का कार्य नहीं हो सकता है यदि आप बजट का अवलोकन करें तो मालूम हो जायगा। सम्मानित सदस्यों का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक सुविधायें नागरिक क्षेत्र में दी गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सुविधायें नहीं दी गयी हैं और इसका मूल कारण यह है कि चिकित्सकों का अभाव है। जब तक चिकित्सकों का अभाव रहेगा तब तक हमारी चिकित्सा सेवा का कार्य सम्भव नहीं हो सकेगा।

अधिष्ठाता महोदय, मुझको नहीं मालूम कि चीन की व्यवस्था बेयर फूटेड तरीके से नंगे पैर के तरीके से की गयी है। मैंने कोशिश की कि रूस में रूरल हेल्थ स्कीम के विषय में कोई प्रमाणिक पुस्तक प्राप्त हो जाये, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन इन देशों नें ग्रामीण बन्धुओं की समस्या को हल किया है। हमारे प्रदेश में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान होना चाहिये। प्रत्येक 2 मील पर एक स्वास्थ्य केन्द्र बनाना चाहिये। अगर एलोपैथिक बन्धु इस विषय में हमारी सहायता कर सकें तो ठीक है अगर नहीं कर सकते हैं तो अन्य पद्धतियों की सहायता लेनी चाहिये और उनका आह्वान करना चाहिये और उनके आधार पर इस समस्या को हल करना चाहिये। अगर इस विषय पर कोई हल नहीं निकल सका तो निश्चय ही हमारी सरकार पर कलंक होगा। डाक्टर गांवों में जाना पसन्द नहीं करते क्योंकि उनकी यह भावना है कि वहां पर रहने के साधन नहीं हैं। यह ठीक है कि सिपाही जो नेफा और लद्दाख में काम करता है वह कह सकता है कि वहां पर मेरे अनुकूल जलवायु नहीं इसलिये मैं वहां काम नहीं करूंगा। यह ठीक नहीं है। चिकित्सा एक अनिवार्य सेवा है। चिकित्सकों को इस तरह से कहने का अधिकार नहीं है कि वहां पर वे नहीं जायेंगे। एक इन्डियन मेडिकल एसोसियेशन की स्थापना की गयी है। मैं

बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि उस संस्थान के विभागीय पदाधिकारियों ने अपनी हड़ताल की है, लड़ाई लड़ी है, अपने इमालुमेन्टस बढ़ाने की बात कही है लेकिन अपने राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय गरीबी को दूर करने की कोई बात पेश नहीं की है। अधिष्ठाता महोदय, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि चिकित्सा मंत्री इस विषय पर अन्य पद्धतियों का सहयोग लें और चिकित्सा सेवा में सुधार करें। इस प्रकार से एक अन्य योजना का सृजन करें जिससे हमारी चिकित्सा सेवा म सुधार हो सके और गांव के बन्धु उससे लाभान्वित हो सकें। मैं यह जानता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त हो गया।

डाक्टर श्याम किशोर---

अधिष्ठाता महोदय, हमारे प्रदेश में इस समय चेचक उन्मूलन योजना चल रही है जिसको कि केन्द्रीय सरकार चला रही है। मेरा ख्याल है कि चेचक उन्मूलन योजना या फाइलेरिया उन्मूलन योजना, ये जितनी भी योजनायें हैं, ये सभी अपने प्रदेश के द्वारा ही की जानी चाहिए क्योंकि उसमें उन्होंने कोई ऐसी राय नहीं दी है जो राय हमारे देश के बड़े डाक्टर्स जानते नहीं हैं। अभी 4– दिन पहले एक टीम आयी थी जिसने यह कहा था कि हमको थोड़ा सा पेट्रोल चाहिए, थोड़ी सी विहिकिल्स चाहिए। हमारा सारा परसोनेल है, वह इस योजना को कार्यान्वित कर सकता है। अगर हम स्वयं इस काम को अपने हाथों में नहीं लेंगे तो यह हेल्थ आर्गेनाइजशन बेकार का हमारे ऊपर एहसान लादेगा। हम अपने चिकित्सकों से इस बात की दरख्वास्त करते हैं अधिष्ठाता महोदय, कि उन्हें कोशिश करना चाहिये कि नये-नये अनुसंधान करें। नई-नई दवाएं निकालने की कोशिश करें और हमारी जो खाद्य सामग्री है उसमें नये-नये अनुसंधान करें। हमारी जो इस समय खाद्य समस्याओं की दिक्कतें हैं वह ठीक हों। अस्पतालों के अन्दर दवाएं बहुत मंहगी हैं, खाद्य सामग्री बहुत मंहगी है। लेकिन बहुत-सी खाद्य सामग्री जो गांवों में मिलती है, जो खाद्य पदार्थ गांवों में मिलते हैं उनमें बहुत सी दवाइयां बड़े ही काम की होती हैं। हमारे चिकित्सकों को केवल यूरोप की पढ़ी हुयी किताब पर ही नहीं चलना चाहिये। टी० बी० के विषय में हमारे जो चिकित्सक हैं उन्होंने कभी भी कोशिश इस बात की नहीं की कि हम टी० बी० को चीप बनाने के लिये कोई नया अनुसंधान करें, कोई नई चीजें निकालें। मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ अपने स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा प्रस्तत किए हुए अनुदान का अनुमोदन करते हैं और जो कटौती का प्रस्ताव माननीय जितेन्द्र कुमार अग्रवाल जी ने रखा है उसका विरोध करता हूं।

*श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, आत्म हत्या कानूनी जुर्म है अपने देश में। ऐसी स्थिति में सरकार की यह बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि लोगों की आत्महत्या की स्थिति न पैदा करें। मेरे पास इस तरह के कम से कम हजारों की गिनती के अखबारों की कटिंग है जिसमें लोगों ने बीमारी से ऊब कर आत्महत्या की हैं। 26 साल के बाद भी अपने प्रदेश और देश में लोग बीमारी की वजह से ऊब कर परेशान होकर, तंग आकर आत्महत्या करें इससे ज्यादा शर्म और गैरत की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती।

---

* वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोती लाल देहलवी]

अधिष्ठाता महोदय, ये जो प्रगति के आंकड़े हैं, उन्नति के आंकड़े हैं, लुभावने आंकड़े हैं, हमारे सामने रखे जाते हैं, आंकड़े रुपयों के अनुसार रखे जाते हैं कि कितना रुपया खर्च किया शय्याओं के लिए, अस्पतालों के लिए, नरसों के लिये और बिल्डिंग्स के लिए, तरह-तरह से सरकारी रुपया खर्च करते हैं और सरकारी अधिकारी आंकड़े बनाया करते हैं। रुपया खर्च करने के बारे में मुझे एक देहाती कहावत याद आती है कि "माले मुफ्त दिले बेरहम"। आज जनता के पैसा का सदुपयोग नहीं हो रहा है लेकिन हमारे सरकारी अधिकारी तरक्की के आंकड़े बनाकर दे रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, तरक्की तो जब समझी जाती है जब उसके कुछ अच्छे नतीजे हमारे सामने आते। यह जो हमें स्वास्थ्य समीक्षा की पुस्तक मिली है इसमें दिया है कि सन 1972–73 में एक लाख 21 हजार 325 तपेदिक के बीमार लोगों का इलाज हुआ है और 1973–74 में एक लाख 34 हजार 174 लोगों का इलाज हुआ है। एक वर्ष में लगभग 3 हजार तपेदिक के मरीज बढ़े। ये तो सरकारी अस्पतालों के आंकड़े हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से मरीज हैं जो अपने इलाज के लिये इन अस्पतालों में नहीं जाते हैं, जो व्यक्तिगत किसी वैद्य, हकीम से या किसी डाक्टर के इलाज करवाते हैं। ये सरकार की तरक्की के आंकड़े हैं। आज टी० बी० के मरीज बराबर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे इस किताब में कहा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में प्रति व्यक्ति 51 पैसे उसके इलाज में खर्च होता था जो अब चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद में बढ़ा रहे हैं अब यह 5 रुपये 13 पैसा खर्च होगा। आज चौथी पंचवर्षीय योजना के उपरान्त भी अस्पतालों में जन साधारण का ए० पी० सी० टेब्लेट से इलाज हो रहा है। यदि जन साधारण कोई अच्छी दवा चाहे तो उसको नहीं मिल रही है। दुर्भाग्य यह है कि जब तक लोग विधायक नहीं चुने जाते हैं, जन मुखी रहते हैं। विधायक चुन गया तब भी कुछ थोड़ा जनमुखी रहते हैं लेकिन अगर मंत्री हो गये तो दुर्भाग्य से जन मुखी न होकर कुर्सी मुखी हो जाते हैं।

एक सदस्य---

ये भी तो मंत्री रह चुके हैं।

श्री मोती लाल देहलवी---

जिस विभाग का मैं मंत्री रहा हूं उसमें मैंने छापे मारे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहा हूं। अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि जब कभी कोई कांड होता है तो छोटे लोगों पर हमला होता है, छोटे लोग मोत्तिल होते हैं और बड़े लोगों को, बजाय उनकी जांच करने के, बजाय उनको दंड देने के, हमेशा कोई न कोई ऊंचा पद दे दिया जाता है। हमने पिछली बार भी ग्लूकोज कांड पर इस कानपुर से प्रकाशित होने वाले "एलगा" अखबार को दिखाया था। यह हमारी पार्टी का नहीं है। हमारी पार्टी का इससे कोई रिश्ता नहीं है। कानपुर से प्रकाशित होता है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके संपादक महोदय को भी मैं नहीं जानता कि क न साहब हैं। कानपुर में इतना बड़ा कांड हुआ ग्लूकोज का। यह कहता है कि 2 मौतें हुई, लेकिन वहां के डाक्टर पहले ही दिन 60 मौतें बता रहे थे। अगर हम 24 को ही मान लें तो भी सरकार का यह नैतिक दायित्व और कर्त्तव्य हो जाता है कि जब इस अखबार ने खुले रूप से यह बताया कि बी० जे० फार्मा, ग्लूकोज को जो बनाने वाले थे वह विधान परिषद के अध्यक्ष के यहां पढ़ाते रहे हैं, उनमें से अब भी एक पढ़ा रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, मुझको यहां तक जानकारी मिली है कि जो अभियुक्त अभी तक फरार बतलाया जाता है वह भी उनके यहां छिपा हुआ है। उनके यहां शरण मिली हुई है गार्गी चोपड़ा को। अधिष्ठाता महोदय, इस अखबार ने, "एलगा" ने साफ लिखा है कि बी० जे० फार्मा को लाइसेन्स दिलाने वाले विधान परिषद् के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र स्वरूप जी हैं। साफ लिखा है इसमें। यहां तक लिखा है कि ड्रग कंट्रोलर मि० चतुर्वेदी के यहां उनकी फाइल में अब भी

वीरेन्द्र स्वरूप की जो सिफारिश की चिट्ठियां मौजूद हैं और उन चिट्ठियों को गायब करने की कोशिश की जा रही है। अगर यह सरकार अपने नैतिक कर्त्तव्य का अहसास कर लेती, यदि अपनी जिम्मेदारी को मेहसूस करती....

श्री अधिष्ठाता---

एक मेरी प्रार्थना सुन लें आप। दोनों सदनों के संबंध में अभी दो दिन पहले माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि दोनों सदनों के कार्यों के संबंध में या वहां के पदाधिकारियों और सभापति के संबंध में हमारे यहां कोई आलोचना नहीं होनी चाहिये। तो मेरा आग्रह है कि जो बात अखबारों में निकल चुकी है....

श्री मोती लाल देहलवी---

मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इस अखबार की बात बता रहा हूं कि इसमें यह लिखा है। इसलिये बता रहा हूं आपके पापों को, आपके कुकर्मों को, अगर हिम्मत हो तो सुनिये ...

श्री अधिष्ठाता---

मैंने कोई कुकर्म नहीं किया है। सीधे बात न करें।

श्री मोती लाल देहलवी---

यदि आप इससे बचना चाहते तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको पुनः दोबारा अध्यक्ष बनाने का निर्देश नहीं दिया होता।

एक सदस्य---

आपको बनाते ?

श्री अधिष्ठाता---

आप लोग शान्त रहें।

श्री मोती लाल देहलवी---

अधिष्ठाता महोदय, इतना ही नहीं, यह कानपुर का दैनिक 'जागरण' अखबार है, इसके संवाददाता अधिष्ठाता महोदय, यहीं पर बैठते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---

गैलरीज को संबोधन नहीं करना चाहिये। आप तो मंत्री रह चुके हैं। यह तो साधारण संसदीय आचरण है।

श्री मोती लाल देहलवी---

अधिष्ठाता महोदय, यह उन्हीं की दी रिपोर्ट के आधार पर इस समाचार-पत्र में छपा है, उसके वे संवाददाता हैं। इस अखबार में लिखा है---"दवाओं में मिलावट के लिये मुख्यतः कुछ भ्रष्ट नेता दोषी।" 22 अप्रैल को लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से विगत वर्षों में दवाइयां बेचने वाली कम्पनियों को लाइसेस दिये गये हैं उनको देखने से स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी तथा कुछ कांग्रेसी मंत्री और विधायक दबाओं म

[श्री मोतीलाल देहलवी]
मिलावट के लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। सत्तारूढ़ दल के कुछ लोगों के भ्रष्टाचार के कारण पिछले कुछ वर्षों में दवा बनाने वाली कम्पनियों की बाढ़ सी आ गयी है जिनमें से अनेकों मे या तो कांग्रेसी नेताओं का हिस्सा है अथवा उनका सक्रिय सहयोग है अथवा उनकी सिफारिश पर अधिकारियों ने जल्दबाजी में लाइसस दिये हैं। कानपुर की बी० जे० फार्मा के संबंध में भी यही बात बताई जाती है ।

श्री अधिष्ठाता--
मान्यवर, अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मोती लाल देहलवी--
आपने हमें पूरा समय नहीं दिया है। पांच मिनट का समय मुझे और दीजिये । दूसरों को उधर से वैसे ही अधिक समय दे देते है मुझे मांगने पर ही पांच मिनट दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--
आपको भी तीन मिनट दिये देता हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी--
कानपुर की बी० जी० फार्म के संबंध में भी यही बात बताई जाती है कि वहां के एक कांग्रेसी नेता की सिफारिश पर सारे नियमों को तोड़ कर विभाग के अधिकारियों ने लाइसेन्स दे दिये हैं। नेताओं की सिफारिश पर अनेक ऐसी कम्पनियों का लाइसेंस मिले है जिनके पास न तो दवा बनाने के उपयुक्त साधन हैं और न मशीनरी है, न योग्य केमिस्ट है, न स्थान है ।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)--
मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

श्री अधिष्ठाता--
जब वे नहीं बैठते तब आप बैठ जायं ।

श्री राजबहादुर चन्द--
मेरा व्यवस्था का प्रश्न है उनको बैठना पड़ेगा ।

श्री मोती लाल देहलवी--
मैं बोल रहा हूं अब कोई प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया। मैं बोल रहा हूं यही व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--
मोती लाल जी, आप बैठ जायं। जरा व्यवस्था का प्रश्न क्या है सुन लेने दें ।

श्री राजबहादुर चन्द--
(श्री मोती लाल देहलवी के बैठने पर) मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन में क्या कोई माननीय सदस्य अखबारों की कटिंग को प्रमाणित बताकर अपनी बात कह सकता है ?

श्री अधिष्ठाता---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य आपकी जानकारी के लिये कोटेशन दे रहे हैं। आप सुनिये।

श्री मोती लाल देहलवी---

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि मैं इसको प्रसंगवश ही पढ़ रहा हूं। इसमें आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कोई विशेषज्ञ ड्रग कंट्रोलर तो है ही नहीं, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर तथा क्षेत्रीय ड्रग इंस्पेक्टरों में भी भारी भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी व्याप्त है। अनेक दूकानें बिना लाइसेंस के ही अंग्रेजी दवाओं की बिक्री करती है।

श्री अधिष्ठाता---

आपका तीन मिनट भी समाप्त हो गया।

श्री मोतीलाल देहलवी---

मेरे तीन मिनट अभी कहां समाप्त हुये ?

श्री अधिष्ठाता---

मेरी दृष्टि घड़ी पर ही है। आप अपना स्थान कृपा करके ग्रहण करें।

श्री मोतीलाल देहलवी---

श्रीमन्, दो मिनट मुझे और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---

(खड़े हुये माननीय सदस्यों से) आप लोग अभी बैठिये। देहलवी जी को दो मिनट और बोल लेने दीजिये।

श्री मोतीलाल देहलवी---

अधिष्ठाता महोदय, यह मैंने इसलिये पढा हैकि कोईभी नेता अगर आजभ्रष्टाचार में लिप्त है जिसके विरुद्ध अखबार लिख रहे हो अगर उस नेता को किसी उच्च पद पर पंहुचा दिया जाय तो यह मानी हुयी बात है कि किसी में हिम्मत नही है, न सी०आई०डी० में हिम्मत है और न किसी अधिकारी में हिम्मत है कि वह उनके विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर सके। कानपुर के अखबार लिख रहे है कि कानपुर के एक बडे अमुक नेता ने बी०जी० फार्म को लाइसेंस दिलाने के लिये लिखा है और दवा बनाने के कारखानों में तो मंत्रियों तक का हिस्सा है, कांग्रेसी नेताओं और विधायकों का हिस्सा है। अधिष्ठाता महोदय, क्या यह न्याय संगत नहीं होगा कि ऐसे किसी भी नेता को उच्च पद पर नहीं पंहुचाया जाता। यह सरकार का नैतिक दायित्व है अगर वह जनता का कुछ भला चाहती है, जनता के लिये इस प्रदेश में कुछ करना चाहती है। यही एक कसौटी है।

श्री अधिष्ठाता---

अब माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता।

एक सदस्य---

मान्यवर, मेरा नम्बर है। सूची में मेरा नाम है।

श्री अधिष्ठाता—

नम्बर कोई नहीं हुआ करता । मेरी दृष्टि जिस माननीय सदस्य पर पड़ेगी उसी को बुला लूंगा । आपका नाम आ जाने से आपका अधिकार नहीं हो जाता ।

*डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में मेडिकल और हेल्थ के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है ।

अधिष्ठाता महोदय, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, चाहे वह कांग्रेस पक्ष के हमारे सदस्य हों चाहे विरोधी दल के हों कि आजादी के दौरान में इस विभाग ने आशातीत प्रगति की है और यह इसी से जाहिर है, जैसा कि आप सभी जानते है कि हमारे देश और प्रदेश की औसत आयु में इन 26 सालों में 26 साल का इजाफा हो गया । इसका मतलब यह है कि इस पूरी आजादी के वर्षों में जितना समय हमने दिया है उतने ही दिन तक अब हम ज्यादा रह सकेंगे । यह हेल्थ डिपार्टमेंट की एक बहुत बडी उपलब्धि है । हेल्थ के दो खास डिवीजन है, एक प्रिवेन्टिव साइड और दूसरा मेडिकल साइड । एक में हम लोगों का इलाज कर के रोगों को ठीक करने की व्यवस्था करते है और दूसरे में रोग को फैलने से रोकते है। दोनों ही क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । और उसी के आधार पर जो बजट रखा गया है उसके समर्थन की आपसे जोरदार अपील करता हूं ।

हमारे देश में अंग्रेजों के राज्य के समय में कितनी बड़ी संख्या में इन्फैक्शस डिजीजेज से आदमी मरा करते थे, कालरा, चेचक, प्लेग । वह तो अब सब बन्द हो ही गया मेले और तमाशे जितने होते है, अभी जो कुम्भ का इतना बड़ा मेला हरिद्वार में हुआ उसमें जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इन्तजाम किया गया मैं समझता हूं कि उसकी सराहना की जाय तो कोई बुराई की बात नहीं होगी । जो अच्छाइयां हैं उनको हमें स्वीकार करना चाहिये । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस विभाग में अन्य विभागों की तरह, हमारे देश के जनजीवन में जिस तरह से भ्रष्टाचार घुसा हुआ है वह इसमें भी है। लेकिन उसकी मात्रा ऐसी नहीं है कि हम उसको ही आलोचना का खास विषय बना सके । यह बात अपनी जगह पर सही है, मैं जानता हूं इस बात को कि डायरेक्टर के दफ्तर में बड़े बड़े डाक्टरों का ट्रांसफर करने के मामले को ले कर रिश्वत ली जाती है और लगातार इस तरफ ध्यान दिलाने के बावजूद भी अगर सरकार इस बात का पता न लगा सके कि किस तरह से 5—5 हजार रुपये लेकर डाक्टरों के ट्रांसफर किये जाते हैं तो मैं समझता हूं कि यह शर्म की बात है सरकार के लिये और उसको दूर करने की चेष्टा उसे करनी चाहिये । यह बात भी सही है कि दवायें खरीदने में तरह तरह के कमीशन लिये जाते है यह बात भी सही है कि आगरा के बारे में एक पत्र लिख कर सरकार का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित किया था कि फैमिली प्लानिंग के लिये जो सामान खरीदा गया उसमें जो एक मामूली आइटम ब्लेड का होता है उसकी भी चौगुनी कीमत वसूल की गयी । लेकिन उसकी इन्क्वायरी होने के बाद न जाने कैसे पर्दा डाल दिया गया । ये सब चीजें रोकनी चाहिये । मैं मोतीलाल देहलवी की इस बात से सहमति प्रकट करता हूं कि इस विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार होता है । लेकिन केवल यह कह देना कि मंत्री या विधायकगण भी दवायें बनाने के कारखाने में शामिल है तो यह कोई बुराई की बात नहीं है । हां, अगर उसमें गलत और नकली दवायें बनती है तो सरकार की तरफ से निश्चित रूप से यह आश्वासन आयेगा कि उन सब लोगों को जो ऐसे कामों में संलग्न है इन्क्वायरी में सही पाये जाने पर बख्शा नहीं जायगा ।

मेडिकल कालेजेज और नहीं खुलने चाहिये इसके ऊपर कटौती का प्रस्ताव रख कर माननीय सदस्य ने अपने सुझाव दिये । लेकिन दूसरे ही सेन्टेन्स में उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि

---

*कवता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज भी इतने डाक्टर हमारे देश में नहीं है जितने कि पर कैपिटा के हिसाब से होन चाहिये । तो मैं समझता हूं कि अगर दो मेडिकल कालिज और खोले जायं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये । आज भी हमारे प्रदेश में डाक्टरों की कमी है । हां, यह बात भी सही है कि उनका इक्वीटेबिल डिस्ट्रीब्युशन नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि देहात में अगर एलोपैथिक इलाज की सुविधा नहीं दे सकते तो आयुर्वेदिक की व्यवस्था ही करा दीजिये । मैं इसके खिलाफ हूं । मैं आयुर्वेदिक को एलोपैथिक से भिन्न नहीं मानता । इन दोनों की शिक्षा पद्धति में भी कोई विशेष अन्तर नहीं है । होम्योपैथिक में अवश्य अन्तर है। देहात में वैद्यक इलाज तो किसी न किसी शक्ल में मिल ही जाता है । जब कोई आदमी देहात में गम्भीर रूप से बीमार होता है तो वह एलोपैथिक डाक्टर के पास ही दौड़ता है । इसलिये आयुर्वेद का प्रसार अगर करना है तो आप उसे शहरों में करे, मगर देहात में एलोपैथिक चिकित्सा की ही व्यवस्था होना चाहिये ।

देहात में डाक्टर नहीं जाना पसन्द करते । इसके लिये जरूरत यह है कि उनको अधिक सुविधायें दी जाय । शहरों में डाक्टरों के लिये जो भवन आदि बनवाये जाते है, या अन्य सुविधायें प्रदान की जाती है, उनको आप बजाय शहरों के पहले देहात में उपलब्ध करायें । वहां उनके लिये पहले क्वार्टर आदि बनवायें । जब आप देहात में यह सब सुविधायें देंगे तो डाक्टर वहां जाना पसन्द करेंगे।

प्राइवेट प्रैक्टिस को पहले सरकार ने बन्द किया था, अब फिर उसको चालू कर दिया है। मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मेडिकल कालिजों में जो डाक्टर पढ़ाने का कार्य करते है उनका मुख्य कार्य शिक्षा देना है । यदि आप चाहते है कि आपके यहां अच्छे डाक्टर्स पैदा हों तो उसके लिये यह जरूरी है कि वे अपना सारा समय शिक्षा कार्य में ही लगायें । उसके लिये आप उनको चाहे कितनी ही ज्यादा तन्खवाह आदि दें, मगर उनको प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होना चाहिये । दुनिया में और जगह भी जो डाक्टर इस कार्य को करते है या रिसर्च आदि का काम करते है वे इससे मुक्त रहते है ।

यह कहा गया कि टी०बी० के मरीजों की संख्या बढ़ रही है । इससे यह अनुमान लगाना कि पहले से टी०बी० का प्रकोप बढ़ा है गलत है । उसका कारण यह है कि पहले टी० बी० का मरीज जल्दी मर जाता है । अब इस बीमारी से मरता कोई नहीं है । उसका इलाज अब होने लगा है । इसलिये इनकी संख्या पहले से अधिक मालूम होती है । कानपुर में टी०बी० के मरीजों की संख्या का अधिक होने का कारण वहां का इन्डस्ट्रियालाइजेशन है । वहां बढ़ती हुई आबादी पर कन्ट्रोल करना चाहिये ।

फैमिली प्लानिंग के बारे में बहुत से विचार रखे गये । यह भी कहा गया कि हरिजनों में इसके प्रति अधिक रुचि पैदा नहीं की जा रही है । मैं इस सम्बन्ध में इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इस कार्य में जबरदस्ती नहीं करना चाहिये । आडियो विजुअल पब्लिसिटी द्वारा इसका अच्छी तरह से जगह-जगह प्रचार काना चाहिये, लोगों में इसके महत्व को समझाना चाहिये ताकि लोग स्वेच्छा से इसको अपनायें ।

दूसरे एक चीज और कहना चाहता हूं वह है हेल्थ एजूकेशन, इस ओर हमारा ध्यान नहीं गया है । आज भी टी०बी० के तमाम मरीज मर्ज के बारे में जानकारी न रखने से मर जाते है । इसीलिये हेल्थ एजूकेशन को रिवाइव करिये । इसके अलावा एक डायरेक्ट्रेट होना चाहिये जो देश और प्रदेश के अन्दर इस किस्म की जानकारी दे और रोगों के बारे में बताये तो इससे काफी मरीज मरने से बच सकते हैं ।

[डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता]

26 साल के बाद आज भी मैं यह बात मानता हूं कि आज हमारे देश में अधिकांश लोग जो गांवों में रहते हैं आज भी भूत प्रेत और हवा और न जाने कितनी चीजों में विश्वास रखते हैं और विश्वास रखने के कारण किसी क्वेक्स से इलाज करते हैं और अकाल ही मृत्यु का ग्रास हो जाते हैं ।

हमारे देश में अभी हाइड्रोपोबिया का कोई इलाज नहीं निकाला गया है, इससे भी तमाम लोग मरते हैं । इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि अन-वांटेड कुत्तों को हटाया जाय । इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता--

मैं आपका इसके लिये आभारी हूं कि आपने मुझको समय दिया ।

एक सदस्य--

अधिष्ठाता महोदय, धर्मपाल सिंह जी को भी अवसर मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

उनको बोलने का अवसर मिलेगा । आप उनके लिये परेशान न हों कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अभी तक कोई नहीं बोला है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के अनुदान पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया ।

मान्यवर, यह कहना कि इस प्रदेश और देश के नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा है, इस बात का सूचक होता है कि वह प्रदेश और देश और समाज कितना सम्पन्न है । दुर्भाग्य से हमारे देश और प्रदेश में स्वास्थ्य एक अपवाद बन कर रह गया है। एक एक्सेप्शन बन कर रह गया है । आज प्रदेश और देश की पूरी जनता किसी न किसी रोग में या बीमारी में ग्रसित है । यह सही है, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के उपर ही है। अगर स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करता है तो भी सभी नागरिकों का स्वास्थ्य नहीं बन सकता है । पर उनके लिये बहुत कुछ कर सकता है । मैं दुर्भाग्यवश यह कह रहा हूं कि यह स्वास्थ्य विभाग प्रशासन का सबसे बड़ा बीमार विभाग है । सबसे बड़ा बीमार विभाग मैंने इसलिये कहा है कि और विभागों का देश की जनता के स्वास्थ्य से उतना सम्बन्ध नहीं रहता है जितना कि स्वास्थ्य विभाग । जनता के जीवन और मृत्यु दोनों से यह विभाग सम्बन्ध रखता है ।

तमाम जनता अस्पतालों में दवा लेने जाती है । मरीज 4-10 मील का फासला तय करके अस्पतालों में जाते है, इस ख्याल से कि उनका इलाज होगा । लेकिन देखने में यह आया है कि अस्पतालों में पंहुचने के बाद आध-आध घंटे बाद डाक्टर आते हैं । और जब डाक्टर आध घंटे के बाद आता है तो उससे पहले ही मरीज मर जाता है। अस्पताल में एडमिट होने के पहले ही मरीज मर जाता है । यह चीज कितनी खतरनाक है । यह इस विभाग के लिये बड़े शर्म की बात है ।

हमारे आदरणीय सदन के माननीय सदस्य शहर और देहात से चुनकर आये हैं । वह यह जानते हैं कि शहर और देहात के अस्पतालों में क्या होता है । जनता के साथ किस तरह की केयरलेसनेस-लापरवाही डाक्टर्स और कम्पाउन्डर्स करते हैं और यही कारण है कि 75 फीसदी

जनता आज अस्पतालों की सुविधा से, दवाओं की सुविधा से महरूम रह जाती है। जो कमाने खाने वाले लोग हैं, जो हमारे गरीब किसान हैं वह ज्यादातर अस्पतालों में पंहुचते ही नहीं हैं लेकिन यदि वे पंहुच जाते हैं तो उनकी देखभाल ठीक से नहीं की जाती है। डाक्टर बडे आदमियों का हाथ पकड़े हुये पर्चे पर लिख देते है कि 13-14 नम्बर का मिक्सचर दे दिया जाय और इस तरह से उसकी बिना ठीक तरह से देखभाल किये हुये उसको रंगीन पानी दे दिया जाता है इस तरह से गरीब लोगों, आम जनता का इलाज आज अस्पतालों में किया जाता है। उसको कोई दवाई ठीक से नहीं मिलती है। इस प्रदेश की 75 प्रतिशत जनता आपके अस्पतालों से इस तरह की दवाइयां पाती है। स्पेशल दवाइयां पाते हैं नेता लोग, प्रभावशाली लोग तथा बिजनेस मैन। विधायकों को तो अपने सुविधा दे ही रखी है और मंत्रियों का तो कहना ही क्या है। इस प्रकार जो दवाइय इन लोगों से बचती हैं वे अस्पतालों के सामने वाली दुकानों में चली जाती हैं। डाक्टर लोग प्रिस्क्रिप्शन मरीजों को लिखते है और कह देते है कि बाजार से दवाइयां खरीद लो। इस पर आपको रोक लगाना चाहिये। आप अस्पतालों की संख्या बढ़ा रहे हैं, नर्सों, मिडवाइफों तथा डाक्टरों की संख्या बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार आंकड़ों के बढ़ने से जो कुछ भी आपकी बढ़ोत्तरी हो रही है, वह बहुत हल्की-फुलकी बढ़ोत्तरी है। ये सुविधायें आप सम्पन्न लोगों को दे रहे है। सम्पन्न लोग तो स्वयं पैसा खर्च करके डाक्टरों के पास जा सकते हैं। लेकिन गरीब जनता पैसा खर्च नहीं कर सकती है तो उसके लिये ये सुविधायें नही है।

मान्यवर, इस 9 करोड़ की जनता के लिये जो कुछ भी है वह आप भी तस्लीम करते हैं कि वह बहुत कम है। मैं कहना चाहूंगा कि यह विभाग दूसरे विभागों की तरह काम न करे। यह विभाग बड़े महत्व का विभाग है। इस विभाग को बढ़ाने के लिये ज्यादा से ज्यादा आप करें। हमारे एक जिन सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुये बहुत कुछ कहा उससे मैं सहमति प्रकट करता हूं लेकिन एक बात से मैं असहमति प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने जो यह कहा कि ज्यादा मेडिकल कालेज न खोले जायं क्योंकि उससे अनइम्प्लायमेंट होगा। मैं कहूंगा कि यह एक ऐसी चीज है जिसमें अनइम्प्लायमेंट अभी पैदा नहीं हुआ है। एम०बी०बी० एस० करने के बाद कोई भी आदमी अनइम्प्लायड नहीं रह सकता है। पहले तो सरकार एक बंधकनामा लिखवा लेती है कि इतने वर्ष तक नौकरी करनी पड़ेगी। दूसरे वह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। वैसे अभी जनता के लिये ज्यादा से ज्यादा डाक्टरों की जरूरत है। अतः ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कालेज हमारे नव-जवान लोगों को शिक्षित करने के लिये खोले जायं और वे शिक्षित होकर प्राइवेट प्रैक्टिस के जरिये गांव में दुकान खोलें जिससे जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिले।

मान्यवर, एक बात मैं फेमिली प्लानिंग के बारे में कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े हमारे सामने पेश किये जाते हैं वे बेकार के होते हैं। हर लेखपाल को 15-15 केसेज देने होते हैं। इसके लिये होता यह है कि लेखपाल से लेकर जिलाधिकारी तक इसमें जुट जाते हैं। ये लोग जनता को लालच देते हैं कि तुमको 2 बीघे जमीन मिल जायेगी या तुम्हारे लड़के को नौकरी दे देंगे यदि तुम नसबन्दी करा लो। तो इसके जरिये जो फेमिली प्लानिंग की जाती है उसमें जो बूढ़े लोग चल तक नहीं सकते हैं उनकी भी फेमिली प्लानिंग की जाती है। इन आंकड़ों से आप किनको कंविन्स करना चाहते हैं, किनको आप समझाना चाहते हैं। इस प्रदेश में हमको, आपको सबको रहना है। अगर परिवार नियोजन करना है तो साहित्य के जरिये फिल्मों के जरिये लोगों को समझायें और कंविन्स करें। तब आपका परिवार नियोजन, सफल हो सकता है। आज दवाओं में मिलावट का प्रश्न बहुत गम्भीर रूप धारण करता जा

[श्री रामचन्द्र बख्श सिंह]

रहा है । यह तो इत्तिफाक है कि कानपुर में इतनी मौतें हो गयीं और इस सरकार को मजबूर होकर देखना पड़ा । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उन अस्पतालों में जहां ग्लूकोज की बोतलें गयी और एक-एक मृत्यु हो गयी और उस गरीब आदमी के रिश्तेदार से डाक्टर ने कह दिया कि इसकी मृत्यु हो गयी, क्या जानकारी की गयी ? मेरा निवेदन है कि इस तरह की दवाओं की सारी मैन्युफैक्चरिंग और सेल को सरकार नेशनलाइज कर ले क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नही है एडलट्रेशन को रोकने का । यही एक उपाय है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। एक डाक्टर की हैसियत से और इंडियन मेडिकर कौसिल की केन्द्रीय परिषद के सदस्य होने के नाते मैं अपना फर्ज समझता हूं कि इस विवाद से सम्बन्धित जो कमियां हैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूं । इससे पहले कि मैं आपनी बात शुरू करूं मैं माननीय बहुगुणा सरकार को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं कि उसने मेडिकल कालेज में 10 परसेंट स्थान अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित किये । यह बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है । जहां तक मेडिकल कालेज खोलने का प्रश्न है, मेरी यह राय है कि बजाय और मेडिकल कालेज खोलने के जो मौजूदा कालेजेज हैं उनमें ही शिक्षा के स्तर को उठाने पर ध्यान दिया जाना चाहिये । यह अनुभव हुआ है कि इन मेडिकल कालेजेज में शिक्षा का स्तर काफी गिरा है । आपने देखा होगा कि आगरा और कानपुर मेडिकल कालेजेज के स्टुडेन्ट्स ने स्ट्राइक्स की और इसमें दो राय नहीं कि उन विद्यार्थियों की कुछ समस्यायें है और शिक्षकों की भी कुछ मजबूरियां हैं । बजाय इसके और मेडिकल कालेज खाले जांय इनमें ही कु छ सीटें बढ़ा दें और शिक्षा के स्तर को उठाने पर ध्यान दें । इसके अलावा इस बजट में 30 एलोपैथिक अस्पताल 20 हिल एरिया में, 2 रूरल एरिया में, 5 ई०एस० आई० और 3 मोबाइल हास्पीटल खोलने की व्यवस्था है । मैं समझता हूं यह संख्या बहुत कम है और इससे ज्यादा अस्पताल और उसके लिहाज से शैय्याओं की व्यवस्था करनी चाहिये। 73–74 में चिकित्सा और स्वास्थ्य पर आयोजनागत व्यय 13 करोड़ रुपया किया गया था । अब की बार साढ़े 7 करोड़ का प्राविधान है और उसमें भी वित्त मंत्री जी 15 परसेंट की कटौती करने जा रहे हैं। आयोजनेत्तर व्यय में 33 करोड़ का प्राविधान है और 15 की कटौती करने के बाद उसमें 28 करोड़ रह जायगा। इसके अलावा जैसा कि बताया गया है ग्रामीण अंचल में जो प्राइमरी सेंटर्स हैं उनमें 12 हजार रुपया प्रति वर्ष का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, पहले 5 हजार रुपये था। उस समय एक व्यक्ति के ऊपर एक साल में केवल 5 पैसे चिकित्सा पर खर्च बैठता था। 12 हजार के बाद भी केवल 12 पैसे आयेगा स्वास्थ्य पर। मान्यवर, यह काफी कम है और इसके लिए और धनराशि बढ़ाई जानी चाहिये। हम देखत हैं कि विदेशों में खासतौर से ब्रिटेन में, सबसे ज्यादा बोझ खर्च का, स्वास्थ्य की वजह से है। वहां सबसे ज्यादा चिकित्सा पर व्यय किया जाता है और इसी कारण उनकी एकोनामी लड़खड़ाती रहती है। तो, मान्यवर, स्वास्थ्य जब तक सही नहीं होगा, देश समृद्धिशील नहीं हो सकता। अतः मेरा अनुरोध है कि इसमें और ज्यादा धनराशि का प्राविधान किया जाय ।

जहां तक ग्रामीण अंचलों में डाक्टरों के जाने का प्रश्न है, यह शिकायत आ रही है कि डाक्टर लोग गांव में कम जाते हैं। यह बात सही है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या हैं। इसकी ओर भी हमें ध्यान देना होगा। मझे याद है कि आज से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के योजना आयोग के समक्ष लखनऊ मेडिकल कालेज के प्रींसिपल, डाक्टर आर० बी० सिंह जो उसके एक सदस्य हैं, ने कहा था कि "हमारे ग्रामीण अंचल में जो हास्पिटल्स हैं, वह जागीर साहब की चौपाल में हैं और उनकी घुड़साल में डाक्टर के रहने का स्थान है। हो सकता है कि इसमें कुछ कमी हुई हो, लेकिन स्थिति आज भी बदतर है।" गांवों में डाक्टरों

की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। फौजदारी हो जाती है, तो डाक्टर्स से जबरदस्ती मेडिकल रिपोर्ट लिखवाई जाती है और इतने इंटीरियर में ये हास्पिटल होते हैं कि वहां आने-जाने की न तो कोई सुविधा होती है, न उनके रहने का स्थान होता है, न उनके बच्चों के एजकेशन की कोई समुचित व्यवस्था होती है। और जो खास बात है, उनके लिए वहां कोई इनसेंटिव नहीं है। अगर ग्रामीण अंचलों के लिए डाक्टरों को आकर्षित करना चाहते हैं तो इन समस्याओं की ओर भी हमें ध्यान देना ही पड़ेगा।

हमारे सामने दवाइयों की भी समस्या है। अभी इस सदन के सामने कानपुर की बी०जे० फार्मा की समस्या आई। मेरा ऐसा अनुभव है कि ऐसी ही कई समस्यायें इस विभाग से सम्बन्धित हैं। 6 करोड़ रुपए की दवाइयां खरीदी जाती हैं, रजिस्टर में इन्दराज हो जाती हैं, लेकिन ये दवाइयां हास्पिटल में नहीं आतीं, बाजार में ही प्राइवेट एजेंसीज में बिक जाती हैं। इसके अलावा सब से बड़ी बात जो है वह यह है कि परचेज ये क्या करते हैं? ल जरी ड्रग्स, ल जरी टानिक्स, विकोसूल, बीबीनल, बी० जी० फास और मल्टी विटामिन्स। मेडिकल विभाग से ये दवाइयां साधारण व्यक्तियों को तो मिलती नहीं। मिलती हैं तो केवल बड़े-बड़े अधिकारियों को, बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारियों को और अन्य प्रतिष्ठित लोगों को और समाज के कमजोर तबके के लोगों को ये दवाइयां मुहइया नहीं होत और इन्हें मिलती कौन दवाइयां हैं, जैसे लाल मिक्सचर, ए० पी० सी०, सल्फा गोनाडीन, सल्फा-डाइजीन।

इसके अलावा इस विभाग की और समस्यायें हैं। हम देखते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर तमाम ऐसे ब्लड बैंक चलाये जा रहे हैं, जहां पर न तो ट्रेंड टैक्नीशियन्स हैं और न ट्रेंड परसोनेल। ये लोग गरीब और बेसहारा लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। किसी भी हास्पिटल के सामने देख लें। ये ब्लड बैंक्स इस तरह से खुले हैं, जैसे चाय और पान की दूकानें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे तमाम अनअथराइज्ड ब्लड बैंक्स को तत्काल बन्द करवाने को कोशिश की जाय और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

मान्यवर, फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज फैमिली प्लानिंग के ऊपर सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। बड़े-बड़े आंकड़े, दिखाये जाते हैं। लेकिन मेरा, आपके माध्यम से, मान्यवर,सरकार से निवेदन है कि इनमें अधिकांश आंकड़े कागजी हैं। आप मान्यवर, ताज्जुब करेंगे कि फैमिली प्लानिंग में आपरेशन 50, 60 या 70 साल की उम्र वालों के हुए हैं या जो अनमैरीड हैं, कुआरें हैं, उनके हुए हैं। जो आपरेशन हुए वे फकीर तथा भिखारियों के हुए। आंकड़े ज्यादा करने के लिए उनके आपरेशन कर दिये गये। अनुभव यह बतलाता है कि ग्रामीण अंचल में ज्यादा काम करना पड़ेगा। फमिली प्लानिंग ग्रामीण अंचल में अनपापूलर हो रही है उसे हमें देखना होगा। उसके सामाजिक तथा आर्थिक पहलू को भी देखना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते।

कुछ प्रोमोशन्स तथा ट्रांसफर्स का भी मसला है। जहां तक मेडिकल कालेजेज में टीचिंग स्टाफ तथा स्पेशलाइज्ड स्टाफ का सवाल है उसके लिए हार्ड एन्ड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए कि 5 साल के बाद उनका ट्रांसफर किया जाय। जिला एवं अन्य अस्पताल जो हैं उनमें डाक्टर 10, 15 साल से काम कर रहे हैं और सेक्रेटेरियट लेविल पर करप्ट प्रैक्टिसेज से एडाप्ट करके अपने को वहां बनाये रखते हैं। बनारस का किस्सा मैं बतलाना चाहता हूं। डाक्टर का नाम सदन की गरिमा को ध्यान में रख कर नहीं लूंगा। उस डाक्टर के खिलाफ 5 एडवर्स इन्टरीज थीं

[डाक्टर कृष्णवीर सिह कौशल]

कैरेक्टर रोल में और जो डाइरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज थे डाक्टर श्रीवास्तव उन्होंने भी उसके प्रोमोशन के खिलाफ सिफारिश की थी लेकिन पांचों एडवर्स एन्टरीज खत्म हो गयीं और दो प्रोमोशन्स ले लिए। एक प्रोमोशन ग्रेड और दूसरे सिलेक्शन ग्रेड। उनके लिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गयीं, ताकि वह प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकें। मैं यह कहूंगा कि मेडिकल विभाग एक टेक्निकल विभाग है लिहाजा इसका सेक्रेटरी टेक्निकल आदमी होना चाहिए यानी प्रदेश का जो वरिष्ठ डाक्टर हो वह इस विभाग का सचिव होना चाहिए। एक स्पेशल सेक्रेटरी की पोस्ट दी भी गयी और डाक्टर उस पर रखा गया है लेकिन यह पोस्ट महज दिखावे के लिए है क्योंकि उसको कोई पावर्स नहीं हैं, वे सब सेक्रेटरी के पास हैं। लिहाजा जो वरिष्ठ डाक्टर हैं उनमें से स्वास्थ्य सचिव बनाया जाय।

अन्त में मैं मेडिकल कालेज और अस्पतालों की वर्किंग कन्डीशन्स के बारे में कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। देखा यह गया है कि आपरेशन्स करते समय बिजली की अव्यवस्था होने से बिजली गायब हो जाती है लिहाजा हर अस्पताल में हर वार्ड में अपना एक अलग से जनरेटर भी होना चाहिए ताकि एमरजेंसी के वक्त वह काम कर सके।

इसके साथ जो भोजन की व्यवस्था है मरीजों के लिए वह बहुत असन्तोषजनक है। दूध पानी मिला मिलता है। दाल में पानी बहुत होता है और रोटी भी खराब होती है। यह इन्सानियत के साथ मजाक है। नर्सेज की दशा भी बड़ी सोचनीय है। जो एमालुमेंट्स उनको दिये जाते हैं वे बहुत नाकाफी हैं और उम्मीद यह की जाती है कि वे देर तक काम करें। उनका वेतन उनकी वर्दी तथा खाने पर ही खर्च हो जाता है तो कैसे उनसे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समाज की सेवा कर सकें। उनकी तरफ ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)--

माननीय मन्त्री जी ने स्वास्थ्य बजट स्वर्ग माथा हिमालय की तरह तो बनाया लेकिन उसकी खाई की तरफ नहीं देखा और यह नहीं बताया कि आखिरकार यह भ्रष्टाचार की खाई कैसे पटेगी? वाराणसी जनपद में भारत रत्न श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। उस अस्पताल में भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है कि डाकू की गोली से इन्सान बच जाता है लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डाक्टर की गोली से नहीं बच पाता।

मान्यवर, चार-चार, पांच-पांच और छः छः दिन छुरा लगे हुए हो जाते हैं लेकिन डाक्टर आपरेशन नहीं करते हैं। बगल में मेमोरियल अस्पताल है महिलाओं का, जहां कि आये दिन हफ्ते में दो-एक बच्चे प्रसव के बाद मर जाते हैं। उस अस्पताल के डाक्टर के बारे में आपको बताऊं कि मैं वहां पर पिछली 23 तारीख को गया था। 25 तारीख को टैक्सी की एक दुर्घटना में 3 आदमी घायल हो गये थे। उनमें से 2 व्यक्ति तो वहां पर ले जाने के बाद अस्पताल वालों की असावधानी के कारण मर गये। लोग डाक्टरों को ढूंढते रह गये लेकिन डाक्टर गायब रहे। मैंने 4 घंटे तक वहां पर बैठकर देखा। कोई भी डाक्टर वहां पर राउन्ड करने के लिए नहीं आया और न कोई नर्स ही आई। नर्स तो बात ही नहीं करतीं। जब कोई आदमी उनको पैसा देते हैं उसको ही दवा लिखते हैं। अमूमन लोग माकट से ही दवा खरीद लेते हैं। वहां पर केवल डिस्टिल्ड वाटर ही मिलता है। इस सम्बन्ध में मैंने स्वास्थ्य मन्त्री जी को पत्र लिखा और उन्होंने 23 तारीख को मुझे जवाब भी दे दिया। ये अस्पताल आज भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुये हैं। भारत रत्न स्वर्गीय शिव प्रसाद गुप्त के नाम पर यह अस्पताल कलंक का अड्डा बना हुआ है। जो०

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टी रोड पर काशी सहकारी चीनी मिल की बगल में औराई, माधोसिंह, घुसिया तथा खम्हरिया गांव हैं जहां पर कि 30 हजार लोग बसे हुए हैं। वहां पर डाक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। केवल एक डाक्टर है और मामूली दवा की व्यवस्था है। वहां पर अधिकतर लोग साड़ियां बनाते हैं और कालीन बनाते हैं। यह साड़ी और कालीन बनाने का आंखों का काम है, जिससे आंखों पर जोर पड़ता है। अतः इसकी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। औरई में एक भी अस्पताल नहीं है। मरीज या तो 40 मील वाराणसी जाय या फिर 4 मील इलाहाबाद आये। मजदूर तबके का आदमी आज किसी भी सूरत से अपने परिवार को इतनी दूर ले जाकर रख नहीं पाता है। इन परिस्थितियों में मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ध्यान दें। 30 हजार लोगों की आबादी का यह इलाका है। एक अद्भुत बात यह है कि तहसील ज्ञानपुर में परिवार नियोजन के माध्यम से जो नियोजन हुआ है उसके तहत लगभग 40 साधुओं का नियोजन किया गया है। न उनके पास औरत है, न घर है न द्वार है लेकिन उनको जबरदस्ती पकड़ कर ले आया गया और उन्हें 60 रुपए देने के बजाये 10--20 रुपया देकर उन्हें भगा दिया और वह रुपया भी अपनी जेब में कर्मचारियों ने रख लिया। ऐसी दशा में जो बजट आप बनाये हैं और उसमें कटौती का जो प्रस्ताव रखा गया है उसी का मैं समर्थन करते हुए मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार की भ्रष्टाचार की खायी को पाटें। आज हर हास्पिटल में जहां गरीब तबका जाता है उसके लिए दवाइयों आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। डाक्टर साहब प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे हुए रहते हैं। यदि उनसे कहा जाय तो कहते हैं कि अभी 10 मिनट में आते हैं। संविद सरकार के काल में शायद एक जी०ओ० आया था कि कोई भी डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। मिर्जापुर में मैंने देखा तथा और भी स्थानों में इलाहाबाद तथा वाराणसी आदि जगहों में, रामशंकर हास्पिटल है वहां पर डाक्टर प्रायः प्राइवेट मरीजों को देखते हैं और 16 रुपए फीस लेते हैं।

श्री राज मंगल पांडेय--

वह तो खत्म हो गया।

श्री गिरजा शंकर पाठक--

खत्म नहीं हुआ। आप मरीज बनकर तो देखिये तब आपको मालूम हो जायेगा। जरा शक्ल बदल कर तो चलिये। तो मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले अगर प्रदेश को आप बचाना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दिया जाय और उस भ्रष्टाचार की खाई को पाटिए। आज 10--10, 15-15 मील की दूरी पर जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थित हैं। जहां पर अधिक दूरी के कारण प्रसव के समय महिलायें नहीं जा पाती हैं या जाती भी हैं तो रास्ते में ही प्रसव हो जाता है और वे पहुंच नहीं पाती हैं। करीब दर्जनों केस ऐसे हुए हैं जिनमें गरीब तबके की औरतों का प्रसव के समय नाड़ नहीं काटा गया और वे मर गईं।

एक सदस्य--

आपको बड़ी परेशानी है।

श्री गिरिजा शंकर पाठक--

आपके पास है नहीं, आपको क्या परेशानी, परेशानी हमें है जो हम लोग बाल-बच्चे वाले हैं। तो बड़ोरा बाजार, वाराणसी और भदोही में न कोई यूनानी चिकित्सालय है

[श्री गिरिजा शंकर पाठक]

और न ही कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालय है और एलोपैथिक भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक अस्पताल वहां अवश्य हो और हर 3 या 5 मील के बीच में एक जच्चा-बच्चा केन्द्र की स्थापना अवश्य हो। जो तराई एरिया है वहां पर जच्चा-बच्चा केन्द्र न होने से बड़ी परेशानी होती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मजदूर स्तर पर श्रमिकों के लिए एक अस्पताल अवश्य हो और वह औराई में हो। क्योंकि वह स्थान चारों तरफ से इलाहाबाद और वाराणसी की तरफ से बीच में है, वह चौराहा है। वहां एक नेत्र अस्पताल की व्यवस्था होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि वहां पर नेत्र का काम करने वाले ही मजदूर अधिकतर हैं। यदि यह उनके लिए नहीं हो पायेगा तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में जो करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा की आय होती है, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे टाईम दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मुझे आपके माध्यम से अपने विचार रखने हैं, मैं वह रख रही हूं। माननीय मन्त्री जी ने स्वास्थ्य विभाग का अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं और साथ-साथ मुझे अपने विचार रखने हैं। हमारे प्रदेश में इस समय जो स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने के लिए कहा गया है, मैं समझती हूं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से काफी प्रगतिशील कदम उठाये गये हैं, लेकिन उनके साथ-साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं, जिनमें हमारी कमियां भी जाहिर हो रही हैं। इसमें सबसे प्रथम बात यह है कि यहां पर छोटे-छोटे केन्द्रों के बारे में जो हमारे दूसरे साथी भी कह रहे हैं और हमारी तरफ से भी कहा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक वक्त जो महिलाओं की बीमारी की समस्यायें हैं उसमें मातृ-शिशु केन्द्रों का होना जरूरी है। जब तक वह नहीं खुलेंगे हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं होगी। दूसरे नम्बर की बात हमें यह कहनी है, हमारी प्रदेश में टी०बी० सेनीटोरियम वगैरह की काफी स्थापना हुई है जिनके द्वारा हमारे टी०बी० के मरीजों को काफी फायदा हो रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे प्रदेश में कैंसर की बीमारी भी इतनी बढ़ रही है कि हर आदमी उससे परेशान कहा जाता है। तो उसी तरह से इसके लिए भी क्लीनिक्स खोली जायें तो यह बीमारी भी हमारी जल्दी से जल्दी दूर हो सकती है।

क्योंकि हमारे प्रदेश में केवल दो-तीन जगह यह क्लीनिक खुली हुई हैं। बीमार जब वहां पर जाता है तो उसको काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। महीनों में नम्बर आता है। इस तरह से परेशानी होती है। यहां पर यह व्यवस्था होनी चाहिए कि हर जिले में इसी तरह के क्लीनिक खुलें।

तीसरे मुझे यह कहना है कि एलोपैथिक प्रणाली दिन-दूनी खर्चीली होती जा रही है। होम्योपैथिक प्रणाली बहुत सस्ती है। हमारे अस्पताल जो खुले हुए हैं उनमें एक विंग होम्योपैथी का हो जाय तो मैं समझती हूं कि हमारे गरीबों को और प्रदेश को काफी लाभ होगा।

चौथी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे अस्पतालों में जो अस्पताल के लिए सामान खरीदा जाता है, जैसे एक्सरे हैं, उनको सुधारने के लिए वहां पर कोई प्रबन्ध नहीं है। उसके लिए मेरा सुझाव यह है कि प्रदेश के स्तर पर इस प्रकार की रिपेयरिंग वर्कशाप होनी चाहिए जिससे वह प्रदेश में जाकर ठीक कर सकें। उससे हमारी सरकार को लाभ होगा। जो चीज एक दफा टूट जाती है उसको सुधारने का प्रबन्ध नहीं किया जाता। इसके लिए वर्कशाप्स खोले जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

पांचवीं बात मुझे यह कहनी है, आंखों के इलाज के लिए जो सीतापुर अस्पताल में हमारे डाक्टर मेहरा थे, उन्होंने प्रान्तीय स्तर पर और बाहर अस्पताल खोल रखे हैं। इसी प्रकार से डाक्टर मोहन लाल ने जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। लेकिन आज हमारे बीच में नहीं हैं और जो उनके अस्पताल खुले हैं वह आज की स्थिति में ठीक नहीं चल रहे हैं। मेरी राय में अगर सरकार उनका राष्ट्रीयकरण कर दे, अगर उनको अपने हाथों में लेकर प्रबन्ध करे तो जनता को अधिक लाभ हो सकता है। छठी बात यह कहनी है कि हमारे यहां स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन हुआ है उससे क्या सुधार हुआ यह हमें मालूम नहीं है। लेकिन इस बात से एक तो डाक्टरों में तनाव बढ़ा, क्योंकि उनकी ड्यूटी का स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरे जनता को बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। मैं चाहूंगी कि आप उसमें सुधार करें।

एक बात मुझे अपने जिले के बारे में कहनी है। वैसे हमारे प्रदेश में हर जिले में इस तरह की बातें होती रहती है। लेकिन उन पर अगर ध्यान दिया जाय तो, तो मैं आपके सामने यह बात रख रही हूं। सरकारी दवाओं को हमारे डाक्टर लोग अपने सुझावों के द्वारा अपने क्लर्कों के यहां रख देते हैं। उसके बाद यह होता है, अगर जनता के किसी आदमी को पता लगता है तो पुलिस के द्वारा छापा डालते हैं। 30–35 हजार रुपये के लगभग वहां दवाएं मिलती हैं। लेकिन तब भी उनको कोई दंड नहीं दिया जाता। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अगर आप इस तरह का भ्रष्टाचार मिटाना चाहेंगे, तो आपको उचित प्रबन्ध करना चाहिए। इन दवाओं का सही वितरण इसी लिए नहीं होता है क्योंकि आपकी दवाएं अस्पतालों में सुरक्षित नहीं रहती हैं, बल्कि व्यक्तिगत घरों में रहती ह। जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर आप विचार करेंगे जिससे प्रदेश के लिए आप लाभ की बात करेंगे।

*श्री बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बीमारी जो शासक दल में है, आत्मतुष्टि की है। अगर आप आंकड़े देखें तो उनसे पता चलेगा....

श्री अधिष्ठाता—

आप केवल पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य कल भी बोल चुके हैं, और आज भी बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

सदन की आज्ञा से पांच मिनट के लिए कह दिया है। समय आपको मिलेगा।

बाबा रामनाथ—

मैं आपके ही आंकड़े दे रहा हूं। 22,075 की जन-संख्या के ऊपर हमारे यहां एक अस्पताल है। आप उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की हालत देख सकते हैं। दुनिया के आंकड़ों को छोड़िए। आपके हिन्दुस्तान में ही 4,830 जन संख्या के ऊपर एक डाक्टर है। इधर देखिए जापान में 910 आदमियों के पीछे एक डाक्टर है, ब्रिटेन में 860 आदमियों के पीछे एक डाक्टर है, अमरीका म 650 आदमियों के पीछे एक डाक्टर है, रूस में 430 आदमियों के पीछे एक डाक्टर है और हिन्दुस्तान म 4,830 आदमियों के पीछ एक डाक्टर है। उत्तर प्रदेश में 6,000 आदमियों,

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[बाबा रामनाथ]

के पीछे एक डाक्टर है । ऐसी दशा में एक माननीय सदस्य ने कहा कि मेडिकल कालेजों की हमारे प्रदेश में अब जरूरत नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं और अपने प्रदेश की हालत को देखते हुए कहता हूं कि अगर दस मेडिकल कालेज भी खोल दिये जायं तब भी हम अन्य प्रदेशों के औसत पर नहीं पहुंच पायेंगे ।

अधिष्ठाता महोदय, एक मुख्य बात मुझे यह कहना है कि हमारे प्रदेश में भोर साहब और खेर साहब की अध्यक्षता में दो कमेटियां बनी थीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश के डाक्टर चाहे सरकारी अस्पताल के हों या मेडिकल कालेज के हों उनको किसी तरह से प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाय । मेडिकल कालेजों का बड़ा भारी नुकसान होता है क्योंकि उनका शोध कार्य रुक जाता है । दूसरे जो लड़के वहां पढ़ते हैं उनके प्रति डाक्टरों की उदासीनता का बर्ताव हो जाता है। पिछले साल आगरा मेडिकल कालेज में मेडिकल स्टूडेंट ने आत्मा हत्या की थी उसकी यही वजह थी । इसके अलावा जो गरीब मरीज मेडीकल कालेज में दिखाने के लिये जाता है उससे डाक्टर लोग कहते हैं कि डाक्टर साहब को घर पर दिखाओ । इस तरह से उस गरीब मरीज का इलाज नहीं हो पाता है । बहुगुणा ने एक नई चीज रखी कि यह जो पहले दो कमेटियां बनाई गई थीं उनकी रिपोर्ट को इन्होंने पढ़ा नहीं । इन कमेटियों ने कहा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस डाक्टरों को न करन दी जाय । ये डाक्टर वार्ड में कर्नल की तरह से जाते हैं और कुछ नहीं करत हैं । लेकिन बहुगुणा की सरकार ने फतवा दे दिया कि प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिये । उसका नतीजा यह हो रहा है कि मेडिकल एजूकेशन का स्तर गिर रहा है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि यह जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिये ।

इसके अलावा गोरखपुर में एक डाक्टर कपूर हैं । उनके पास एक नौजवान इंजीनियर भर्ती होने के लिये गया । लेकिन उनकी तरफ से ऐसी लापरवाही की गई कि उसकी मत्यु हो गई । यह रोज होता है क्योंकि डाक्टर समझता है कि जिसे दिखाना होगा वह डाक्टर के घर पर आयेगा और फीस देगा । इनकी फीस 16/25/30 रुपये हैं । ऐसी दशा में चाहे अस्पताल का डाक्टर हो या मेडिकल कालेज का डाक्टर हो उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द होनी चाहिये ।

सब से बड़ी समस्या दवाओं की है । एक विदेशी फर्म है । उसने बहुत नफा कमाया है । इसनें 5 लाख की पूंजी से काम शुरू किया था । आज उसकी पांच करोड़ की पूंजी है । इसकी दवाय चार गुने से लेकर सौ गुने मुनाफे पर बेची जाती हैं। विटामिन वगैरह की जो दवाय ह वह बहुत तेज बेची जाती है और उनका सारा पैसा विदेश में चला जाता है । मैं समझता हूं कि सरकार इधर ध्यान दे और जो पैसा बाहर जा रहा है उसको बचाया जाय । दवायें यहीं बनाई जाय ।

एक सुझाव और देना चाहता हूं कि.....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त ।

*डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत वादविवाद हुआ । मैं अपना एक सुझाव देना चाहता हूं कि शीशियां वैक्सीन और सीरप की होती हैं । जैसे यूगोस्लाविया की सीरप की शीशी होती है उस पर ऐसा प्रिंट होता है जो हटता नहीं है । उसी तरह से ऐसी चीज इन शीशियों पर लगा दी जाय और सरकारी ट्रेड मार्क लगा दिया जाय जिससे यह दुकानों पर न बिक सके या बिलफिक्स लगायें तो उससे चिपका हुआ कागज छूटता नहीं है चाहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उस पर पानी भी क्यों न पड़े। अगर इस तरह की बातें नहीं की गयीं तो सरकार का पैसा डाक्टरों की जेब में चला जायेगा उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस पर अमल करने की पूरी ताकत लगायी जाये। एलोपैथिक अस्पताल खोलने पर बहुत जोर दिया जाता है और बहुत पैसा भी खर्च किया जाता है। डाक्टर परेशान हैं। एन्टीबायोटिक्स से कीड़े सहनशील हो गये हैं और उसका असर नहीं पड़ता है। इसका केवल एक ही विकल्प है आयुर्वेद की दवायें। आप साधारण आदमी से कहें कि अदरख खाय तो नहीं खायेगा लेकिन अगर उससे कहा जाये कि जिन्जर लीजिए तो बड़े शौक से इस्तेमाल करता है। फोड़े पर अगर कहा जाये कि धतूरा रखिए तो नहीं रखेगा अगर कहा जाये कि बेलेडोना लगाइये तो बड़े इतमीनान से उसका प्रयोग करता है। गोल पहिए का एक विज्ञान है उसमें सुधार होते होते बैलगाड़ी में जो पहिया होता है वह बना और आज विकसित रूप में बालबेयरिंग पड़ा हुआ हवा युक्त पहिये बन गये हैं। लेकिन वैज्ञानिकता में परिवर्तन नहीं हुआ है उसमें सुधार हुआ है। आयुर्वेद की दवायें वैज्ञानिक हैं मिसाल के तौर पर गाय का दूध वैज्ञानिक है। आंवला में विटामिन सी है। उसको चाहे जितना भूनिए उसका विटामिन नष्ट नहीं होता है। कानपुर हेलट अस्पताल में 2 बाथ रूम थे। उनमें से एक खराब था उसमें टट्टी से सने हुए 30-40 कपड़ रखे थे और मेहतर उनकी सफाई कर रहा था और उसी पानी को हम पी रहे थे और जब हमने उसे देख लिया तो उल्टी हो गयी। यह सही है कि अव्यवस्था बहुत है। यहां तक कि हर दिशा में है इसके लिए कोई हल नहीं निकल रहा है। फतेहगढ़ में एक आदमी आया। जिसके दाढ़ में दर्द था उसने डा0 से बताया तो डाक्टर ने कहा कि बैठो। वह छाये में बैठ गया। डाक्टर को देर से फुरसत मिली। इसी बीच वह मरीज चला गया और एक दूसरा मरीज जिसके दाढ़ी थी आकर वहीं बैठ गया जो बुखार से पीड़ित था। डाक्टर तेजी से आये और उससे कहा कि मुंह खोलो उसने मुंह खोल दिया और डाक्टर ने पिलास से उसकी दाढ़ निकाल दी। उसने कहा कि डाक्टर साहब आपने मुझे मार डाला तो डाक्टर ने कहा कि घबराओ नहीं आराम मिलेगा तो उस मरीज ने कहा कि मुझे दाढ़ का दर्द नहीं है मैं तो बुखार से पीड़ित हूं। तो ऐसा होता है।

एक आदमी ककड़ियां बेच रहा था और वह कह रहा था कि लैला की अंगुलियां और मंजनू की पसलियां ले लो। आहारा स्वप्नों ब्रह्मचर्य। हमें अच्छे आहार को ग्रहण करना चाहिए जिससे अच्छी तरह से रह सकें। यह भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा तभी हम स्वास्थ्य को उन्नत दृष्टि से कामयाब कर पायेंगे। अगर हम इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो होगा कि एक दिन हम सब बीमार हो जायेंगे। हम तो देखते हैं सदन में बैठे-बैठे, हमें तो कभी बोलने का मौका मिला नहीं। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बोलने से कोई नतीजा निकलता नहीं इससे अच्छा है कि न बोला जाय। तो मेरा जो सुझाव है स्वास्थ्य मंत्री जी, पाण्डेय जी बैठे हैं तो जो मैंने शीशियों पर लिखने की बात बताई वह अगर इस्तेमाल में लाई जाय तो उससे बेईमानी और करप्शन दूर हो सकता है।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जहां पर गवर्नमेंट के यूज की दवाइयां हैं, वहां पर शीशियों में पहले से लेबिल्स लगे हुए हैं। यह मैंने पहले से ही कर रखा है।

डाक्टर धर्मपाल सिंह--

तो बहुत सावधानी के साथ अगर सतर्कतापूर्वक इन दवाइयों में शीशियों के ऊपर परिवर्तन इन लेबिलों या चिन्हों के द्वारा किया जाय तो करप्शन में कमी आ सकती है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर धर्मपाल सिंह--

ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं ।

*श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मैंने माननीय मंत्री जी के अनुदान को बड़े गौर से सुना और मैं समझता हूं कि खुले दिल से उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे विभाग में कुछ गड़बड़ियां हैं । उसके बाद बार-बार भ्रष्टाचार की बात को दोहराने से इस समय सदन का अमूल्य समय नष्ट करना होगा । इस सदन में जो सुझाव आने चाहिए थे वह नहीं आये । मैं समझता हूं कि विरोधी दल को कंस्ट्रक्टिव एप्रोच रखनी चाहिए, वह उधर से नहीं आई क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बजट था ।

अधिष्ठाता जी, यह सही है कि हमारा जो बजट है या जितनी योजना है उससे हम और हमारे सदन के साथी संतोष नहीं करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य की समस्या इस प्रदेश की है । हम जानते हैं कि सरकार स्वास्थ्य के बारे में प्रयत्नशील है जैसा मैंने देखा है कि आयुर्वेद कालेज, मेडिलक कालेज इस समय प्रदेश में चल रहे हैं और उसमें कुल मिला कर 1.628 विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रवेश पाते हैं । इसी तरह से जनरल नर्सिंग सेन्टर्स हैं जिनमें 165 प्रवेश उसमें पाते हैं और मिडवाइफरी ट्रेनिंग सेंटर इस प्रदेश में 8 है और उसमें 292 प्रति वर्ष प्रशिक्षण पाते हैं । इस तरह से जो आंकड़े सामने आये हैं और जब हम विगत वर्षों के आंकड़ों को देखते हैं तो निश्चित ही हम पाते है कि इस तरह सरकार प्रगति कर रही है । लेकिन जब मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की आबादी जहां 8 करोड़ है उसमें इतने विद्यार्थी जो प्रतिवर्ष लिये जाते हैं क्या वह समस्या का समाधान है । तो मुझे कहना पड़ता है कि नहीं । मैं चाहूंगा कि और भी आयुर्वेदिक और मिडवाइफरी के जो कालेजेज है उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय । मेडिकल कालेज जो हमारे हैं, वे बड़े कीमती पड़ते हैं । एम०बी०बी० एस० कोर्स करने के लिए डाक्टरों का 5 वर्ष का प्रशिक्षण होता है और उनके लिये जिस सामान की आवश्यकता पड़ती है, उसको खरीदने के लिए सरकार को बहुत धन लगाना पड़ता है । इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हमारे जो आयुर्वदिक, होम्योपैथिक या यूनानी कालेजेज हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय । मेरी मंत्री जी से यह भी प्रार्थना है कि इस 5 वर्ष के कोर्स को घटा कर कम किया जाय क्यों 5 वर्ष की अवधि बहुत लम्बी हो जाती है । 3 वर्ष में भी यदि प्रशिक्षण हो सके तो काम चलाऊ व्यवस्था हो सकती है । मुझे आशा है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे ।

दूसरे यह भी देखा जाता है कि जितने हमारे देहातों में अस्पताल हैं, चाहे वे ऐलोपैथिक हों, चाहे आयुर्वेदिक हों, उनमें जितना स्टाफ रखा जाता है, उनके खर्चे के बराबर वहां पर दवा भी नहीं होती है । यदि हमारे माननीय मंत्री जी उनके वेतन और भत्तों के आंकड़े देखेंगे तो स्वयं पायेंगे कि इन अस्पतालों में जो स्टाफ पर खर्च होता है, दवाओं के खर्चे से कहीं अधिक होता है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जब भी कोई नया सेन्टर खोला जाय, वहां पर जितना स्टाफ पर खर्च आये उससे अधिक मूल्य की वहां पर दवायें होनी चाहिए ।

(इस समय 4 बजकर 8 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

जहां तक दवाओं के सैम्पिल की बात कही गयी, मंत्री जी ने बताया कि वे ऐसा करने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट परपज के लिये दवायें अलग हों, और जो प्राइवेट प्रयोग के लिये हों वे अलग हों । यदि ऐसा हो गया तो जो विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, वह अवश्य ही कम हो जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त मुझे एक और बात कहनी है कि आपके डाक्टर देहातों में जाना पसन्द नहीं करते हैं जबकि देहातों में ही ज्यादा मरीज होत हैं, जिसका कारण वहां की गरीबी है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वे कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि डाक्टर्स 5 वर्ष का कोर्स पूरा करके वहां जांय उनको 200 या 250 रुपया प्रतिमास एलाउन्स के रूप में दिया जाय या जितने हमारे प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स हैं उनसे 8 किलोमीटर के अन्दर अगर वे देहात में जाकर प्रैक्टिस करते हैं तो उनको 5 वर्ष के लिये 200 या 250 रुपया एलाउन्स दिया जाय । जब ऐसा एल्योरमेंट होगा तो जो डाक्टर देहातों में जाना पसन्द नहीं करते हैं, उनके दिमाग में एक बात आयेगी और वे इस से देहात में जाना पसन्द करेंगे ।

इस संदर्भ में एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर प्रायः यह देखा जाता है कि जो डाक्टर्स हैं उन्हें किन्हीं किन्हीं अस्पतालों में 6-7 और कहीं-कहीं पर 8-8 वर्ष भी हो जाते हैं । यह बहुत अच्छी बात नहीं है । मेरा सुझाव है कि कितना ही अच्छा डाक्टर क्यों न हो, उसके बारे में वहां की जनता कितनी भी मांग करती हो, 3 वर्ष से अधिक उसे उस स्थान पर न रखें । अब मैं अपने यहां की बात निवेदन करना चाहता हूं । हमारे यहां पर 2 डाक्टर्स हैं, उनके ट्रान्सफर हुए, फिर कैन्सिल हुए, भगवान जाने क्या-क्या हुआ । इससे हम सब परेशानी में पड़ जाते हैं क्योंकि हमें ही उनके पास जाना पड़ता है, उनकी सेवा लेनी पड़ती है। मेरी प्रार्थना है कि जब एक बार आदेश हो जाय, उनको बाद में बदला न जाय और पहले ही जो ट्रान्सफर किए जांय वे समझ-बूझ कर किए जायं क्योंकि इससे हम लोगों के ऊपर प्रेशर्स पड़ने लगते हैं । जहां के भी किसी के ट्रांसफर हों, वह वहीं जाय । इस सचिवालय में ही सैकड़ों डाक्टर्स चक्कर लगाते फिरते हैं, उनकी इच्छा यह होती है कि वे जहां पर हैं, उनको वहीं पर रहने दिया जाय । मुझे आशा है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी स्थानान्तरण के मामले में खास ध्यान देंगे। ड्रग्स ऐक्ट और फूड अडल्टरेशन के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । मैं चाहूंगा कि जो नियम या कानून बना है इसमें सख्ती की जाय और अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आजीवन कारावास दंडित व्यक्ति को दिया जाय तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिन्दगी से अधिक और क्या बात हो सकती है । यह जो मेडिकल कालेज, कानपुर का कांड हुआ है, बड़ा घृणित हुआ और इस कांड के बाद सबके दिमाग में बड़ी घबराहट हो गयी है । लोग दवाई खरीदने में, लेने में घबराते हैं । आज ऐलोपैथिक की तरफ से जनता का विश्वास गिरता चला जा रहा है । तो मैं चाहूंगा कि इसके लिये सरकार सख्त कानून बनावे और आजीवन कारावास से कम सजा न दी जाय, इसमें कोई रियायत न बरती जाय ।

इसी तरीके के फर्स्ट-एड के लिए इंटरमीडिएट और डिग्री कालेजों में ऐसा प्राविधान किया जाय कि वहां पर फर्स्ट-एड की ट्रेनिंग हो सके और जो आये दिन देहातों में घटनायें हुआ करती हैं तो वहां ऐसे लोग ट्रेंड हो जायं कि जो ऐसी घटनाओं थोड़ी बहुत घटित हुआ करती है उनमें सहायता दे सकें ।

ये जो पोस्टमार्टम हुआ करते हैं उनके विषय में बड़ी शिकायत हुआ करती है । मैं चाहूंगा कि ज्योंही डेड बाडी आवे अस्पताल में उसके बाद एक या दो घंटे से ज्यादा वहां नहीं रहनी चाहिए। तुरन्त उसका पोस्टमार्टम हो और उसकी रिपोर्ट तुरन्त डिस्ट्रिक्ट जज या एस० पी० के यहां पहुंच जाय । डिले न हो, क्योंकि डिले ही करप्शन का कारण होती है । प्रायः देखा जाता है कि लाश 6-6, 7-7 घंटे पड़ी रहती है और डाक्टर बातचीत किया करते हैं और होता यह है कि रिपोर्ट में लिखा है कि बन्दूक और भाले की चोट से मरा और वहां लाठी और कांते की चोट दिखाई जाती है और इस कारण से केसेज छूट जाया करते हैं । इन चीजों से हत्याएं बढ़ती हैं क्योंकि मुजरिम छूट जाता है तो उसका हौसला बढ़ता है । तो दो एक घंटे के अन्दर ही डेड बाडी पहुंचने के रिपोर्ट चली जानी चाहिये । मैं फौजदारी का वकील हूं । मुझे अनुभव है कि

[श्री प्रेम दत्त]

प्राय: ऐसी घटनाएं हुआ करती हैं, मुझे विश्वास है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री इधर जरूर ध्यान देंगे। लाल बत्ती हो चुकी है। मैं और कहना चाहता था, लेकिन इन सुझावों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मझे बोलने का मौका दिया। आज सदन म यह बजट प्रस्तुत है जिस पर सूबे की 9 करोड़ जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। बजट खर्चीला बना, ज्यादा खर्चा हुआ, उसे कम किया जाय और इस 9 करोड़ जनता का स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सके, उसके लिये और अपनी परम्पराओं को जाग्रत करने के लिये मै आवश्यक समझता हूं कि हमें आयुर्वेदिक की तरफ जाना चाहिये इसकी आवश्यकता है। आयुर्वेदिक के द्वारा हमको यह देखना है कि कैसे हम जनता का स्वास्थ्य ठीक रख सकें उसके लिये क्या कदम उठाने हैं। मिलावट की जितने चीजें हैं उसका इन्तजाम सरकार सोचे। मिलावट कहां तक पहुंच गयी है, वह कानपुर के कांड से सर्वविदित है दवाइयों में मिलावट हमें मौत के और नजदीक पहुंचा रही है। लेकिन आयुर्वेदिक के संबन्ध में आपका बर्ताव कितना गलत है वह कभी आपने सोचा ही नहीं। आयुर्वेदिक देर से काम करता है और एलोपैथिक और होम्योपैथिक में यह है कि इंजेक्शन लगाया और फौरी इलाज हुआ चाहे शरीर पर उसका प्रभाव कैसा ही क्यों न पड़े। हमारे असेम्बली के सदस्यों के लिये एक आयुर्वेदिक अस्पताल यहां है जिसका मासिक खर्चा इस प्रकार है। वैद्य जी को 500 रुपये, कम्पाउन्डर को 300 रुपये, वार्ड ब्वाय को 229 रुपये और स्वीपर को 229 रुपये यानी कुल मिलाकर 1289 रुपये मिलता है और इस तरह से 12 मास का वेतन 15,468 रुपये हैं। यह तो हुआ वेतन और दवाओं पर कुल ढाई हजार रुपये। हमारे कुछ साथियों को मर्ज भी बहुत से हैं, शुगर की बीमारी है, दवा चलती है 15 दिन और उसके बाद बन्द हो जाती है तो फिर वह 15 दिन की दवा भी बेकार, वैद्य जी भी नाकरा और आयुर्वेद भी नाकारा। हमारे वहां मायचा ग्राम में एक अस्पताल है मैने वहां जाकर देखा। मुझे बताया गया है कि 73–74 के लिये अस्पताल में केवल 6 सौ रुपये की दवाये हैं। वेतन पर तो 11 हजार रुपये खर्च होंगे तीन व्यक्तियों पर लेकिन दवाओं पर 6 सौ रुपये, कितना खूबसूरत इन्तजाम आपका है। इस पर चिन्तन और मनन करने की आवश्यकता है। मंत्री, मंत्री रहा, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री रहा, सरकार बनती रहीं, हाथ उठते रहे, काम होता रहा और पांच साल पूरे किये चले गये। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि आप दो लाख के प्रतिनिधि है और 9 करोड़ के इंतजाम के लिये यहां इस सदन में बैठे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि पंचवक्ता नमाजी अगर आप हैं तो दो वक्त नमाज पढ़िये, एक वक्त संध्या तो करिये लेकिन काम कुछ नहीं है।

आपका ध्यान परिवार नियोजन की तरफ ले जाना चाहता हूं। इस सूबे को मैं भारतवर्ष का सबसे अधिक धार्मिक सूबा मानता हूं यहां इस सूबे में गर्भ गिराना पाप था। समाज की दृष्टि से भी और कानून की दृष्टि से भी लेकिन आज कानून के मत में भी और कानून द्वारा समाज की दृष्टि में भी गर्भ गिराना पुण्य हो गया है। परिणाम यह है कि वर्षा नहीं हो रही है। अब सावन में भी काफी दिन चले गये, वर्षा नहीं हुई और पिछले दो वर्ष में भी वर्षा नहीं हुई और आज अनाज की गति क्या है, इलाज की गति क्या है और आप क्या कर रहे हैं? आप गम्भीरता से चिन्तन और मनन करें कि कितने पाप आप कर रहे हैं। वोट देने वालों ने वोट देकर आपको भेजा था लेकिन आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको नींद आती है, फिक्र होती है या नहीं। आपको सोचना चाहिये कि अस्पतालों में जो गरीब आदमी जाता है उसको दवायें मिल रही है या नहीं। आप स्वयं जाकर देख लीजिये, क्या आप वह कर रहे हैं जो आपको करना है? यदि नहीं कर रहे हैं तो चिन्तन कीजिये और मनन कीजिये। उसके बाद अपने कर्त्तव्यों का पालन कीजिये और अगर नहीं कर सकते तो माननीय लालबहादुर शास्त्री जी न रेल की

जरा सी दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे कर चले गये। लेकिन आप भी इस्तीफा दे दीजियेगा। आप तो कुर्सी से चिपके बैठे हो इसलिये चिपटे बैठे हो क्योंकि कोई चुने थोड़े गये बल्कि चुनवाये गये हो? क्या कह सकते हो कि 13 हजार से चुन कर आये जिस के लिये लिखकर देते हो। मेरी मुलाकात आज सबेरे एक कृषि विभाग के आफिसर से हुई, उसका नाम नहीं बताऊंगा लेकिन उसने बताया कि तुमने तो हमारे मिनिस्टर को हराया है, मैं तुम्हारे खिलाफ फलां-फलां गांव में गया था। तो अफसर आज अपने मिनिस्टर के लिये इलेक्शन में भागता फिरता है। आप चिन्तन करें और मनन करें कि कितने राज आये और चले गये। राम भी यही दशरथ से कहते कि पिता जी, आने दीजिये भरत जी को हम चले जायंगे। लेकिन अगर उसने यह किया होता तो आज उसकी पूजा नहीं होती। कितने राज आये और चले गये, कितने मुख्य मंत्री आये चले गये, तीन-तीन बार मुख्य मंत्री बने और चले, हमारे चौधरी साहब ही तीन बार मुख्य मंत्री बने, इसी तरह से कितने बने और चले गये कोई उनका नाम नहीं लेता और मंत्री तो इतने बन चुके हैं कि किसी के गले में यहां पर हाथ डालिये तो वह मिनिस्टर के गले में पड़ता है।

मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं जो प्रजातांत्रिक मंत्री की शकल में आज बैठे हैं कि आप कम से कम हर पंचायत क्षेत्र पर एक आयुर्वेदिक औषधालय खोल दीजिये। जहां इंटर कालेज और हाई स्कूल हैं जिनमें कितने ही बच्चे पढ़ते हैं वहां तो आयुर्वेदिक औषधालय की व्यवस्था कर दीजिये। मेरे इलाके में एक दोआबा है, पांच मील चौड़ा है 60 गांव हैं। उसमें कहीं कोई इलाज का इन्तजाम नहीं। सिकन्दराबाद एक नगर है। वहां एक अस्पताल बन रहा है। न जाने कब बन कर तैयार होगा। हम भी चले जायेंगे उसके बाद भी बन कर तैयार होगा या नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे उस दोआबे में ग्राम कौडली, संगरोली, छपरौली, सराय सदरपुर, गर्रा, चौखड़ी तथा सूरजपुर कासना व देवराम अस्पताल की व्यवस्था जरूर कर दीजिये। मैं तो आयुर्वेदिक औषधालय की मांग कर रहा हूं। लेकिन जो आयुर्वेदिक औषधालय खुले हुये भी हैं उनमें दवायें नहीं हैं। एम० एल० एज० की डिस्पेंसरी दारुलशफा में दवायें नहीं हैं। आशा करता हूं कि आप सोचेंगे, समझेंगे और अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे। 8 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं इस बात को सोच कर आप उनके इलाज की व्यवस्था करेंगे। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष--

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल....

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

यह अन्याय हमारे साथ न कीजिये। पांट मिनट का टाइम हमें भी दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

अब टाइम कहां है? इस वक्त 4 बज कर 22 मिनट हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

जितना कांग्रेस रूलिंग को मिले उसका चौथाई हमारा हक है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

बी० के० डी० के दो बोले। जनसंघ के डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल ने रखा। उन को निकाल कर और श्री राम चन्द्र बख्श सिंह कम्युनिस्ट पार्टी के एक बोले और बाबा रामनाथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, शिवनाथ सिंह कुशवाहा सोशलिस्ट पार्टी के . . .

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

संख्या के अनुसार सब से कम बी० के० डी० के बोले।

श्री अध्यक्ष---

शासक दल से 6 बोले हैं, आपके दल से दो और जनसंघ के कटौती का प्रस्ताव मूव करने वाले माननीय सदस्य के अतिरिक्त एक तथा अन्य दलों से एक-एक ही बोले हैं।

श्री राज मंगल पांडेय---

मैं तो केवल 8-10 मिनट लूंगा। बाकी दूसरे लोगों को समय दे दें।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल---

मैं 15 मिनट लूंगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। मान्यवर, यह वह देश है जिसने तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय खोले और एक से एक विद्वान लोगों को पैदा किया, एक से एक पंडित, एक से एक महाविद्वान और बुद्धजीवी लोगों को जन्म दिया। हमारे देश की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसको आज सारा विश्व मानता है। विश्व के सभी विद्वानों ने हमारी चिकित्सा पद्धति की प्रशंसा की है। इतनी प्रशंसा अन्य किसी पद्धति की संसार में नहीं की गयी है। आजादी के 27 वर्ष बीत जाने के बाद भी गांवों में आज चिकित्सा का प्रबन्ध यह सरकार नहीं कर पायी है। गांव में 86 प्रतिशत जनता रहती है और वहां 14 प्रतिशत लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। इसके विपरीत शहरों में 14 प्रतिशत जनता रहती है, जब कि उसे 86 प्रतिशत चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं। यह जघन्य पाप हो रहा है। मान्यवर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रधान ने एक महीना पूर्व एक बात कही थी। दुनिया में जो बड़े-बड़े चमत्कार हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ा चत्मत्कार चीन ने किया है जिसने अपने यहां के 80 करोड़ लोगों की चिकित्सा समस्या अपने यहां की ही चिकित्सा पद्धति से हल की है, एलोपैथिक के बल पर नहीं। हमारे देश की आज स्थिति यह है कि हमने करोड़ों रुपया खर्च किया एलोपैथी पर, लेकिन फिर भी दवायें बाहर से मंगाना पड़ती हैं, जो मेधावी डाक्टर्स हमने पैदा किये, वे अधिकांश विदेशों में चले गये। 17 हजार मेधावी लोग विदेशों में चले गये जिनमें 13 हजार के करीब डाक्टर्स ही हैं। यह बाहर क्यों चले गये? इसलिये चले गये कि हमारे देश में प्रतिभावान लोगों की कोई इज्जत नहीं है।

एक्रोमाइसीन दवा का किसने ईजाद किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको ईजाद करने वाला एक मद्रासी सुब्बाराव था जो मद्रास में एक होटल में तश्तरी साफ करने का काम करता था। वह बाद को लेबोरेटरी का सुपरिन्टेन्डेन्ट बना दिया गया। एक्रोमाइसीन का आविष्कार इसी ने किया। मान्यवर, मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में एक से एक सस्ती और गुणकारी दवाइयां भरी पड़ी हैं।

मान्यवर, मैं आंवले की बात कहता हूं। आंवला ऐसी चीज है जो आज च्यवनप्राश है और जिसकी आज सारे देश में सबसे ज्यादा खपत होती है आंवले का उसमें प्रयोग किया जाता है। आंवल को गर्म करने पर भी इसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता है।

आज अच्छी दवाइयां हम गरीबों को मिलती ही कहां हैं। अच्छी दवाइयां तो मंत्री, एम०पी० आदि को मिलती है मैकरोबिन, मेटीनेक्स, नेरोवीयान, विटामिन बी काम्पलेक्स आज उनको मिलता है और हम गरीबों को मिलता क्या है ए० पी० सी०, सल्फाडाइजीन, सोडामिन, यह दवाइयां आज हम लोगों को मिलती हैं। आपकी स्वास्थ्य सेवायें आज गरीबों के लिये यह कर रही हैं। आज करोड़ों रुपये की दवाइयां आप मंगा रहे हैं पर आपने कभी हमारी इन आयुर्वेदिक औषधियों की ओर ध्यान नहीं दिया है। सौंफ, अजबाइन और इसबगोल की भूसी जो आज विदेशों को निर्यात हो रही है। शंखपुष्पी सर्पगंधा जो आज विदेशों को निर्यात हो रही है। मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि खुरासानी अजवाइन है यह स्नायविक चीजों को बल देती है।

गुग्गुल जिसको आज संसार भर में प्रयोग किया जा रहा है। रसियन सिंह नाद गूगल आदि औषधियां मशहूर हैं।

मान्यवर, रूस के वैज्ञानिकों ने लहसुन के बारे में कहा है कि उसमें आयोडीन होती है। इसको बहुत पुराने समय से आयुर्वेद में हम प्रयोग करते रहे हैं। मान्यवर जर्मन वैज्ञानिकों ने कहा है :—

इन दि हीरोइक डेज आफ द वेडाज, ब्राइटर्स दि फिजीशन
आफ दि बाडी वाज आलसो फिजीशियन आफ द माइंड।

'ऋग्वेद के शौर्य वीर्य उक्त भास्कर काल में काया चिकित्सक मन का भी चिकित्सक होता था।'

इस तरह से उन्होंने हमारी प्राचीन व्यवस्था की तारीफ की है। श्रीमन्, चरक सुश्रुत, वाणभट्ट आदि महान् चिकित्सक हमारे देश में हुये हैं। मान्यवर, यह लोग दवाइयां पूछ रहे हैं इसलिये इनको बता रहा हूं।

मान्यवर, यह जो लू लग जाती है, जो गर्मी में लू लग जाती है इसका सबसे कड़ा इलाज कच्चे आम का पानी है। यह लू की सबसे बड़ी औषधि है।

आज सरकार इस बजट को रखने जा रही है।

(शोर हंसी)

आज एलोपैथिक औषधालयों की संख्या 2,610 और होम्योपैथिक औषधालयों की संख्या 116 तथा आयुर्वेदिक के 1,361 औषधालय हैं। इन कर्णधारों ने एलोपैथिक औषधियों के लिये विधायकों के लिए बी ब्लाक में जो एलोपैथिक व आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है उनमें 80-90 हजार रुपये रखे हैं और आयुर्वेदिक दवाओं के लिये 2 हजार का प्राविधान है। इस पैसे से नीम का चूर्ण और त्रिफला यहां रखेंगे और कोई इतने से क्या कर लेगा।

आप लोग क्यों हंस रहे हैं, आप पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि गूलर का आज प्रयोग सारे संसार में हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आपने 5 मिनट के लिये कहा था और अब 10 मिनट हो गये हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

आज क्षय रोग के बारे में कहा जाता है। कानपुर में आज यह रोग काफी फैला हुआ है। मैं तो कहता हूं कि सस्ता सुझाव दे रहा हूं। आप सेनीटोरियम बनाने की बातें कहते हैं। मैं तलसी की बात कहता हूं यह बड़ी ही प्राचीन औषधि है। तुलसी पर आज रिसर्च की जा रही है। वातावरण को शुद्ध करने की यह बड़ी प्राचीन औषधि है। ऐसी प्रसिद्ध दवाइयां मान्यवर, हमारे आयुर्वेद की हैं। मान्यवर, एलोपैथिक औषधियों से बड़ा खतरा पैदा हो गया है जैसे एलर्जिक का खतरा है। परन्तु हमारे आयुर्वेद की औषधियों से कोई खतरा नहीं है। इसमें डेट इक्सापयर होने का भी कोई खतरा नहीं है। आयुर्वेद की औषधियां 5 हजार वर्ष तक टिक सकती हैं। परन्तु यदि एलोपैथिक औषधियां डेट इक्सपायर कर गईं तो वे खराब हो जाती हैं। एलोपैथिक औषधियां कुछ समय के बाद खराब हो जाती है। हमारे यहां एक अस्पताल में लगभग 2 हजार रुपये की औषधियां डेट इक्सपायर कर गई। मंत्री जी ने क्या कार्यवाही उनके खिलाफ की? इसी प्रकार कनेर का एक पौधा होता है जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाय तो घातक नहीं था। उस पौधे में इतनी शक्ति होती है कि वह घोड़े को मार सकता है। परन्तु इन्होंने आयुर्वेद पर कोई ध्यान नहीं दिया है और इसको समूल नष्ट कर दिया है। मान्यवर मैं इन शब्दों के साथ इस सरकार ने जो आयुर्वेद को सर्वनाश नष्ट किया है, और जो आजकल जनता का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है उसके लिये आयुर्वेद में कुछ नहीं किया है। इसलिये इस बजट अनुदान की भर्त्सना करते हुये मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि मेरी प्रार्थना आपने सुन ली। मैं मान्यवर, सदस्य के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं तो मैं कहूंगा कि हमारी सरकार उतनी आलोचना की पात्र नहीं है जितना कि उसे बनाया जा रहा है। चिकित्सा जगत में मैं भी एक डाक्टर हूं। परन्तु आपने चिकित्सा के बीच में जो खांई डाली है उसके लिये मेरे भी दिल में कसक होती है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक इन तीनों की पद्धतियां अपनी-अपनी जगह सब ठीक होती हैं। मैंने एलोपैथ और आयुर्वेद का अनुभव किया है। यदि इन दोनों को मिक्स रूप से चलाया जाय तो अच्छा है। होम्योपैथिक और एलोपैथिक का भी रेजल्ट अच्छा निकला है। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हैं यदि उनमें आयर्वेद और होम्योपैथिक के डाक्टर भी लगाये जायं तो जनता को अधिक लाभ होगा।

अब मैं मान्यवर, परिवार नियोजन के विषय में कहूंगा। हम विधायकों को कोई काम नहीं सौंपा गया है। परिवार नियोजन की जितनी गाड़ियां चलती रहती हैं उनके अधिकारी जो हैं वह यह नहीं जानते हैं कि कहां मिडवाइफ सेन्टर खोलने चाहिये कहां अस्पताल और कहां नहीं। इसलिये हम विधायक लोगों को 15 दिन में एक बार उनकी गाड़ी में विधायक के डिस्पोजल पर रहे तो अच्छा होगा। दूसरी बात मान्यवर, 43 से 60 वर्ष के बीच के जो आदमी हैं उनको बधिया किया गया है जिसका कि कोई उपयोग नहीं है। हम लोगों के यहां क्या गीता तथा रामायण में लिखा है कि बधिया किया जाय और मुसलमान भाइयों की कुरान में यह नहीं लिखा हुआ है। अतः सभी को समान रूप से देखा जाय। जितनी पाबन्दी आप हम पर लगाते हैं उतनी उन पर भी लगानी चाहिये। अगर इस विभाग को मौज-मस्ती का विभाग कहा जाय तो मैं समझता हूं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। झांसी मेडिकल कालेज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह कालेज खुला लेकिन जितने पेशेंट वहां जाते हैं वह असंतुष्ट होकर लौटते हैं। वह कालेज केवल फैशन परेड का स्थान हो गया है। लेडी डाक्टर इसी में व्यस्त रहती हैं कि धोती अगर नीले रंग की है तो चूड़ियां मैच करती हैं या नहीं, बिन्दी मैच करती है या नहीं।

जो डाक्टर हैं उनमें हमदर्दी नहीं। अगर डाक्टर में मरीज के लिये हमदर्दी हो तो मरीज को उस पर भरोसा होता है। यहां डाक्टर अरोरा हैं। उनके पास चाहे कोई विधायक जाये या साधारण आदमी वह सभी के साथ हमदर्दी रखते हैं और यही वजह है कि जो मरीज उनके पास जाता है वह समझता है कि अगर डाक्टर साहब ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। आयुर्वेद में हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि हम मरीजों की तरफ ध्यान दें। इसलिये आज जो भेदभाव है आयुर्वेदिक डाक्टरों में और एलोपैथिक डाक्टरों में वह नहीं होना चाहिये। हम भी उतनी ही मेहनत करके जाते हैं और क्वालिफिकेशन लेकर जाते हैं। हमको 500 रुपया मिलता है और उनको एक हजार रुपया मिलता है तो यह खाई बहुत ज्यादा है। यह सहन होने लायक नहीं है जबकि समान कार्य के लिये समान वेतन होना चाहिये। दूसरी बात यह कि आजकल डाक्टरों के ट्रान्सफर्स चल रहे हैं। आप छतर मंजिल में जायं तो वहां देखेंगे डाक्टरों की भीड़ लगी है। सचिव के यहां डाक्टरों की भीड़ पायेंगे और मंत्री जी के यहां उनकी भीड़ मिलेगी। सब जगह ट्रांसफर की भीड़ मिलेगी। मैं तो कहता हूं कि जब एक क्लर्क को अधिकार है, डायरेक्टर को अधिकार है तो हम विधायक इतने गये बीते नहीं हैं कि हम अपने क्षेत्र में डाक्टरों के ट्रांसफर का अधिकार न रखें। 425 एम० एल० एज० हैं। हमको भी अधिकार हो कि दो चार ट्रांसफर हम भी कर सकें अपनी कलम से। इससे मंत्री जी का भी भार हल्का होगा।

श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये हैं मैं उनका कृतज्ञ हूं। एक राजनीति से परे विभाग का विषय होने के नाते मैंने यह अनभव किया कि इस पक्ष के या उस पक्ष के जो भी माननीय सदस्य बोले उन्होंने भले ही औपचारिकता के नाते कहा कि मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं लेकिन उन्होंने भी ये शब्द कहने के बाद यह समझा कि जो स्वास्थ्य का बजट रखा गया है वह असंतुलित है और उधर के ही एक माननीय सदस्य के शब्दों में यह लापसाइडेड बजट है। उन्हीं माननीय सदस्य ने कहा कि मुझे बजाय कटौती के प्रस्ताव के बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखना चाहिए था। जहां तक मैं समझता हूं संसदीय प्रणाली में बजट पर आलोचना अथवा सुझाव देने के लिये बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव रखने का प्राविधान नहीं है। कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से आलोचनायें की जाती हैं और अगर किसी विभाग विशेष का बजट कम है तो यह भी विपक्ष का कर्त्तव्य है कि उस ओर सरकार को इंगित करे। जहां और विषयों में माननीय सदस्यों की सहमति थी वहां एक विषय में कि कुछ वर्षों तक मेडिकल कालेज न खोले जायं कुछ की असहमति थी और उनका कहना था कि मेडिकल कालेज खोले जाने चाहिये। मैं बड़ी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सकों में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। बगल के प्रदेश राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में जाकर देखें अथवा जो आंकड़े आ रहे हैं उनका अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि यह बेरोजगारी इस पेशे में भी बढ़ती जा रही है। दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो मेडिकल कालेजेज हैं, उनमें शिक्षण और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था नहीं है। वह पूरी तरह से सुसज्जित नहीं हैं। उनके सभी विभागों में योग्य शिक्षक नहीं हैं। अच्छे-अच्छे उपकरण नहीं हैं। असुसज्जित मेडिकल कालेजेज के अन्दर से शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी निकलेंगे, स्पष्ट है कि वह योग्य नहीं होंगे। आखिर समाज के रहने वाले मनुष्यों की जिन्दगी का उत्तरदायित्व जिनके हाथों में दिया जाना है, उन चिकित्सकों का कुशल होना बहुत जरूरी है। अगर मेडिकल कालेजेज के विद्यार्थी

[श्री जितेन्द्रकुमार अग्रवाल]

अपरिपक्व होंगे, तो लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है । इसलिये मैंने कहा था कि मेडिकल कालेज अभी और खोलने की आवश्यकता नहीं है । इसका असेसमेंट 5/7 सालों के बाद करके इस पर फिर विचार किया जाना चाहिये ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस समय उतना अच्छा काम नहीं हुआ है, जितना कि अपेक्षित था । आज हम देखते हैं कि गांवों के अन्दर शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है । अगर कुएं का पानी गंदा हो जाता है, तो पोटेशियम-पर-मैगनेट और ब्लीचिंग पाउडर पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य विभाग के अन्दर उपलब्ध नहीं है । टीके जो लगाये जाते हैं, वह नियमित रूप से लगाये जाने चाहिये । चेचक का टीका नियमित रूप से नहीं लगाया जाता । कभी किसी का ध्यान उधर चला गया या कोई अभियान चलाना हुआ तो यह टीका लगाया जाता है ।

एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर स्कूल्स हेल्थ सर्विस का अभाव है । हो सकता है कि 10/12 बड़े शहरों में इसकी व्यवस्था हो । बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं रखा जायेगा तो वे अस्वस्थ निकलेंगे । हेल्थ एजूकेशन उनको मिलनी ही चाहिये । मान्यवर, पौष्टिक आहार की योजना केवल रायबरेली जिले को छोड़कर अन्य किसी जिले में यह योजना नहीं है । वह इस प्रदेश के अन्य जिलों में भी चालू की जानी चाहिये ।

मान्यवर, मंत्री जी के डिस्क्रीशनरी ग्रांट से क्षय रोग के लिये एक अनुदान दिया जाता है । उसमें अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश है तो वह ग्रांट मंजूर हो जाती है अन्यथा अगर नार्मल चैनल सी दरख्वास्त दी जाती है, तो उसको तहसीलदार या सी० एम०ओ० के पास रिपोर्ट के लिये भेज दिया जाता है । प्रायः ऐसा होता है कि ऐसी हालत में अनुदान के मिलते-मिलते उस व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है । इसमें मेरा सुझाव है कि सी०एम० ओ० का सार्टीफिकेट ही उसके लिये पर्याप्त होना चाहिये और उसी आधार पर अनुदान दी जानी चाहिए ।

मान्यवर, (मेडिको-लीगल) के बारे में चर्चा आई । इस समय जो (मेडिको लीगल) का वर्क हो रहा है, वह संतोषजनक नहीं है। जो डाक्टर्स हमारे अस्पतालों में मेडिको लीगल का काम करते हैं, वह प्रायः फीजिशियन्स या सर्जन होते हैं, जिनको अपने काम के बारे में जरूर काफी ज्ञान होता है लेकिन मेडिको लीगल के काम में वह उतने माहिर नहीं होते । मेडिको लीगल का काम बहुत ही महत्व का है । इसके लिये जिला स्तर पर पुलिस सर्जन हो तो ज्यादा अच्छा काम हो सकता है और इससे सहायता मिलेगी और जो बहुत सी शिकायतें आती हैं, वे भी काफी हद तक दूर हो सकेंगी ।

परिवार नियोजन के बारे में भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं । परिवार नियोजन के अन्दर जो स्टरलाइजेशन आदि का काम चल रहा है, उसकी सफलता संदिग्ध है । लोगों का उसकी ओर रुझान नहीं होता । इसके जो आंकड़े दिये जाते हैं, वे भी फर्जी होते हैं । रेवेन्यू विभाग का कर्मचारी इस काम को करता है । एक टार्गेट फिक्स होता है । जो 50–60 रुपये दिये जाते हैं विभाग की ओर से, उससे भी ज्यादा पैसा अपने पास से खर्च करके यह कर्मचारी लोगों को लाता है जिनकी उम्र प्रायः 50–55 की होती है और जिन्हें 40 वर्ष इंदराज किया जाता है । मेरा सुझाव है जो वी०आई० पी० है और जिनको उद्घाटन करने का शौक है, वे या तो अपना खुद स्टरलाइजेशन इन केन्द्रों पर करायें और तब उद्घाटन करें, तो इससे जनता के अन्दर विश्वास बढ़ेगा कि यह कोई अच्छी चीज है । लेकिन जहां जनता यह समझती है कि यह काम तो शायद साधारण व्यक्तियों के लिये है और बड़े-बड़े आदमियों का इससे कोई मतलब नहीं है और उनका विश्वास इसमें जागृत नहीं हो रहा है ।

एक काम हो सकता है और वह यह कि ओरल या मेकेनिकल कांट्रेसेप्टिव्स हों तो शायद जनता स्वीकार कर ले । इसके लिये व्यापक व्यवस्था होनी चाहिये । मैं अधिक न कह कर यह अनुरोध करूंगा कि सदन मेरी इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ।

*श्री राज मंगल पांडे--

मान्यवर, सब बातों का जवाब मैं दूंगा । हमारे देवरिया जिले से चुन कर आये हुए कौशिक जी ने आयुर्वेद को बहुत महत्व दिया और उसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आयुर्वेद प्रणाली में विश्वास करने वाले व्यक्ति को भी मामूली स्वास्थ्य लाभ के लिये बलरामपुर अस्पताल ही जाना पड़ता है । आप आंकड़े देखेंगे तो यह पायेंगे कि जहां 1974-75 में 30 एलोपैथिक अस्पतालों का हमने चुनाव किया है वहां पर आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पतालों की संख्या 51 और होम्योपैथिक अस्पतालों की संख्या 36 हमने प्रस्तावित की है । यह इस बात की द्योतक है कि यह सरकार आयुर्वेदिक तथा यूनानी या होम्योपैथी चिकित्सालयों के प्रति उदासीन नहीं है ।

कुछ बजट के बारे में कहा गया । मैंने तो पहले ही यह निवेदन किया था कि वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए आज जो परिस्थिति है उसके अन्तर्गत सरकार के चाहने के बावजूद जितने धन की आवश्यकता थी और जितना आज सरकार प्रति रोगी पर दे रही है वह इतना नाकाफी है जिसके लिये कुछ कर सकने में दुनिया में अपनी सरकार असमर्थ है । अपनी प्रणाली में जहां काफी सुधार किया गया है और एक-एक रोगी पर काफी धन व्यय किया जा रहा है । वहां उन्होंने फैमिली प्लानिंग में भी काफी प्रगति की । दुनिया के 5-6 देश ऐसे हैं जहां 30 वर्ष में आबादी बिलकुल बढ़ी ही नहीं और 20, 30 देश ऐसे हैं जहां 10 फीसदी बढ़ी है लेकिन हमारा देश ऐसा है कि सन् 1947 के बाद जहां 27 वर्ष के अन्दर 30 करोड़ की आबादी बढ़ गई यानी एक करोड़ आबादी प्रति वर्ष बढ़ रही है और जब उसकी रोकथाम के लिये कोशिश की जाती है तो दूसरी तरफ से बजाय सहयोग मिलने के इस बात की चर्चा होती है विशेषकर एक आध पार्टी ऐसी हैं जिनका कोई विश्वास इसमें नहीं है उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि फैमली प्लानिंग से केवल हिन्दू अफेक्टेड होते हैं, मुसलमान नहीं होते और ऐसी हालत में वह कोई और नारा देती है जो राजनीतिक हो जाता है, जिस नारे से हिन्दुस्तान का कल्याण होने वाला नहीं है । जब इस देश व प्रदेश में ऐसे दल हैं जिनका फैमली प्लानिंग में विश्वास नहीं है और जो हिन्दू व मुसलमान की आबादी के रूप में सारी समस्या को देखते हैं उस के उपरान्त यह कहना कि हर रोगी के पीछे हम इतना धन नहीं दे पाते जितना देना चाहिये तो यह बात अतिरंजित मालूम होती है । हम चाहते हैं कि हम धन की व्यवस्था करें लेकिन चाहे कितने भी धन की व्यवस्था कर दें लेकिन जिस तेजी से आबादी बढ़ती जा रही है कोई समय ऐसा आयेगा कि वह रकम इतनी कम हो जायगी कि रोगी के लिये दवा की जो आवश्यकता होगी वह पूरी नहीं हो सकेगी ।

इसके अलावा यह बात मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि मेडिकल कालेज में अभी हाल में बिजली फेल हो जाने से एक बच्चे की मृत्यु हो गयी थी सरकार ने उसे दृष्टि में रख कर इस बात के आदेश दे दिये हैं कि हर मेडिकल कालेज में ऐसी व्यवस्था अलग से की जाय ताकि ऐसी नौबत न आये कि बिजली के फेल होने से कोई एक्सिडेंट हो जाय और अस्पताल में किसी बच्चे की मृत्यु हो जाय।

मान्यवर, सीतापुर अस्पताल के बारे में बात कही गई ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने नसबन्दी करवा ली है ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मुझे तो आवश्यकता नहीं है, कौशिक जी को है । मान्यवर, सीतापुर अस्पताल के बारे में यह बात सही कही गई जब तक वहां पर डाक्टर मेहरा थे तब तक वहां का काम बहुत ही खूबसूरती के साथ चला । उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम ही है । लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो भी खबर उस अस्पताल की मिल रही है वह अब चिन्ता का कारण बन गई है । अब सरकार के सामने यह प्रश्न है कि कैसे उसकी व्यवस्था की जाय । कुछ लोगों का कहना है कि उसे सरकार अपने हाथ में ले ले । जहां तक उस अस्पताल को अनुदान की धनराशि दिये जाने से संबंध है वह तो हो सकता है कि हम बजट में उसके लिये कुछ अधिक प्राविधान करें लेकिन फिलहाल सारे को अपने हाथ में लेना कुछ मुश्किल सा है ।

डाक्टरों के ट्रांसफर के बारे में कहा गया । हमने मई के महीने में यह आदेश दिये हैं कि जिन डाक्टरों को किसी एक जिले में 5 साल से अधिक हो गये हैं उनका तबादला कर दिया जाय । मेरा ख्याल है कि 80 प्रतिशत डाक्टरों के लिये आदेश हो भी चुके हैं । कोई केसेज ऐसे हैं कि कहीं पर किसी डाक्टर की नितांत आवश्यकता हो, कोई एक्सपर्ट या टेक्निशियन हो, वहां पर उसका रहना जरूरी हो, उसके हटने से जनता में परेशानी हो, या कोई अपने हुनर में काफी तेज हो, प्रतिभाशाली हो, उसके वहां से हट जाने से असंगति हो तो ऐसे डाक्टरों को अपनी जगह पर ही रहने दिया गया है। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया कि दवाओं आदि के लेबुल पर मोहर लगनी चाहिये और उसमें "फार गवर्नमेंट यूज" लिखा जाना चाहिये ताकि दवाओं आदि में कोई फर्जी काम न कर सके, बेईमानी न कर सके या उसका उपयोग गलत ढंग से न कर सके। तो इसके लिये प्रयास किया गया है । मैं माननीय सदस्यों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी इस क्षेत्र में प्रयास हम कर रहे हैं उससे चिकित्सा क्षेत्र में काफी सुधार होगा और जनता को सुविधा होगी ।

इसके अलावा आज तक जितने भी इस विभाग के बजट पेश किये गये हैं उनके मुकाबले में आज की बहस ज्यादा तर्कसंगत रही है, आलोचना कम हुई है और अच्छे सुझाव आये हैं । ऐसा लगता है कि यह विभाग किसी न किसी रूप से और सालों की अपेक्षा काफी लाभप्रद काम कर रहा है । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे आज की वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए अपना कटमोशन वापस ले लेंगे तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31--चिकित्सा के अधीन सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31--चिकित्सा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,69,11,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

1974–75 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 31– 101 चिकित्सा, अनुदान संख्या 32–परिवार नियोजन, अनुदान संख्या 33–सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 70–चिकित्सा, परिवार नियोजन ए वं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32––परिवार नियोजन के अधीन सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–– परिवार नियोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,56,77,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33––सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधीन सम्पूर्ण अनुदान को धनराशि घटाकर एक पया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–– सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,84,01,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70–चिकित्सा, परिवार नियोजन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अधीन संपूर्ण मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70– चिकित्सा, परिवार नियोजन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,35,33,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदानों को विचारार्थ लेने के कार्यक्रम में परिवर्तन का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)––

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जो बजट को पारित करने का का ंक्रम है, उसमें यह संशोधन किया जाय–कृषि विभाग से सम्बंधित जो बजट है, जो 11 व 12 जुलाई, 1974 के लिये

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

निश्चित है वह 19 व 22 जुलाई, 1974 को लिया जाए तथा स्वायत्त शासन का 11 जुलाई, 1974 को लिया जाए, जो पहले 22 जुलाई, 1974 को था तथा परिवहन विभाग का बजट 12 जुलाई, 1974 को लिया जाय जो 19 जुलाई, 1974 को था। इस संबंध में मैंने सभी विरोधी दलों के नेताओं से परामर्श कर लिया है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो संशोधन है कि 11 व 12 जुलाई, 1974 का कार्य 19 व 22 जुलाई, 1974 को, 19 जुलाई, 1974 का कार्य 12 जुलाई 1974 को तथा 22 जुलाई, 1974 का कार्य 11 जुलाई, 1974 को होगा, स्वीकार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का एक आया है--उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा विधान भवन को बम से उड़ा देने का षड़यंत्र किया जा रहा है। यह विस्फोटक योजना व्यापक रूपसे बन रही है। कानपुर की गंगाघाट पुलिस ने हरिनाम नामक युवक को इस षड़यंत्र में गिरफ्तार भी किया है।

क्या इस पर कुछ मंत्री जी कहना चाहेंगे कि विधान सभा को उड़ा देने की कोई बात है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

इससे ज्यादा तो गंभीर बात कोई हो ही नहीं सकती है। इस पर आप वक्तव्य दिलवाएं। इनकी पुलिस ने आदमी पकड़े हैं। एक अखबार में ऐसा छपा है। उनकी योजना थी कि इस विधान सभा को उड़ा दिया जाए। आपकी पुलिस ने उनको पकड़ा। उनके गिरोह के लोगों का पता लगाया। उनके पास से हैंड ग्रेनेड, आग्नेयास्त्र वगैरह मिले हैं। यह कौंसिल में एलाऊ हो गया है, यहां भी एलाऊ हो जाए।

श्री अध्यक्ष--

त्रिपाठी जी अपनी सूचना का आधार बतायेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

वे पकड़े गये हैं अखबार में भी निकला है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

इस तरह का तर्क तो कभी नहीं हो सकता है कि कौंसिल में स्वीकार किया गया है तो यहां भी मान लिया जाए।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

यह तो पुलिस का कहना है कि वे लोग विधान सभा को उड़ाना चाहते थे।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

यह एक अच्छी बात है, विधान सभा उड़ जाएगी, तो सब पापी एक साथ उड़ जायेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, इस सारे मामले में कोई सूचना दूं कि इस प्रकार की कोई आशंका नहीं है, नहीं खतरा कोई बाकी है। यह सदन और इस सदन की मर्यादा बिलकुल सुरक्षित है, जो यहां बैठे हैं उनकी भी सुरक्षित है। जो लोग पकड़े गये हैं उनके बारे में मैं आपकी आज्ञा से

कहना चाहूंगा कि ऐसे डेलीकेट मामलों में कहने से जांच में मदद नहीं मिलती है कुछ बातों में । जब जांच पूरी हो जाएगी, तो सब चीज सामने आ जाएगी ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाबूलाल वर्मा ने सूचना दी है कि विधान सभा के मुख्य द्वार के सामने की सड़क पर यातायात की बहुत भीड़ रहती है । हर समय बस, ट्रक, स्कूटर आदि चलते रहते हैं । उस सड़क को पार करने में महान् कष्ट का सामना करना पड़ता है । माननीय विधायकों को विधायक निवासों से विधान सभा भवन जाने-आने में हर समय जीवन का खतरा बना रहता है ।

सम्बद्ध मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हैं । कोई पुलिस का सिपाही खड़ा कर दें । आपका कहना है कि जो माननीय सदस्य आते हैं उनको असुविधा होती है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय आशाराम यादव ने सूचना दी है कि मिल मालिकान ने सरकार से सांठ-गांठ करके मिल बन्द कर दिया है । लाक आउट किया है । यह वक्तव्य का विषय.....

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)--

इस पर वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

पुलिस कैसे खड़ी की जाय, यह सब होगा कि विधान सभा के माननीय सदस्य अपने लिए इतना चाहते हैं । इसको कार्यवाही के लिये भेज दिया है ।

श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)--

लाक आउट है । मिल मालिक सरकारी अफसरों से मिलकर मिल बन्द करना चाहते है । एक हजार परिवारों का मामला है । क्षेत्रीय जनता एवं मजदूरों में तीव्र असंतोष है ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर अल्पसूचित प्रश्न करें ।

प्रदेश में शस्त्र बनाने के अवैध कारखानों का जाल फैल गया है । यह अनिश्चित है । शांति व्यवस्था से संबंधित है । कार्यवाही के लिये भेज देता हूं (श्री ओम प्रकाश सिंह के खड़े होने पर) आपको आशंका है कि प्रदेश में बम बनाने वाले बहुत से कारखाने खुले हैं । यह कार्यवाही का विषय है, इस पर बहस क्या होगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

पकड़ा गया है लखनऊ के अन्दर । उसमें घटना का उल्लेख है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न कर लीजिये आप ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री मलखान सिंह (जिला जालौन)—

प्रश्न तो कर लें । प्रश्नों का उत्तर देने के लिये माननीय पांडेय जी को नियुक्त किया जाता है चाहे जिस विभाग से संबंधित हों । उसको हम न समझ सकते हैं न हमारी समस्या हल हो पाती है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय हरिकेवल प्रसाद का है । स्पष्टीकरण आप चाहते हैं । वह नहीं है । वह हर एक में लिखते हैं कि इस विषम परिस्थिति में मंत्री जी स्पष्टीकरण करें । आप पूछ लीजिये कैसे लिखा जाता है । यहां बहुत बोलते हैं लेकिन नियमानुकूल नहीं लिखते हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य नियमानुसार न लिख पायें तो उसमें आप करेक्शन कर दें, तो बहुत सहूलियत होगी ।

श्री अध्यक्ष—

एक तो आप बहुत जानते हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

आप मदद करें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ऊदल का है । डाक्टर आर0 एस0 अग्रवाल, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज के रीडर मेडिकल बोर्ड में भाग लेने के लिये लखनऊ आ रहे थे । मिनी बस एवं बस की टक्कर से कानपुर-लखनऊ मार्ग पर सख्त घायल हो गये। अल्पसूचित प्रश्न का विषय है ।

अब एक माननीय रामसजीवन ने दिया है । 12 जुलाई सन् 1966 को पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी एवं कुछ अन्य दलों के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश बन्द का आवाहन किया गया था। तो आप नोटिस दे रहे हैं ?

श्री रामसजीवन (जिला बांदा)—

माननीय अध्यक्ष जी, वहां गिरफ्तारियां हो रही हैं । पूरे जिले में बड़ी उत्तेजना का वातावरण पैदा हो गया है । इसलिये इस पर वक्तव्य दिला दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

1966 का मामला है। आपने सत्याग्रह का आवाहन किया । आवाहन पर क्या वक्तव्य हो । सरकार की तरफ से कुछ आवाहन हुआ होगा। दोनों तरफ से चलने दीजिये ।

माननीय काशीनाथ मिश्र का कहना है कि घनघोर मंहगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई कीमतों और आवश्यक सामग्रियों के अभाव काल में कानपुर शहर के अन्दर यह जो आप कह रहे हैं इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसमें जमाखोर लोग अधिकारियों से मिलकर कार्यवाही कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा सील किये हुए गोदामों से माल गायब हो जाये यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है । जमाखोरों

की सरकारी अधिकारियों के साथ साठ-गांठ है । इस पर मंत्री जी का वक्तव्य होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह अनिश्चित है ।

अब यह श्री मोतीलाल देहलवी का है । वह इस प्रकार कि—

"नगर कानपुर में चलने के लिये 92 बसें एलाट हुई थीं किन्तु इस समय लगभग 50 बसें ही चल रही हैं । इन 50 बसों में भी लगभग 20 बसें लम्बे रूट पर अर्थात् देहाती क्षेत्रों में चली जाती हैं और लगभग 7 बसें प्रति दिन एच0 एल0 को दी जाती ह ।

इस प्रकार कानपुर नगर में इस समय लगभग 23 बसें ही चल रही हैं जो इतने विशाल शहर के लिये बिलकुल अपर्याप्त हैं और जनता के लिये दुखद समस्या के रूप में हैं ।

यह कारपोरेशन का विषय है । इस पर अल्प सूचित प्रश्न कर लें ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, समाजवादी युवजन सभा के लोग अनशन कर रहे हैं। उनका 18वां दिन है। कानपुर बड़ा नगर है और गरीब नगर है और यहां केवल 23 बसें ही काम कर रही हैं। बाकी बीमार पड़ी हुई हैं । वह ठीक नहीं कराई जा रही हैं । आप कानपुर जाकर देखिये कि जनता को कितनी परेशानी और तकलीफ हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कह रहा हूं कि यह अल्प सूचित तारांकित प्रश्न का विषय है ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

वहां लोग अनशन कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

एक जगह के लिये इतनी बसें चल रही है । यह सवाल है ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, सरकार से वक्तव्य दिला दें ।

श्री मधुकर दिधे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, दिल्ली में ऐसे ही प्रश्न पर बहुत बड़ा मामला हो गया । काफी बसें जलाई गईं और उसमें मृत्यु भी हो गई ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो काल्पनिक स्थिति के बारे में आप कह रहे हैं । मान लीजिये कि बसों की व्यवस्था कम हो गई है ।

श्री मधकर दिधे—

वह भी बड़ा समय लेता है ।

बलिया जिले में तेरह विकास खण्डों में कृषि सम्बन्धी सामान के क्रय के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अब बलिया जनपद में तेरह विकास खंडों में कृषि सम्बन्धी सामान के क्रय हेतु आवंटित रुपये से अधिक का आहरण किये जाने के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न 1 (नत्थी–क) के विषय में श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा दी गई सूचना पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 49 के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा होगी।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आज का जो सवाल है उस दिन उठा था इस सदन में। बलिया जनपद में कृषि विभाग में 3 लाख 14 हजार ओवर ड्राफ्ट कर लिया। यह केवल एक ही साल की घटना नहीं है 72–73 में भी इसी तरह की घटना हुई। ऐसा आभास होता है कि बलिया जनपद में नियोजन और कृषि विभाग के अन्दर एक ऐसा गिरोह है जो किसी न किसी तरीके से रुपये को निकाल लेता है। हमको प्रशासन की तरफ से घबराहट नहीं है कि एक-दो लाख रुपये हड़प लिये। परेशानी यह है कि कानून की व्यवस्था कैसे चलायी जाती है। लाखों लोग हैं, कर्मचारी हैं गड़बड़ी कर सकते हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि जो लोग गड़बड़ी करें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। बलिया जनपद में लगातार ये मामले हो रहे हैं। जिस बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ कार्यवाही की जाती है उसी की सिफारिश होने लगती है। कानून में जो अव्यवस्था करने वाले हैं उनके खिलाफ सिफारिश न सुनी जाये।

श्रीमन्, अंग्रेजी राज्य में कलेक्टर के नाम फाइनेन्शियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था लेकिन अब विभिन्न विभागों को यह काम दे दिया गया है। उस गड़बड़ी का जो जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। जो इस रकम का जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्यवाही हो, उसका डिसमिसल होना चाहिये, उसकी नौकरी खत्म होनी चाहिये तो जिले में भविष्य में इस तरह की घटनायें नहीं होंगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह लाखों रुपये की जो गड़बड़ी हुई है उसकी वसूली करने की योजना बनाये, उनकी तनख्वाहों से जो उसके जिम्मेदार हैं वसूल करेंगे जिससे वे फिर इस तरह के षड़यंत्र न करें। उसकी पूरी जांच करायी जाय। जो लोग दोषी हैं उनको नौकरी से बरखास्त करें।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, माननीय काशी नाथ मिश्र ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि गत फरवरी में जिला नियोजन अधिकारी को यह ज्ञात हुआ कि हिसाब किताब में गड़बड़ी है उन्होंने उप विकास आयुक्त, वाराणसी मंडल को लिखा कि यहां जांच होनी चाहिये। फरवरी में विधान सभा का सामान्य निर्वाचन था इसलिये शीघ्र आडिट नहीं हो सका। 13 मार्च को आडिट पार्टी बलिया गयी और मनियार विकास खंड का विशेष आडिट किया और उसके बाद नगरा का किया। यहां के आडिट से ऐसा आभास हुआ कि इस तरह की गड़बड़ी और जगह भी हो सकती है और आडिट किया गया और कागज पत्रों को सील कर के खजाने में रखवा दिया गया। मनियर विकास खंड अधिकारी को जैसा माननीय काशी नाथ मिश्र ने कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, उनके निलम्बन के आदेश भेज दिये गये हैं और उनको निलम्बित कर दिया गया है। उन्होंने 72–73 में गड़बड़ी का उल्लेख किया है। मान्यवर, हमने उप विकास आयुक्त को आदेश दिया है कि 72–73 का स्पेशल आडिट हो जाना चाहिय।

और वह सहायक लेखाधिकारी के द्वारा वह आडिट करें। यह सब जो उन्होंने जांच की उससे ऐसा लगता है कि 72–73 में भी कुछ गडबडी हुई है। यहां से 38,810 रु0 आवंटित किया गया जिला बलिया के लिये और यह 66,477 रु0 वहां ड्रा कर लिया गया खजाने से। यह गड़बड़ी पायी गई तो इस गड़बड़ी का कारण यह बताया जाता है कि जो सूचना है कि उदाहरणार्थ सहायक निबन्धक ने जो आवंटन आदेश था उस पर हस्ताक्षर किया । किसी पर आंकिक ने हस्ताक्षर कर दिया, किसी पर लिपिक ने हस्ताक्षर कर दिया और खंड विकास अधिकारी के पास भेज दिया। खण्ड विकास अधिकारी ने वह रुपया खजाने से लेकर और वह कृषि अनुवर्तक कार्यों के लिये वह पैसा उन्होंने ले लिया । तो इस तरह ऐसा लगता है कि 72–73 में भी वहां पर अधिक रुपया खजाने से लिया गया। मान्यवर, यह जो कुछ गड़बड़ी हुई है इसका मुझे बहुत अफसोस है और मैं इस बात की कोशिश में हूं कि जो लोग दोषी पाये जांय उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय और उसके लिये जो उचित आदेश थे वह हो गये हैं, वह आदेश यहां से पारित हो गये हैं ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

दोषी को सजा कहां दी जा रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जब दोषी को सजा न मिली हो तब यह प्रश्न उठ सकता है । एक तो फौजदारी की दफा का उल्लंघन किया और दूसरी तरफ रुपयों का उन्होंने ठीक तरह से उपयोग नहीं किया । रुपया उनसे वसूल करने का सवाल है और जो उन्होंने गल्ती की है उसकी सजा भी उनको मिलनी चाहिये ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जांच जारी है और जो खंड विकास अधिकारी 13 थे, 13 में से 5 को प्रत्यावर्तित करके उनके विभागाध्यक्षों को आदेश कर दिये हैं कि उनको निलम्बित कर दें। 8 खंड विकास अधिकारी को निलम्बन का आदेश यहां से भेज दिया गया है और उनको वहां से दूसरे मंडलों को स्थानान्तरित भी कर दिया गया है । मान्यवर, सरकार जिसको भी दोषी पायेगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, यह केवल बलिया का ही मामला नहीं है बल्कि यह मामला देवरिया का भी है । मान्यवर, जिस दवाओं की बात की गई है उसमें पानी मिलाने की बात है । उस फर्म के कर्ताधर्ता प्लानिंग विभाग के एक रिटायर्ड क्लर्क हैं या वह छुट्टी ले लिये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह नहीं है । यह तो बलिया के बारे में है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह जो दवा खरीदी गई वह कौन सी फर्म है ? क्या जो तेरहों विकास अधिकारी हैं वे उसी फर्म से दवा खरीदें हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह बलिया का सवाल है ।

श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बातें बताईं वह केवल बलिया की ही नहीं रह गई हैं । बलिया के 13 बी0डी0ओ0 के बारे में जांच किया, दंडित करने की कार्यवाही कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं । लेकिन जहां से सेन्ट्रली रूप से यह हुआ है उसको छोड़ रहे हैं । ब्यूरोक्रेसी में जो सबसे नीचे का तबका होता है, ऊपर वाले तो छूट जाते हैं लेकिन नीचे वाले पीसे जाते हैं उसी प्रकार से इसमें भी हुआ है । पिछले साल 5 ब्लाकों में यह प्रक्रिया हुई और जब एक्सेस खर्चा हुआ, बजट से उसे ए० पी० सी० के कार्यालय ने एडजेस्ट किया । बराबर यही व्यवस्था पूरे प्रदेश के 34 जिलों में हुयी है ।

श्री अध्यक्ष—

कहां हुआ या नहीं हुआ । यह प्रश्न बलिया के बारे में है । आप बलिया के बारे में ही पूछ लें, स्पष्टीकरण हेतु ।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

बलिया की तरह ही प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी मैं अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि मनिहर के बी० डी० ओ० को सस्पेन्ड कर दिया तो क्या शेष 13 बी०डी० ओज० को भी निलम्बित किया गया है या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने निवेदन किया कि 13 खंड विकास अधिकारी इसमें दोषी पाये गये, जिनके खिलाफ यह साबित हुआ कि उन्होंने रुपया खजाने से निकाला । उन सब को निलम्बित कर दिया गया है । 8 जो रह गये हैं, उनके आदेश यहां से भेज दिये गये हैं और 5 को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है । ए० डी० ओज० के बारे में मंडलीय स्तर के जो विभागाध्यक्ष हैं, उनको आदेश भेज दिये गये हैं कि वे उनको सस्पेन्ड करें ।

श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)—

श्रीमन, मेरा निवेदन है कि डिस्ट्रिक्ट जिला नियोजन अधिकारी इस सारी गड़बड़ियों का बुनयादी तरीके से जिम्मेदार है । उनके विरुद्ध सस्पेन्शन की कोई बात नहीं की जा रही है । मैं समझता हूं कि पहले उनको मुअत्तल करना जस्टिफाइड होगा । 1972 में भी जैसा कहा जा रहा है हुआ है । इन सब चीजों का जिला नियोजन अधिकारी प्लान करता है और अपने बचाने के लिये नीचे स्तर के लोगों को सस्पेन्ड कर दिया, लाइव स्टाक अधिकारी को और अन्य अधिकारियों के लिये एक आर्डर हो जाता है कि अन्य अधिकारी कागजात पर साइन करेंगे लेकिन जहां तक फाइनन्शियल मैटर्स का सम्बन्ध है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अधिकारी ही एक मात्र अधिकारी हैं जो इस प्रकार के कागजों पर दस्तखत कर सकता है । इसके लिये पूर्ण रूप से वही जिम्मेदार है । इसम उनको सस्पन्ड नहीं किया गया है और जो उनके कार्यालय के अधिकारी थे, जिनका दवरिया ट्रांसफर हो गया था उन्ह फिर देवरिया से वापस बुला लिया गया है । व इसके जिम्मेदार हैं, उनके बयान किसी इन्क्वायरी म नहीं लिये गये हैं । जिल म सारे एकाउन्ट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कार्यालय म रखे जाते हैं, इसलिये उनक बयान बहुत ही जरूरी हैं । इन

रुपये को निकालने के लिये जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर और उनके कार्यालय के लोग हैं और अगर उन अधिकारियों ने इस रुपये का गलत ढंग से प्रयोग किया है तो उनके विरुद्ध जांच करके कार्यवाही की जाय । वहां पर 1 रुपये की चीज के 5–5 रुपये और 10–10 रुपये खर्च किये गये है । जिन बी०डी०ओज० ने ऐसे काम किये हैं, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय सदस्य ने जो जिला नियोजन अधिकारी के सम्बन्ध में कहा है, वह चाहे जिला नियोजन अधिकारी हो, खंड विकास अधिकारी हो, या वह जिला कृषि अधिकारी हो या और कोई अधिकारी हो, जिसके खिलाफ भी हम को यह मालूम हो जायगा कि इसके जरिये से खरीद हुयी है, उसको छोड़ा नही जायगा । मैं यहां पर सारी चीजों का विवरण नहीं दे सकता क्योंकि हो सकता है कि इससे जो जांच हो रही है, उसमें अवरोध पैदा हो लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त किये देता हूं कि किसी भी अधिकारी को चाहे वह जिला नियोजन अधिकारी हो या और कोई अधिकारी हो, कोई भी छोड़ा नहीं जायगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहूंगा । मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके फाइनेन्शियल रूल्स हैं, कुछ गड़बड़ है । क्यों ऐसा हो कि किन्हीं के लिये 38 हजार रुपया आप दें और वह अधिकारी बजाय उसके 3 लाख रुपया निकाल ले । तो यह एक बड़ा बुनियादी सवाल है । इस तरह की जो गड़बड़ी है क्या इसके लिये कोई आप विचार कर रहे है कि जितना रुपया ग्रान्ट किया जाय उससे अधिक न ड्रा कर सकें ?

दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि जो रुपया ड्रा किया गया, निकाला गया उससे जो सामान खरीदा जिसकी ओर माननीय जनार्दन ओझा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे, क्या कुछ विशेष फर्में है जिनसे रुपया ड्रा करके सामान खरीदा गया है—तो क्या उनके नाम बताने के कष्ट करेंगे ?

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

सवाल यह है कि कैसे ड्रा किया गया जब उनको पावर नहीं थी इसके लिये कौन अफसर जिम्मेदार थे, यह भी बताया जाय ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

खंड विकास अधिकारी, क्योंकि यह गजेटेड अफसरान हैं, उनको खजाने से रुपया निकालने का अधिकार है तो उनक दस्तखतों से खजाने स रुपया निकलता है । यह ठीक बात है कि जो धन वहां से आहरण किया गया है उससे जो सामान खरीदा गया है वह जिन फर्मों स खरीदा गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वह फर्म अप्रूव्ड नहीं थी, स्वीकृत नहीं थी । लकिन उसकी जांच पड़ताल अभी जारी है और उसके बाद मालूम होगा, तो मैंने जैसा प्रारम्भ में कहा हम सख्त कार्यवाही उन अधिकारियों के विरुद्ध करने वाले हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि बलिया जिले के जितने ब्लाक हैं, सब विकास अधिकारियों के खिलाफ शिकायत है । आपन लोगों को निलंबित कर दिया तो कितनों को निलंबित किया और कितन बिना निलंबन के आज भी बलिया में मौजूद हैं ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

कुल 18 विकास खंड बलिया जिले में हैं। 13 में गड़बड़ी पायी गयी और वे 13 निलंबित हुये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूं। मंत्री जी के दिमाग में है नहीं कि किसी को परिश्रय दिया जाय गड़बड़ी करने वालों को, लेकिन विषय की गम्भीरता की तरफ ज्यादा जागरुक तौर पर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जन-धन की जिसको आपने जिम्मेदारी दी है विकास खंड अधिकारी को, उसके दिमाग में यह विचार रहा कि किसी भी तरीके से सरकारी धन को हड़प लें। तो दो आरोपों के अन्तर्गत आप उनको दंडित करें कि कायदे कानून की अवहेलना और सरकारी धन का गबन और गबन करने के लिये उनका डिस्मिसल होना चाहिये। क्योंकि रुपये का उन्होंने गलत प्रयोग नहीं किया बल्कि सीधे रुपया लेकर के अपने निजी काम के लिये इस्तेमाल किया। 10 रुपये की चीज 300 रुपये का हिसाब देकर खरीदी। 38 हजार रुपया अलाट था और 3 लाख निकाल लिया। वह सरकारी धन को ताक में रखना चाहते हैं। इसलिये उन लोगों पर सरकारी धन के गबन के मुकदमें चलाकर रुपया वसूल करें और जेल भेजें, साथ ही नौकरी से मुअत्तल करें। मुझे मालम है कि इस रुपये से सिकन्दरपुर के अन्दर 9 हजार रुपये का इत्र और बिस्कुट खरीदा गया है। तो खंड विकास अधिकारी को खाली रिवर्ट कर देने से इस कार्य को करने वाले जिम्मेदार अधिकारी के कार्य में चुस्ती लाने के लिये काफी नहीं है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, यह ठीक है कि रुपया उन्होंने जितना 22,700 रुपया कृषि अनुवर्तक मद में था और उसके बजाय 3,14,000 रुपया उन्होंने आहरण किया लेकिन मैंने जो दुरुपयोग कहा था इसलिये कहा था कि यह सामान 3,14,399 रुपये का खरीदा गया था और ऐसे फर्मों से खरीदा गया था जो ऐप्रब्ड नहीं थीं। इस दृष्टि से ही मैंने कहा कि जांच करते करते कहीं यह पता न लगे कि यह सारा का सारा गबन हुआ और खजाने के द्वारा कैसे निकाला गया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने 22 हजार 7 सौ रुपये का कृषि अनावर्तक अनुदान दिया था तो यह 3 लाख रुपया आहरण कैसे कर लिया और कैसे 3,14,999 रुपये का हिसाब बता दिया। इन सारी बातों के छानबीन की आवश्यकता है कि क्या सचमुच यह सामान खरीदा गया और अगर खरीदा गया तो क्या सचमुच इतने का है या नहीं और उसमें कितना सामान मौजूद है, आदि-आदि।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
9 जलाई, 1974।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

विधान सभा के वर्तमान द्वितीय सत्र 1974 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित श्री हरिकेवल प्रसाद के तारांकित प्रश्न संख्या 34 की सूची ।

सूची

टाउन एरिया का नाम	स्वीकृत धनराशि
	रु०
1—लार	10,000
2—रुद्रपुर	10,000
3—रामकोला	10,000
4—रामपुर कारखाना	10,000
5—भाटपार रानी	10,000
6—सिवराही	10,000
7—कसया	10,000
8—कप्तानगंज	10,000

संसद सदस्य भवन

नतथी 'ख'

(देखिय तारांकित प्रश्न संख्या 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1974 के 5वें मंगलवार के लिए निर्धारित श्री सूबेदार प्रसाद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर में उल्लिखित तालिका

मद जिसके अन्तर्गत धन-राशि प्रदान की गई	जिसके द्वारा धन-राशि प्रदान की गई	वर्ष तथा प्रदान की गई धनराशि		
		1971-72	1972-73	1973-74
1	2		3	
		रु०	रु०	रु०
(क) चिकित्सालय पर				
1—इलाज के लिए दवाइयों हेतु	विभाग द्वारा	500.00	500.00	500.00
तदैव	जिला परिषद् द्वारा	333.00	..	500.00
	योग ..	833.00	500.00	1000.00
2—वेतन	विभाग द्वारा	4,985.00	5,773.00	8,340.10
	जिला परिषद् द्वारा	2,670.00	3,158.62	3,095.26
	योग ..	7,655.00	8,891.62	11,435.36
3—महंगाई भत्ता	विभाग द्वारा	2,124.00	2,352.00	1,467.00
	जिला परिषद् द्वारा	2,478.00	3,386.00	3,810.00
	योग ..	4,602.00	5,738.00	5,277.00
4—यात्रा भत्ता	विभाग द्वारा	720.40	1,817.55	1,194.05
	जिला परिषद् द्वारा	..	115.44	145.00
	योग ..	720.40	1,932.99	1,339.05
5—अन्य व्यय	विभाग द्वारा	..	..	..
	जिला परिषद् द्वारा	..	125.20	..

1	2	3		
(ख) कृत्रिम गर्भाधान पर—		रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
6—पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु दवाइयों के लिए ..	विभाग द्वारा	165.80	130.40	190.40
7—कृत्रिम गर्भाधान के कर्मचारियों का वेतन	विभाग द्वारा	650.00	665.00	2310.00
8—महंगाई भत्ता	विभाग द्वारा	792.00	1,020.00	135.00
9—यात्रा भत्ता	,,	20.10	22.65	15.20
10—अन्य व्यय	,,	335.20	370.60	309.60
11—खूराक साड़ों को खिलाई पिलाई हेतु	विभाग द्वारा	2,680.00	2,860.80	3,280.85
	योग ..	4,477.30	4,939.05	6,050.65
(ग) बकरी प्रजनन—				
1—बकरा सांड को खिलाई पिलाई हेतु	विभाग द्वारा	420.00	420.00	420.00
	सम्पूर्ण योग	18,873.50	22,677.26	25,712.46

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या 37 का संलग्नक

लघु कृषक विकास योजना, रायबरेली के अन्तर्गत गत सीजन में 284 पावर क्रशर्स निम्नलिखित फर्मों द्वारा सप्लाई किये गये :—

1—मेसर्स आधुनिक कृषि उद्योग, रायबरेली
2—मेसर्स एशिया फेब्रिको, कानपुर
3—मेसर्स गुप्ता मशीनरी कं०, रायबरेली
4—मेसर्स सुनील इंडस्ट्रीज, लालगंज, रायबरेली
5—मेसर्स पंचायत उद्योग, बछरावां, रायबरेली

एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा बनाये गये क्रशर व अन्य कम्पनियों द्वारा सप्लाई किये गये क्रशर्स के रेट निम्नलिखित हैं :—

वितरित किये गये पावर क्रशरों की अश्व शक्ति	सप्लाई करने वाले फर्मों के रेट्स	उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम के रेट्स
	रु० पै०	रु० पै०
1—5 अश्व-शक्ति	1,168.00	1,137.75
2—7-5 अश्व-शक्ति ..	1,324.00	उपलब्ध नहीं है ।
3—10 अश्व-शक्ति	1,548.00	1,665.25

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

परिशिष्ट—1

जिले का नाम	विकास खंड का नाम	उस स्थान का नाम जहां भूमि उपलब्ध है	अन्य विवरण
1	2	3	4
1—गोरखपुर	1—बृजमनगंज	शाहाबाद	..
	2—उरवा	चचाईराम	..
	3—गगहा 4—भटहट	..	भूमि पुनर्ग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।
	5—सिसवा 6—धानी	..	भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।
	7—ब्रह्मपुर	..	विकास खंड मुख्यालय का मामला क्षत्र समिति के विचाराधीन है।
	8—पाली 9—मिठौरा 10—खजनी	..	भूमि उपलब्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
2—बस्ती	1—साऊघाट	..	भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न जारी है।
	2—मिठबल	गौरीकलां	..
	3—विक्रमजोत	खोसुआ	..
	4—जोगिया	जोगिया	..
3—आजमगढ़	1—कोयलसा	कोयलसा	..
	2—महाराजगंज	महाराजगंज	..
	3—फतेहपुर मंडाव	..	भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न जारी है।
4—देवरिया	1—रामपुर कारखाना	रामपुर कारखाना	
	2—भटनी	साहोपार	
	3—बनकटा	भैंसही	
	4—मोतीचक 5—फाजिल नगर	..	भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न जारी है।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

सुधार मण्डल, गाजियाबाद में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अभियन्ताओं की सूची

अभियन्ता की श्रेणी	संख्या	प्रतिनियुक्ति की तिथि
अधिशासी अभियन्ता	1	1970
	1	1973 (1972 में सहायक अभियन्ता थे और 20-1-73 को प्रोन्नति की गई थी)।
सहा क अभियन्ता	1	1970
"	1	1971
"	2	1972
"	1	1974
जू ियर अभियन्ता	1	1963
"	1	1964
	1	1969
	1	1970
	2	1971
	3	1972
	0	1973
	3	1974

नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

लक्ष्मीपुर व मिश्रौलिया (नौतनवां) विकास खण्ड में मुफ्त बीज वितरण की सूची

जनपद गोरखपुर

क्रम सं0	विकास खंड का नाम	गांव का नाम	किसानों की संख्या		मात्रा जो वितरित की गई		मात्रा जो भेजी गई	
			कृषि	सह०	कृषि	सह०	कृषि	सह०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लक्ष्मीपुर	1–टैंडी	37	..	5.00	..	..	..
		2–दशरथपुर	32	14	3.80	1.95	..	..
		3–ब्रह्मपुर	7	..	0.80	..	..	..
		4–गंगापार	4	..	0.50	..	..	..
		5–समरहवा	80	..	9.50	..	..	..
		6–कजरी	50	..	6.45	..	..	..
		7–जोगिया बारो	27	..	3.25	..	..	..
		8–एकखडवा	71	..	9.00	..	..	..
		9–बढ़ईदिहा	79	..	8.65	..	..	..
		10–चैनपुर	61	..	7.15	..	..	..
		11–गुजरवलिया सकरमिश्रा	56	..	6.80	..	..	..
		12–कुडकडवा	15	..	1.60	..	..	..
		13–बड़हरा शिवनाथ	51	..	6.00	..	..	..
		14–सगलहा	134	30	15.00	3.90	..	..
		15–विशनपुर फुलवरिया	41	..	4.65	..	..	..
		16–आराजी सक्राइन	12	..	1.30	..	..	..
		17–नवाबी घाट	7	..	0.90	..	..	..
		18–मठिया इद	53	..	6.25	..	..	..
		19–रानीपुर	79	..	8.70	..	..	..

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लक्ष्मीपुर—(समाप्त)							
		20—ग्रौरइवा कलां	9	..	1.00	..	..	..
		21—ग्रौरइवा खुर्द	25	..	2.90	..	..	..
		22—रावेदासपुर	60	..	6.95	..	..	..
		23—कोदवपुर उर्फ गिदहा	11	..	1.15	..	..	..
		24—करमदारपुर	19	..	2.20	..	..	..
		25—करमदिन-पुर	13	..	1.45	..	..	..
		26—रघुनाथपुर	38	..	4.30	..	..	..
		27—गोहिरपुर	39	..	4.25	..	..	..
		28—खालिकगढ़	176	..	19.25	..	..	..
		29—रजापुर	70	..	7.55	..	..	..
		30 (ग्र)—महवेवा बसडिला	32	..	3.55	..	..	..
		31—सकरडिहा	45	..	4.95	..	..	..
		32—गजप खुर्द	13	..	1.55	..	..	..
		33—भैंसहियां	50	..	5.65	..	..	..
		34—नई कोट मदरहना	12	..	1.55	..	..	..
		35—परसापांडे	52	..	5.75	..	..	..
		36—परसौनी	109	..	14.20	..	..	..
		30 (ब)—महदेवा बसडीला	45	..	5.40	..	..	..
		37—पानी तालाब	36	..	..	4.85	..	..
		38—परमेशरपुर	..	25	..	2.55	..	..
		39—धरमपुर	..	25	..	3.35	..	..
		40—पुरन्दरपुर	..	24	..	3.20	..	..
		41—लक्ष्मीपुर	..	34	..	4.80	..	..
		योग	1,704	188	198.90	24.60	198.90	24.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	नौतनवा	1–बैरिया	26	..	3.45	..	..	..
		2–चन्डीपान	41	..	5.15	..	..	..
		3–बरनहवा	45	..	6.00	..	..	..
		4–शीशमहल	29	..	3.90	..	..	..
		5–चकदह	260	..	34.90	..	..	..
		6–सूर्यपूरा	50	..	6.55	..	..	..
		7–गिवलिया	54	..	7.50	..	..	..
		8–अमहवां	73	31	9.20	4.30	..	..
		9–सीहामार	42	..	6.00	..	..	..
		10–सगरहवा	20	10	2.60	1.40	..	..
		11–तनवां	14	..	2.85	..	..	..
		12–वरगदही	39	..	5.05	..	..	..
		13–मनिकपुरा	188	4	24.30	0.45	..	..
		14–गनेशपुर	31	..	3.55	..	..	..
		15–फरेंदी	51	..	6.65	..	..	..
		16–बैलहिया	203	19	25.15	2.35	..	..
		योग ..	1,166	64	151.80	8.50	151.80	8.50

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 117 वि०सभा—(1539)—1975—8351